लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

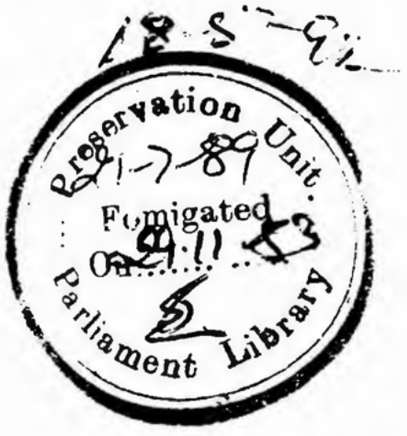

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

द्वितीय माला, खंड ४५—अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ १२८५—१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ १३००—१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख १३३७

जानकारी का प्रश्न १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८

राज्य सभा से सन्देश १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन १३३९

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) १३३९—४७

सभापति तालिका १३४७

वर्ष १९५७-५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १३४८—५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विचार करने का प्रस्ताव १३५६—७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १ पारित करने का प्रस्ताव १३७०—७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १३७१—७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड १३७४—७७

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८५

अंक १२—बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ १३८७—१४०७

	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	१४०८-१४०९
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५	१४०९--२८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७	१४२८--७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४७६
राज्य सभा से सन्देश .	१४७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी	१४७७-७८
सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य .	१४७८--८०
दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य	१४८०
समिति के लिये निर्वाचन--	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	१४८१
विधेयक--पुरस्थापित--	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १९६०	१४८१
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०	१४८१-८२
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४८२--९४
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	१४९५--१५११
दैनिक संक्षेपिका .	१५१२--१५१९
अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५००	१५२१--४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . .	१५४४--६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९	१५६३--१६११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६१२-१३
राज्य सभा से सन्देश . .	१६१३
वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण	१६१४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१६१४
तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६१४-१५

	पृष्ठ
विधेयक-पुरस्थापित——	
(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	१६१५
(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक	१६१५
विधेयक पारित——	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक	१६१५–१६
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक	१६१६
पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में .	१६१७
सभा का कार्य	१६१७–१८
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन—— के बारे में प्रस्ताव	१६१८––४२
नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव	१६४३—६७
दैनिक संक्षेपिका . .	१६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . .	१६७७—१७००
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७	१७००—१७१३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . .	१७१३––१७४९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१७५०
सभा का कार्य . . .	१७५०
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . .	१७५०––६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७५०—५६
खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . .	१७५६—६५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	१७६५—७७
सड़सठवां प्रतिवेदन	१७७७
सदस्य की गिरफ्तारी——	
आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१७७८—१८०४
समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प	१८०४—०७
कार्य मंत्रणा समिति——	
चौवनवां प्रतिवेदन	१८६०
दैनिक संक्षेपिका	१८०८—१३

अंक १५--शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५--३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगो में लियोपोल्डविल--हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९--१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२--३

समिति के लिये चुनाव--

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति--

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४--४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८--५४

खंड २ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६--६३

अंक १६--सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५--९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१--९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . २२४६–७२
१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका २५७३

सभा का कार्य २५७३–७४

तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २५७४—८३

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २५८४—९७

खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . २५९६–९७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन २५९७

विधेयक पुरस्थापित—

१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . २५९७

२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) २५९८

४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] २५९८

५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . २५९८-९९

६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] २५९९–२६००

सामाजिक प्रथाय (व्यय में कमी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]

—वापिस लिया गया—

परिचालित करने का प्रस्ताव २६००—०९

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—

विचार करने का प्रस्ताव २६०९—१५

दैनिक संक्षेपिका २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

द्वितीय माला, खंड ४५—अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ १२८५—१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ १३००—१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख १३३७

जानकारी का प्रश्न १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८

राज्य सभा से सन्देश १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन १३३९

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) १३३९—४७

सभापति तालिका १३४७

वर्ष १९५७-५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १३४८—५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विचार करने का प्रस्ताव १३५६—७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १ पारित करने का प्रस्ताव १३७०—७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १३७१—७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड १३७४—७७

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८५

अंक १२—बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ १३८७—१४०७

	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	१४०८-१४०९
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५	१४०९--२८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७	१४२८--७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४७६
राज्य सभा से सन्देश .	१४७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी	१४७७-७८
सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य .	१४७८--८०
दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य	१४८०
समिति के लिये निर्वाचन--	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	१४८१
विधेयक--पुरस्थापित--	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १९६०	१४८१
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०	१४८१-८२
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४८२--९४
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	१४९५--१५११
दैनिक संक्षेपिका .	१५१२--१५१९
अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५००	१५२१--४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . .	१५४४--६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९	१५६३--१६११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६१२-१३
राज्य सभा से सन्देश . .	१६१३
वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण	१६१४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१६१४
तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६१४-१५

	पृष्ठ
विधेयक-पुरस्थापित——	
(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	१६१५
(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक	१६१५
विधेयक पारित——	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक	१६१५–१६
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक	१६१६
पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में .	१६१७
सभा का कार्य	१६१७–१८
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन—— के बारे में प्रस्ताव	१६१८––४२
नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव	१६४३—६७
दैनिक संक्षेपिका . .	१६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . .	१६७७—१७००
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७	१७००—१७१३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . .	१७१३––१७४९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१७५०
सभा का कार्य . . .	१७५०
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . .	१७५०––६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७५०—५६
खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . .	१७५६—६५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	१७६५—७७
सड़सठवां प्रतिवेदन	१७७७
सदस्य की गिरफ्तारी——	
आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१७७८—१८०४
समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प	१८०४—०७
कार्य मंत्रणा समिति——	
चौवनवां प्रतिवेदन	१८६०
दैनिक संक्षेपिका	१८०८—१३

अंक १५--शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५--३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगो में लियोपोल्डविल--हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९--१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२--३

समिति के लिये चुनाव--

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति--

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४--४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८--५४

खंड २ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६--६३

अंक १६--सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५--९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१--९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . २२४६–७२
१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका २५७३

सभा का कार्य २५७३–७४

तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २५७४—८३

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २५८४—९७

खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . २५९६–९७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन २५९७

विधेयक पुरस्थापित—

१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . २५९७

२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) २५९८

४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] २५९८

५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . २५९८-९९

६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] २५९९–२६००

सामाजिक प्रथाय (व्यय में कमी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]

—वापिस लिया गया—

परिचालित करने का प्रस्ताव २६००—०९

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—

विचार करने का प्रस्ताव २६०९—१५

दैनिक संक्षेपिका २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा

शनिवार, २० अगस्त, १९६०

२९ श्रावण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

+

*५७८. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा विकास बोर्ड ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने का कोई कायक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्यक्रम को, प्राप्य साधनों को सामने रखते हुए, यथासंभव शीघ्रता से पूरा करना है ।

विस्तृत ब्योरे, अथवा कार्यक्रम की समय-अनुसूची को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सीमावर्ती क्षेत्र आ जाते हैं अथवा केवल कुछ ही ?

†श्री रघुरामैया : इस समय तो इस के अन्तर्गत उत्तरी तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र ही आते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

955(Ai)LSD—1

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अगर जनहित की दृष्टि से बताना ठीक है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है । अगर यह जनहित में नहीं है तो यह राशि न बताई जाये ।

†**श्री रघुरामैया** : इस समय यह बताना जनहित में नहीं है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : इन परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; क्या इन का निर्माण एम० ई० एस० ; राज्य लोक निर्माण विभाग अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : ये सभी निकाय समन्वित हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया है कि इन परियोजनाओं को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बनाया जायेगा । क्या यह कार्यक्रम सीमा की आवश्यकताओं के अनुकूल है अथवा संसाधनों के अनुसार है और यदि संसाधन कम है तो प्रतिरक्षा मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि वह सीमा की उचित रक्षा के लिये और धन दे ?

†**श्री रघुरामैया** : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि दोनों ही—सुरक्षा तथा उपलब्ध राशि को ध्यान में रखा गया है ।

श्री पद्म देव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जब वे सड़कें बनाई जायें वे इस सहूलियत से बनाई जायें कि वे आल वैदर रोड्स बन सकें और जिधर आसानी से बन सकती हैं लेकिन सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं, बन्द हो जाती हैं, उधर न बना कर दरियाओं के दूसरी तरफ बनाई जायें, जहां वे पक्की रहती हैं, सारा साल खुली रहती हैं ? तो जो आप का प्रोग्राम बनेगा, उस में क्या इस बात का खयाल रखा जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : हम ने सभी स्थितियों पर विचार कर लिया है और जितनी अच्छी सड़क बना सकेंगे उतनी ही अच्छी सड़क बनायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो बातें माननीय सदस्य के दिमाग में आ सकती हैं वह सरकार के दिमाग में भी आ सकती हैं अतः ऐसी बातें पूछने से क्या लाभ ?

श्री पद्म देव : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो सड़कें बनाई गई हैं वे दरिया के उस तरफ बनाई गई हैं, जिधर आसानी से बन सकती हैं और वे सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं, बन्द हो जाती हैं । लेकिन दरियाओं के दूसरी तरफ चूंकि चट्टानें हैं और उधर सड़कें बनाने में जरा तकलीफ होती है, लेकिन वे पक्की रहती हैं, सारा साल वे खुली रहती हैं, नहीं बनाई जाती हैं, जैसा अगर हिमाचल प्रदेश को देखा जाय तो सड़कें जो बनी हैं, वे सारा साल खुली नहीं रहेंगी । मैं जानना चाहता हूं कि अब सड़कें बनाते वक्त क्या इस बात का खयाल रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : ये सड़कें कैसी हैं, क्या आप जानते हैं ? बिना देखे क्यों पूछते हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : वह वहां रहते हैं—**अन्तर्बाधा**

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा हो कि ऐसे प्रश्न न पूछे जायें । जानकारी प्राप्त करने का ढंग यह नहीं है । माननीय सदस्य कुछ बातों के बारे में अपने सुझाव तो देना चाहते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि वहां क्या हो रहा है । नीति संबंधी मामलों के बारे में भी यहां पूछताछ की जाती है । मैं चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि माननीय सदस्य केवल उन्हीं तथ्यों के बारे में प्रश्न पूछें जिन के बारे में कि उन्हें पुस्तकालय अथवा अधिसूचनाओं अथवा पैम्फ्लेट आदि से जानकारी नहीं मिलती। सुझाव देने में ही हमें इस घंटे को समाप्त नहीं कर देना चाहिये। आज के लिये ६० प्रश्न हैं लेकिन कुछ प्रश्न उन के रास्ते में बाधक बन रहे हैं ?

†**श्री महन्ती :** यह बोर्ड मार्च १९६० में ही बना था क्या माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि इन सामरिक सड़कों का निर्माण ठीक समय पर ही हो जायेगा ताकि सुरक्षा संबंधी प्रबन्धों में विकास हो जाये।

†**श्री रघुरामैया :** हम इन का निर्माण यथासंभव तेजी से और आवश्यकतानुसार कर रहे हैं।

†**श्री हेमराज :** क्या उन सभी सीमान्त जिलो को जिन का सीमांकन अभी हाल में किया गया है सड़क बनाने के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्री रघुरामैया :** निश्चय ही यह बोर्ड इन सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा।

†**श्री स०मो० बनर्जी :** क्या ये सड़कें एम० ई० एस० के द्वारा अथवा राज्य सरकारों की सहायता से बनाई जायेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हों ने बता दिया है कि सभी की सहायता ली जायेगी। मैं इस प्रश्न को श्रम और पूंजी के आधार पर वाद-विवाद करने के हेतु आज्ञा नहीं दूंगा—(**अन्तर्बाधा**)

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस बोर्ड में सीमान्त राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं अथवा नहीं।

†**श्री रघरामैया :** कुछ समय पूर्व इस बोर्ड के सदस्यों के नाम सभा पटल पर रख दिये गये हैं। जहां तक मेरा ध्यान है ऐसे प्रतिनिधि कोई नहीं है।

नये अमरीकी ऋण

+

†*५७९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री आचार :

क्या **वित्त** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विकास ऋण निधि से नये ऋणों के लिए वार्ता समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो करार का क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) तथा (ख) .एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) तथा (ख). निम्नलिखित ऋण समझौते हो चुके हैं :—

शारावती हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना	८४	लाख डालर
बराउनी थर्मल परियोजना	३८	,, ,,
चन्द्रपुरा थर्मल परियोजना	३००	,, ,,
दुर्गापुर थर्मल परियोजना . . .	२००	,, ,,
सड़क परिवहन विकास परियोजना . .	१३१	,, ,,

इन समझौतों की विस्तृत शर्तों एवं निबन्धन बताने वाली प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

२. विकास ऋण निधि ने भी निम्निलिखित ऋण देने की इच्छा प्रकट की है :—

गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों को फिर से उधार देने के लिये औद्योगिक वित्त निगम को . . .	१००	लाख डालर
छोटे कुटीर उद्योगों को किराया-क्रय आधार पर देने के हेतु सामान खरीदने के लिये नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को	१००	लाख डालर
कानपुर और वारापानी विद्युत परियोजनाएं . .	४१	लाख डालर
रेलवे विकास कार्यक्रम	५०	लाख डालर

औपचारिक समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ।

३. विकास ऋण निधि शारावती थर्मल विद्युत् संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिये अहमदाबाद विद्युत् कम्पनी लिमिटेड को ३९ लाख डालर देने के लिये भी तैयार हो गई है ।

४. बातचीत और आगे भी चल रही हैं ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** सड़क परिवहन विकास योजना के अन्तर्गत ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं अथवा योजनाएं हैं जिनके लिये १३१ लाख डालर ऋण दिया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** इसके लिये मुझे समय चाहिये ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या इस निधि से तीसरी योजना अवधि में और ऋण मिलने का आश्वासन प्राप्त हुआ है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** यह ऋण १९५९–६० वर्ष के लिये है । ऋण की आवश्यकता पड़ने पर और भी ऋण लिया जायेगा ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या इस निधि से सरकार को कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त हुआ है कि वह तीसरी योजना की अवधि में इसे कोई ऋण देगी ।

†**श्री ब० रा० भगत :** क्योंकि इस निधि को अमरीका सरकार से वार्षिक आधार पर रुपये मिलते हैं अत: वे हर वर्ष ऋण का नियतन करते हैं । अगले वर्ष जब उनके पास धन आ जायेगा तब वह हमें ऋण देंगे अत : आश्वासन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनायन् चेट्टियार :** क्या इंडस्ट्रियल क्रेडिट एन्ड इनवैस्टमेंट कार्पोरेशन भी उस निधि से इस वर्ष ऋण लेने के बारे में विचार कर रहा है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** जहां तक कि इस ऋण सम्बन्धी कार्यक्रम की बात है आई० सी० आई० सी० सीधे रूप में इस निधि से ऋण की बातचीत नहीं कर सकता । आई० एफ० सी०, दी नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के लिये ऋण लेने की बात तो विचाराधीन है लेकिन आई० सी० आई० सी० की कोई बात नहीं है । वे पीछे ही विश्व बैंक से ऋण ले चुके हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि ऋण हर वर्ष मिलते हैं, पिछले वर्ष कितनी राशि मिली थी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** १९५८–५९ में हमें पांच ऋण मिले थे––३५० लाख रेलों के लिये, १८० लाख इस्पात के लिये २२० लाख औद्योगिक उपक्रमों के लिये, पत्तर विकास के लिये १०० लाख और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये १५० लाख । अगर हम यह सब राशि जोड़ लें तो हमें कुल राशि की जानकारी हो जायेगी ।

†**श्री आचार :** इस कार्यक्रम में पहिला नाम शारावती हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना का है । क्या राशि मिल गई है, यदि नहीं तो कब तक मिल जाने की आशा है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** ऋण सम्बन्धी इन समझौतों पर अभी हाल में हस्ताक्षर हुए हैं और परियोजना द्वारा आवश्यकता पड़ने पर यह राशि उस निधि से ली जायेगी ।

†**श्री त्यागी :** आज तक हमारे देश पर कुल कितना ऋण है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** यह बहुत बड़ा प्रश्न है । अगर माननीय सदस्य यह प्रश्न अलग से रखे तो हम इसका उत्तर दे सकेंगे ?

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलों के विकास के लिये सरकार को भी ऋण मिल गया है, यदि हां, तो वह कितनी राशि है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी हां । हमारा रेलवे विकास कार्यक्रम है । इसके अन्तर्गत हमने ५०० लाख डालर ऋण लिया है जिसमें से ४०० लाख डालर तो नया ऋण है तथा १०० लाख डालर पिछला ऋण है ।

†**श्री बासप्पा :** क्या शारावती हाइड्रो विद्युत् परियोजना को जो ऋण दिया गया है उसमें सभी आवश्यक विदेशी विनिमय आ जाता है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** ऐसी ही बात है ।

†**श्री त्यागी :** ब्याज की दर क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** विद्युत् परियोजनाओं के लिये गये ऋण पर ब्याज की दर ३½ प्रतिशत है और सड़क परिवहन विकास परियोजना के लिये ५¾ प्रतिशत तथा अन्य परियोजनाओं के लिये लिये जाने वाली ऋण की दर की बातचीत विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का आदेश

+

†*५८०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कोडियान :
श्री प्र० के० देव :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रपति के आदेश में निहित अनुदेशों को क्रियान्वित करने के लिये योजना बनाई जा रही है। अब तक जो कार्यवाही की गई है उसको बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८]

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस विवरण को देखने से यह पता चलता है कि तृतीय श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। उनकी प्रशिक्षा के लिये अब तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है और केवल दिल्ली में ही नहीं अपितु बम्बई तथा अन्य स्थानों में उनके लिये क्लासें खोल दी गई हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से ज्ञात होता है कि कई मंत्रालय इस सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं या कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। अत: मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके विश्वास के अनुसार कब तक इस बारे में पूरी तरह अमल हो जाएगा ?

श्री गो० ब० पन्त : कई बातों में अमल हो गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द और बातों में अमल किया जाएगा।

†**श्री सम्पत :** श्रीमन्, क्या उत्तर हिन्दी में मिल सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री महोदय उत्तर अंग्रेज़ी में भी देंगे।

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैंने कहा है कि कई बातों में अमल हो गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द और बातों में भी अमल किया जायेगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या जो सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के माध्यम में हिन्दी को वैकल्पिक रूप से रखने का कोई विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री गो० ब० पन्त : जो कोई विचार किया गया है उसका जो निर्णय हुआ है वह प्रेसीडेंट साहब ने जो अहकाम जारी किए हैं उनमें दिया गया है। उसके बाद कोई विशेष विचार किसी तरह का नहीं हुआ है।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि यह बात कई बार उठती है कि हिन्दी को सरकारी नौकरियों के लिए वैकल्पिक रूप से माध्यम रखा जाए, यद्यपि राष्ट्रपति जी के आदेश में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, पर क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर रही है?

श्री गो० ब० पन्त : सरकार अब कोई नई बात नहीं विचार कर रही है।

श्री सम्पत : यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। क्या सब प्रश्नों के उत्तर अंग्रेज़ी में मिल सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय जो भी उत्तर देते हैं वह हम सुनना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या आपका कोई प्रश्न है।

†**श्री गो० ब० पन्त :** प्रश्न अंग्रेजी में नहीं था और मैंने सोचा कि उन लोगों के लिये जिन्होंने कि प्रश्न को नहीं समझा है अंग्रेजी में उत्तर देना ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं इसका अनुवाद दे दूंगा। प्रश्न यह था कि क्या सरकार सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी रखेगी। मैंने बताया कि सरकार का निर्णय राष्ट्रपति के आदेश में निहित है और इसके अतिरिक्त किसी और दूसरी बात पर सरकार विचार नहीं कर रही है। सरकार ने जो कुछ निर्णय किया है वह राष्ट्रपति के आदेश में निहित है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं हिन्दी और अंग्रेजी में साथ साथ अनुवाद कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में मैं बातचीत कर रहा हूं। लगभग ७० या ८० ऐसे माननीय सदस्य हैं जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते उसी प्रकार कुछ सदस्य, मद्रास से, ऐसे हैं जो शायद ही हिन्दी जानते हों। अगर निर्माण, आवास और संभरण मंत्री शीघ्रता से काम लें तो यह सुविधा यहां शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेगी।

†**श्री राम नाथन् चेट्टियार :** राष्ट्रपति के आदेश में वह आश्वासन सनिद्ध नहीं है जो प्रधान मंत्री ने यहां दिया था। और मद्रास में राष्ट्रपति ने जो आश्वासन दिया था उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार उस आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए क्या सरकार राष्ट्रपति का संशोधित आदेश निकालेगी अथवा कोई विधान बनायेगी?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है।

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं समझता हूं कि स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अनुच्छेद ३४३ के अधीन १९६५ के आगे अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** गत वर्ष प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया था तथा इस वर्ष जिसकी पुनरावृत्ति की गई है उसने कुछ क्षेत्रों की जनता की भावना जहां कि लोगों में सरकार द्वारा अपनाई गई भाषा सम्बन्धी नीति के बारे में कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गई हैं, शांत किया है; माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसकी अपेक्षा क्या कुछ और अधिक मूर्त-रूप अपनाया जायेगा; क्या कुछ और अधिक उद्देश्यपूर्ण नीति अपनाई जायेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** भाषा बिल्कुल भी मूर्त नहीं होती ।

†**श्री गो० ब० पन्त :** ठोस कार्य तो विधेयक के रूप में होगा जो अनुच्छेद ३४३ के अधीन अंग्रेजी को १९६५ के आगे बढ़ाने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा । यही मूर्त रूप होगा ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या संसद् में प्रस्तुत करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** उसके बाद से उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

†**श्री तंगामणि :** राष्ट्रपति के आदेश की कंडिका ६ (ख) में भाषा के विभिन्न वर्गों को मिलाने की दृष्टि से विभिन्न भाषा का अध्ययन, एवं उनके साहित्य का अनुसंधान आदि करने के लिये प्रोत्साहन देने की बात कही गई है । इस प्रस्तावित एकेडेमी की स्थापना कब होगी और क्या केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के लिये प्रश्नों के उत्तर क्षेत्रीय भाषा में कराने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** प्रश्नों की भाषा अथवा उनके उत्तर निर्धारित करने के लिये एकेडेमी की नियुक्ति करने का कोई विचार नहीं है ? कुछ और ही ठोस काम करने का विचार है । और इस प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय एक योजना तैयार कर रहा है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सरकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम को जारी करना चाहती है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** केन्द्रीय सेवाओं अथवा अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिये तो माध्यम एक ही है । राष्ट्रपति के आदेश में कुछ प्रस्तावों की चर्चा की गई है और जिनका उल्लेख उसमें है भी, और ये प्रस्ताव सम्पूर्ण देश के लिये लाभकारी होंगे । अगर हिन्दी जारी भी कर दी जाती है तो भी लोगों को छूट मिलेगी ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में जो विद्यार्थी अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेंगे उन्हें हिन्दी में भी परीक्षा देनी पड़ेगी अथवा केवल अंग्रेज़ी में ही ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** उन्हें एक अतिरिक्त हिन्दी पर्चे में उत्तर देने का अवसर दिया जायेगा । यदि वे उस पर्चे में पास हो जाते हैं तो उन्हें विभाग में ली जाने वाली हिन्दी परीक्षा में पास होने की आवश्यकता नहीं है । अगर वे उस पर्चे में नहीं बैठते हैं तो परीक्षा में बैठने पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा ।

†**श्री थानू पिल्ले :** विवरण की कंडिका (iii) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि असफल विद्यार्थियों को उचित तिथि तक निर्धारित स्तर पाने के लिये कोई दण्ड नहीं देना चाहिये । क्या इस दण्ड में पदोन्नति और वार्षिक वृद्धि भी सम्मिलित है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी हां, मेरा ऐसा विचार है ।

†**श्री सम्पत :** विवरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हिन्दी में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा । क्या प्रशिक्षण लेना ही अनिवार्य होगा अथवा उसमें पास करना भी अनिवार्य होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह ज्ञात करना चाहते हैं कि क्या प्रशिक्षण के समय क्लास में भाग ले लेना ही काफी है अथवा जो कुछ पढ़ाया गया है उसे समझना भी आवश्यक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह आशा की जाती है कि वह समझने का प्रयत्न करेंगे तथा उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसे समझेंगे तथा उससे लाभ उठायेंगे। वे अपना समय वहां बर्बाद नहीं करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह था कि क्या उन्हें परीक्षा पास करनी चाहिये ?

†**श्री सम्पत :** क्या वे उस परीक्षा को निर्धारित समय के भीतर पास करें, क्या परीक्षा पास करना अनिवार्य है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** उनसे आशा की जाती है कि ये पहली बार ही परीक्षा पास करेंगे, यदि पहिली बार नहीं तो दूसरी बार या तीसरी बार तो अवश्य ही पास करेंगे। मेरे विचार से वे इतने बुद्धू नहीं हैं जितना कि माननीय सदस्य सोचते हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य नहीं है कि राष्ट्रपति जी का आदेश उन सिफारिशों पर आधारित है जो कि संसदीय समिति ने पेश की थीं और जो सिफारिशें उसने की थीं वह इस भावना से की थीं कि मद्रास सरकार भी उनसे सहमत है अतः फिर भी जो गलतफहमी इस समय हो रही है उसके निराकरण के लिये क्या कोई कदम उठाया जा रहा है ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं तो नहीं समझता कि अब कहां गलतफहमी है। प्रेसीडेंट का आर्डर वह जो कि पहले कमिशन ने सिफारिशें की थीं और उसके बाद पार्लियामेंटरी कमेटी ने सिफारिशें कीं और फिर उसके बाद जो यहां पर बहस हुई उन सब का लिहाज करके, वह निकाला गया है।

†**श्री सम्पत :** इसका उत्तर मैं अंग्रेज़ी में जानना चाहता हूं। चूंकि इसका प्रभाव हम पर पड़ता है अतः मैं पूरी बात जानना चाहता हूं।

†**श्री गो० ब० पन्त :** क्या राष्ट्रपति का आदेश संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। मैंने बताया है कि राष्ट्रपति ने आयोग की सिफारिशों पर संसदीय समिति के प्रस्तावों पर और उनके आदेश को यहां पारित करने में जो वाद विवाद हुआ है उस समय सदस्यों की प्रवृत्ति पर विचार किया है और उन सभी बातों पर ध्यान दिया है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि १९६५ से आगे अंग्रेजी को बढ़ाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। यह अवधि कब तक के लिये बढ़ायी जायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** विधेयक के प्रस्तुत करने पर ही माननीय सदस्य यह देख सकते हैं। अभी तक हमने अवधि के बारे में विचार नहीं किया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण की कंडिका (iii) में यह स्पष्ट किया गया है कि तृतीय श्रेणी तथा ऊपर के सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण अनिवार्य होगा लेकिन इसमें औद्योगिक संस्थान तथा वर्क चार्ज्ड स्टाफ सम्मिलित नहीं होंगे। क्या सरकार औद्योगिक कर्मचारियों को भी हिन्दी पढ़ाना चाहती है। जो लोग कारखानों आदि में काम कर रहे हैं उन्हें हिन्दी पढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें उन्होंने कहा है कि औद्योगिक कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जी हां। उन्हें छोड़ दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वे हिन्दी पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हिन्दी पढ़ाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त :** इसका उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश में नहीं है ।

दुर्गापुर का इस्पात कारखाना

+

†*५८१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री परुलकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के इस्पात कारखाने में दोषपूर्ण लट्ठेदार नींव (पाइल फाउन्डेशन्स) की जांच पड़ताल करने के लिये नियुक्त की गई समिति की उपपत्तियों की जांच हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी बातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या सावधानी बरती जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) अभी तक समिति के प्रतिवेदन की जांच नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग) जैसा कि मैंने सभा को पहले बताया था भारतीय स्टील वर्क्स कानस्ट्रक्शन कम्पनी उपचारात्मक उपाय करने के लिये सहमत हो गई है । ये सारे उपाय कम्पनी अपने खर्च पर करेगी और इसके अलावा इस्पात कारखानों को जो और क्षति पहुंचेगी उसकी भी मरम्मत वह अपने खर्च से करेगी । कम्पनी दस वर्ष की अवधि तक यह काम करेगी । कारखाने के बोर्ड पाइल्स वाली बुनियादों के संस्थापन को जो क्षति होगी यह मरम्मत उसी की होगी । काम का निरीक्षण भी अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से होगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** मन्त्रालय अथवा हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लि० ने कौन से उपाय किये हैं कि उनकी ऐसी त्रुटियां दुबारा न हों ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हिन्दुस्तान स्टील ने इस दिशा में प्रभावपूर्ण कार्यवाही की है । उदाहरणार्थ दुबारा ढेर लगाने और नीचे से पिन करने आदि के उपाय किये गये हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है । काम की देखरेख का प्रबन्ध और भी अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** दुबारा पाइल करने के अतिरिक्त ठेकेदारों को क्या और भी अतिरिक्त दण्ड दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जैसा कि मैंने पहले बताया है उन्होंने गारण्टी दी है कि यदि १० साल के भीतर कोई कमी आ गई तो वे जिम्मेदार होंगे । इसके अलावा आई० एस० सी० ओ० एन० को दी जाने वाली अदायगी पर भी दुबारा विचार किया जा रहा है । अब उसमें भी उपयुक्त समायोजन कर दिये जायगे । उस उद्देश्य के लिये उपर्युक्त निकाय को की जाने वाली अदायगी में से १० लाख रुपये की तदर्थ रकम कम कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इन त्रुटिपूर्ण बुनियादों से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के काम पर बुरा असर पड़ा और यदि हां तो कितने रुपये की हानि हुई ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कारखाना चालू होने से पहले ही इस त्रुटि को देख लिया गया था इसलिये उत्पादन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा । जिस तारीख तक इस कारखाने को पूरा तैयार करना था उसमें भी कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ा क्योंकि मरम्मत आदि का काम ठीक समय में ही कर लिया गया था ताकि कारखाने के विभिन्न विभाग अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार चालू हो सकें ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या यह सच है कि त्रुटिपूर्ण पाइलों सम्बन्धी नुक्स का पहले पहल अखबारों के द्वारा ही पता चला और यदि हां तो भविष्य के लिये क्या सावधानियां बर्ती जा रही हैं ताकि अखबारों की खबर देखे बिना ही त्रुटियों का ज्ञान हो जाये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरे विचार में इस त्रुटि की सूचना पहले पहल अखबारों के द्वारा नहीं पहुंची । वहां पर निरीक्षक कर्मचारी हैं और वे अच्छी देखरेख करते हैं यदि कहीं कोई त्रुटि उन्हें दिखाई देती है तो वे उसकी सूचना प्रशासन को तुरन्त देते हैं ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** आई० एस० सी० ओ० एन० ने गारण्टी तो दी है किन्तु दुर्गापुर इस्पात कारखाने के काम के ठेके को छोड़ कर क्या इस संस्था का कोई पृथक् अस्तित्व भी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था और उस समय मैंने बताया था कि उपर्युक्त संस्था में सम्मिलित विभिन्न फर्में इस गारण्टी को निभायेंगी ?

टैगोर शताब्दी

\+

†*५८२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सुबिमन घोष :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मिनिमाता :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और विदेशों में टैगोर शताब्दी मनाने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, हां ।

(ख) रवीन्द्र नाथ टैगोर शताब्दि समिति ने अपने त्रैमासिक "टैगोर शताब्दि बुलेटिन" का पहिला अंक निकाल लिया है । इस में आयोजन के मुख्य कार्यक्रम दिये हुए हैं । इस बुलेटिन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह शताब्दि मई, १९६१ में मनाई जायेगी, क्या मैं जान सकता हूं कि पूरी योजना पर कब तक अन्तिम रूप से निश्चय हो जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह कार्यक्रम न केवल राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, अपितु यह कार्यक्रम अन्य देशों में भी मनाया जायेगा । कुछ निश्चित कार्यक्रमों पर काम प्रारम्भ हो चुका है, कुछ नये कार्यक्रमों पर निश्चय किया जा रहा है । यह कार्य शताब्दि मनाने तक जारी रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वी० चं० शर्मा :** क्या हमारा देश इटली और ब्रिटेन इत्यादि देशों को जो टैगोर शताब्दि मना रहे हैं कुछ सहायता देगा, यदि हां तो किस रूप में ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस सम्बन्ध में कुछ संकेत बुलेटिन में कर दिये गये हैं । हम टैगोर के चित्रों का पुनः प्रकाशन करना चाहते हैं, कई देशों ने हम से प्रदर्शनी करने के उद्देश्य से इन चित्रों की मांग की है । हम अन्य तरीकों से भी इन देशों के साथ सहयोग करेंगे ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या टैगोर शताब्दि आयोजन का पूरा प्रभार वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय पर ही है अथवा सूचना और प्रसार मंत्रालय भी इस सम्बन्ध में कुछ काम कर रहा है, यदि हां, तो उक्त दोनों मंत्रालयों के बीच किस प्रकार का सम्पर्क स्थापित है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** ऐसा आयोजन किसी मंत्रालय की विशेष सम्पत्ति नहीं बन सकता है । हम प्रत्येक सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति से सम्पर्क रख रहे हैं । सूचना और प्रसार मंत्रालय ने भी इस सम्बन्ध में काफी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है । हमारे मंत्रालय में एक समायोजन इकाई भी है जिसमें सूचना और प्रसार मंत्रालय को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

सेठ गोविन्द दास : यह उत्सव हमारे देश के बाहर किन किन देशों में हो रहा है और इस सम्बन्ध में किन किन देशों ने हमारे मंत्रिमंडल से सलाह ली है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह लम्बी फेहरिस्त है । जर्मनी, इटली, जापान, यू० के०, यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर०, चेकोस्लोवाकिया, अर्जेन्टाइना, यूगोस्लाविया, रूमानिया, फ्रांस ।

सेठ गोविन्द दास : किन किन से सलाह ली गई है ?

श्री हुमायून कबिर : हर जगह से सलाह ली गई है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** सरकार द्वारा इन आयोजनों में कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह कहना कठिन है क्योंकि बहुत से लोग स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से व्यय कर रहे हैं, अन्य देश भी इस सम्बन्ध में व्यय कर रहे हैं । शताब्दि समिति ने अपने सम्मुख एक करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है ।

†**श्री त्यागी :** क्या शताब्दि मनाने में एक करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : जी हां । माननीय सदस्य को इस बात से नहीं घबराना चाहिये क्योंकि समिति ने यह निश्चय किया है कि उक्त सारी राशि आयोजनों में व्यय नहीं की जायेगी अपितु, स्थायी स्मारकों में व्यय की जायेगी, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से देश की संस्कृति में प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या टैगोर की कुछ रचनाओं का अनुवाद पश्चिम अफ्रीकी भाषा में यथा फान्टी और ट्वी भाषाओं में भी किया जायेगा, जैसी कि कवि ने स्वयं अपने जीवनकाल में इच्छा प्रगट की ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं प्रश्न के पिछले अंश को नहीं समझ सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह :** जब सी० एफ० एन्ड्रूज पश्चिम अफ्रीका में थे, तो कवि ने अपने जीवन काल में यह इच्छा प्रगट की थी कि उनकी कुछ विश्वजनीन रचनाओं का फान्टी, ट्वी और कुछ पश्चिम अफ्रीकी भाषाओं में अनुवाद किया जाय। क्या इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया गया है, या शताब्दि आयोजन के पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ कार्य किया जायेगा।

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमने पश्चिमी अफ्रीकी भाषाओं में अनुवाद के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया है। अब हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में कुछ कार्य हो सकता है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि समिति द्वारा श्री अमल होम की नियुक्ति की गई है ; यदि हां, तो किस पद पर की गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** समिति ने श्री अमल होम की नियुक्ति नहीं की है। उनकी नियुक्ति सूचना तथा प्रसार मंत्रालय ने मंत्रालय के अधीन आयोजित विशेष कार्यक्रमों का संगठन करने के उद्देश्य से की है।

कामगरों की शिक्षा के लिए संध्या कालीन संस्थायें

†*५८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामगरों की शिक्षा के लिए संध्याकालीन संस्था खोलने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह संस्था कब से खुलेगी; और

(ग) इस योजना से प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). संस्था ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। योजना का प्रशासन मध्य प्रदेश की सरकार को सौंप दिया गया है।

(ग) प्रारम्भ में ३२०० प्रति वर्ष और अन्त में इसकी क्षमता ७००० प्रति वर्ष तक हो जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** ३२०० रु० प्रति वर्ष पर चलने वाली इस संस्था का क्या रूप होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य ने स्वयं अपने प्रश्न को नहीं समझा है। प्रश्न यह था कि प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा ? मैंने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि इतने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा इस का धन राशि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** किस वर्ग के लोग इस संस्था में प्रवेश पा सकेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कामगरों का एक पृथक वर्ग है, सभी प्रकार के कामगर इसमें प्रवेश पा सकेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रवेश के लिए कोई अर्हता विहित की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कोई शिक्षा अर्हता विहित नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : इस संस्था में जो पढ़ाई होगी, उस के लिये क्या कोई विशेष प्रकार का पाठ्य क्रम रखा गया है ? और अगर रखा गया है तो वह क्या है और किस की सलाह से रखा गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैने जैसा अभी आप से निवेदन किया, यह सारी योजना मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है । वे ही इस की सारी रूपरेखा बनायेंगे । मकसद यह है कि जो मजदूर काम करते हैं मिलों में और फैक्ट्रियों में, उन को शिक्षा पाने का अवसर मिल सकें । शिक्षा हो, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कुछ आमोद प्रमोद के साधन हों, इस तरह की योजना इस केन्द्र में रखी गई है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया, संस्था की शुरुआत मध्य प्रदेश में कर दी गई है, लेकिन उस का खर्च न तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और न राज्य सरकार दे रही है । सारा खर्च ट्रेड यूनियन को करना पड़ रहा है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : सारा खर्च भारत सरकार देगी ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मेरा निवेदन यह है कि अभी भारत सरकार ने भी कुछ नहीं दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया है, और जो खर्च हो रहा है वह स्थानीय ट्रेड यूनियन का ही हो रहा है । तो जितना खर्च हो रहा है क्या वह जल्दी से जल्दी वापस चुका दिया जायेगा और आगे के खर्च के लिये प्रबन्ध किया जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, पूरा खर्च दिया जायेगा । जरा माननीय सदस्य मध्य प्रदेश सरकार को ताकीद कर दें कि वे इस की योजना जल्दी से जल्दी भेज दें ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि वहां क्या पाठ्यक्रम रहेगा इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखा है, और क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कोई सलाह दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** केन्द्रीय सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच कुछ बातचीत हुई थी । मध्य प्रदेश सरकार ने इस संस्था के सामान्य कार्य की देख-रेख करने के लिये एक कार्यकारी बोर्ड और एक परामर्शदाता समिति बनाने का निश्चय किया है । समिति यथासमय विस्तृत कार्यक्रम इत्यादि तैयार कर लेगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** इस योजना में प्रति वर्ष कितना व्यय किया जायेगा और सरकार इस मद में कितना व्यय कर रही है । क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना का पूरा व्यय उठा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह संस्था १५ अगस्त, १९६० से प्रारम्भ हुई है । निस्संदेह कुछ कक्षायें पहिले से ही प्रारम्भ हो गई थीं । मैं अभी नहीं कह सकता कि इसमें कितना व्यय किया जायेगा ? मैं केवल यह कह सकता हूं कि चालू वर्ष के लिये बजट में ९०,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह इन्स्टिट्यूशन लाभदायक है तो क्या यह सरकार दूसरी प्रदेश सरकारों को सलाह देगी कि वहां भी इस तरह के इन्स्टिट्यूशन खोले जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, मक़सद यही है कि यह जो पायलेट प्राजेक्ट शुरू की गई है, अगर यहां सफलता मिली, तो मुझे पूरी आशा है कि और प्रान्तों में भी इस तरह की संस्थायें खोली जायेंगी ।

†**श्री कुन्हन :** क्या सरकार अन्य राज्यों में भी ऐसी संस्थाओं को खोलने का विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं इस प्रश्न का उत्तर इस से पहिले ही दे चुका हूं ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : क्या यह व्यय मंत्रालय अथवा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह व्यय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जायेगा ।

आस्ट्रेलिया से घोड़ों का आयात

\+

†*५८९. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री कोडियान :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री आगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सेना के लिये आस्ट्रेलिया से घोड़े मंगाये गये थे ;

(ख) कितने घोड़े मंगाये गये थे और उन का कितना मूल्य था ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ घोड़े रास्ते में ही मर गये ;

(घ) यदि हां, तो कितने घोड़े मरे ;

(ङ) उन के मरने के क्या कारण थे ; और

(च) बाकी घोड़ों की क्या हालत है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) से (च). आस्ट्रेलिया से दो पारी में भेजे गये ३६४ घोड़ों में से, जिन की लागत, बीमा, भाड़ा सहित कलकत्ता पहुंचने की कीमत, औसतन १६० पौंड थी, २४ घोड़े मार्ग में और ४ घोड़े ७ दिन के भीतर मर गये । १४ अन्य घोड़ों को असंतोषजनक अवस्था में होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया । जिन ३२२ घोड़ों को स्वीकृत किया गया उन की अवस्था अच्छी है । उन की मृत्यु का कारण शायद यह है कि उन्हें यात्रा के दौरान उस प्रकार का भोजन नहीं मिल सका जिसके वे आदी थे, अथवा यात्रा के दौरान की हालतों और परिणामस्वरूप भूखे रहने के कारण उन की मृत्यु हो गई । जहाज के निचले डेकों में रहने की उपयुक्त सुविधाओं के अभाव का भी उन की हालत पर खराब असर पड़ा होगा । ठेके की शर्तों के

†मूल अंग्रेजी में

अनुसार केवल उन्हीं घोड़ों के लिये कीमत दी जायेगी जो विहित शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकार किये जायेंगे । सरकार को इस से कोई हानि नहीं हुई है ।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या इन घोड़ों की हमारे विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा कर ली गई थी ?

†**सरदार मजीठिया :** यह सही है कि हमारे एक अधिकारी ने वहां जा कर उन की जांच की. तथापि इस से सरकार को कोई हानि नहीं हुई क्योंकि सरकार को केवल उन्हीं घोड़ों की कीमत देनी है, जो मंजूर किये जायेंगे ।

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या सरकार सब घोड़ों की कीमत अदा करेगी या केवल उन घोड़ों की कीमत अदा करेगी जो जीवित पहुंचे हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** जो घोड़े मार्ग में मर गये या यहां पहुंचने के ७ दिन के भीतर मर गये उन के लिये कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी । उन घोड़ों के लिये भी कोई कीमत नहीं देनी होगी जिन्हे अस्वीकार कर दिया ।

†**श्री जयपाल सिंह :** १४ घोड़ों को विहित मापदंडों के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया । मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार उन्हें आस्ट्रेलिया ही वापस भेजने पर जोर दे रही है, यद्यपि यहां उन के खरीददार मौजूद हैं, उदाहरणार्थ इंडियन पोलो क्लब उन्हें खरीदना चाहता है । क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालय से इस संबंध में बातचीत की है कि उन को अनावश्यक रूप से वापस न लौटाया जाये ।

†**सरदार मजीठिया :** इस संबंध में हम से किसी ने कोई बातचीत नहीं की है । यदि इस संबंध में बातचीत की जायेगी तो हम मामले पर विचार करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस प्रश्न पर आश्चर्य हो रहा है । वस्तुतः यह उस पक्ष का जिस को हानि होने की संभावना है कर्त्तव्य है कि वह सरकार से गैर-सरकारी व्यक्तियों को सहायता देने के लिये बातचीत करे । हम उन लोगों के जिन को घाटा हो रहा है एजेंट नहीं हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** वस्तुतः यह स्थिति दक्षिण अफ्रीकी घोड़ा बीमारी के कारण पैदा हुई है । पाकिस्तान से भी घोड़ों का आयात बन्द है । विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां भी हैं । इस समय जब कि देश में घोड़े उपलब्ध हैं सरकार का यह कर्त्तव्य है कि यह घोड़े वापस न जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न नितांत काल्पनिक है । यदि माननीय सदस्य के पास किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग या राज्य की कोई विशेष अर्जी या कोई विशेष मामला हो, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया है, तब अवश्य माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछ सकते हैं । यदि वे सामान्य रूप से यह पूछेंगे कि सरकार क्या करने का विचार कर रही है तो सरकार यही करेगी कि प्रार्थनापत्र आने पर विचार किया जायेगा । इस प्रकार कोई प्रयोजन हल नहीं होगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** प्रश्न यह नहीं है, देश में कई बहुत अच्छे घोड़ा प्रजनन केन्द्र हैं ।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें

†*५९०. **श्री सूपकार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं के उत्पादन का मूल्यांकन किया गया है जिन में अंशतः या पूर्णतः विदेशी ऋणों से प्राप्त पूंजी लगी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे ऋण का कितना भाग सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में अतिरिक्त उत्पादन से प्राप्त आय में से चुकाया जाता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के उत्पादन का मूल्य समय-समय पर आकां जाता है। चाहे उन पर विदेशी पूंजी लगी हो या अन्य प्रकार की ।

(ख) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के अतिरिक्त उत्पादन से ऋणों के चुकाने के लिये पृथक् राशि नहीं रखी जाती है । इन परियोजनाओं के उत्पादन से हमारे विदेशी मुद्रा संबंधी संसाधनों में, या तो उस की बचत या उन के उपार्जन के द्वारा प्रत्यक्षत: वृद्धि होती है, या देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से अप्रत्यक्षत: वृद्धि होती है। संसाधनों के इस प्रकार बढ़ने या सुदृढ़ होने से विदेशी ऋण चुका दिये जायेंगे ।

†**श्री सूपकार** : क्या मूल आशा को ध्यान में रख कर सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं के उत्पादन का कोई हिसाब लगाया गया है कितनी प्रतिशत आशा फलीभूत हुई है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : एसी परियोजनाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशेष परियोजना में उत्पादन लक्ष्य से कितना कम या अधिक हुआ है । इस बात का पूर्ण उत्तर पाने के लिय उन्हें विशेष मंत्रालय से जिस के अधीन कोई विशेष परियोजना आती है, यह प्रश्न पूछना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : विदेशों द्वारा लिये गये ऋणों से संचालित विशेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन ऋणों को इन परियोजनाओं के पूंजी लेखे में नहीं दिखाया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : केवल विद्युत् परियोजनाओं को छोड़ कर कोई ऐसी परियोजना नहीं है, जिस का संचालन केवल विदेशी ऋण से ही होता है । क्योंकि उन के लिये उसी सीमा तक ऋण लिया जाता है जिस सीमा तक उन के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, उस के लिये भी समान राशि के रुपये का ऋण दिया जाता है । इस सब को पूंजी बजट के अधीन दिखाया जाता है । यदि कोई ऋण है तो उसे वापस किया जायेगा ।

†**श्री सूपकार** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । उदाहरणार्थ हम ने यह आशा की है कि दूसरी परियोजना के दौरान सरकारी क्षेत्र की इन परियोजनाओं से कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी । हमारी यह आशा किस सीमा तक पूरी हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : आप इस संबंध में मत जानना चाहते हैं तथ्यों को नहीं । इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त मंत्री के बजट भाषण में या अन्य स्थानों में बताया जा चुका है । मोटे तौर पर हम इन ऋणों को चुकाने की स्थिति में हैं, जिन परियोजनाओं के लिये यह ऋण लिया गया है वह अच्छा काम कर रहे हैं, अत: इस सम्बन्ध में चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा उपद्रवी

†*५९१. श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बासुमतारी :
श्री विश्वनाथ राय :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री हेम बरूआ :
श्री बै० च० मलिक :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ मई, १९६० की रात को इम्फाल से लगभग ६६ मील दूर नागा पहाड़ियों की सीमा पर माओ में चतुर्थ आसाम राइफल के शिविर पर लगभग २०० नागा उपद्रवियों ने आक्रमण किया ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त झड़प और उस में हताहत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) और (ख). ३१ मई १९६० की रात को लगभग २०० नागा सशस्त्र उपद्रवियों ने माओ पुलिस स्टेशन और चौथी आसाम राइफल कैम्प में आक्रमण किया । इस मुठभेड़ में चौथी आसाम राइफल का एक सिपाही जोकि पहरे पर चक्कर लगा रहा था मार डाला गया और एक घायल हो गया । यह नहीं पता लग सका है कि इस मुठभेड़ में कितने नागा उपद्रवी घायल हुए या मार डाले गये ।

†श्री प्र० के० देव : वहां की गम्भीर वारदातों को ध्यान में रख कर सरकार उन उपद्रवी नागाओं को पकड़ने और उन पर न्यायालयों में मुकदमा चलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री गो० ब० पंत : बहुत बड़ी संख्या में उपद्रवी नागा लोग पकड़ लिये गये हैं और नागाओं की बड़ी संख्या ने आत्मसमर्पण कर दिया है । हाल में जो कदम उठायें गये हैं उन से स्थिति में और सुधार होने की आशा है । सभी सामरिक महत्व के स्थानों में आसाम राइफल और अन्य प्रतिरक्षा बलों के सदस्य मौजूद हैं ।

†श्री प्र० के० देव : क्या इस झड़प में मारे गये व्यक्ति को कुछ प्रतिकर दिया गया है ?

†श्री गो० ब० पंत : मेरे विचार से ऐसे मामलों में नियमों के अधीन प्रतिकर दिया जाता है ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि भारत संघ के अधीन पृथक् नागालैंड बनाने की घोषणा के पश्चात् से भी उपद्रवी नागा लोगों की वारदातें जारी हैं ? यदि हां, तो क्या देशभक्त नागा लोगों से इन उपद्रवियों को ऐसी वारदातें करने से रोकने के लिये कहा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पंत :** यह स्वाभाविक है कि अभिसमय में सम्मिलित नागा लोग शांति और व्यवस्था बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे वे लोग या तो इन उपद्रवी नागाओं को अपनी ओर मिलायेंगे अथवा ऐसे कदम उठायेंगे जो इस प्रयोजन के लिये अनिवार्य होंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या भारत सरकार द्वारा नागालैण्ड की मांग स्वीकृत किये जाने के पश्चात् से नागा उपद्रवियों के रवैये में कुछ अन्तर आया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं आशा करता हूं ऐसा हुआ है, तथापि निश्चित रूप से कह सकने के लिये मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माओं की घटना ३१ मई, १९६० को हुई। क्या तब से आसाम राइफल माओं तथा उसके आसपास स्थिति में सुधार करने में समर्थ हुई है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** स्थिति विशेष खराब नहीं हुई है । उपद्रवी नागाओं ने यदा-कदा ऐसी वारदातें करने का प्रयत्न किया है, तथापि उनका मुकाबला किया गया है ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** क्या उस प्रतिनिधिमण्डल में जिसने पृथक् नागालैण्ड के निर्माण के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री से बातचीत की थी, उसमें इन उपद्रवी नागाओं के भी प्रतिनिधि शामिल थे या उनके प्रतिनिधि शामिल करने का कोई प्रयत्न किया गया था ?

†**श्री गो० ब० पंत :** अभिसमय ने प्रधान मन्त्री से मिलने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल की नियुक्ति की। प्रधान मन्त्री ने उनके साथ बातचीत की और उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या सरकार इस बात का अनुमान दे सकती है कि पिछले युद्ध के पश्चात् वहां कितना युद्धास्त्र छोड़ा गया ? इन्हीं युद्धास्त्रों के द्वारा ये वारदातें हो रही हैं, क्या उन्हें इस बात का कुछ अनुमान है कि इनकी कितनी राशि वहां है ?

†**श्री गो० ब० पंत :** मेरे विचार से अब इन युद्धास्त्रों की मात्रा बहुत कम रह गई है ?

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की शिक्षा

+

†*५९३. { **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब राज्य सरकारों ने अभी तक ये आंकड़े नहीं भेजे हैं कि १९५८-५९ और १९५९-६० में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों के नाम लिखे गये ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन कौन हैं जिन्होंने अभी आंकड़े नहीं भेजे हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने आंकड़े भेजने में विलम्ब होने के कोई कारण बताये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क), (ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के वार्षिक आंकड़े सम्मिलित रूप से एकत्र किये जाते हैं। १९५८–५९ के लिये पांच को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों ने अपने दाखिले के आंकड़े भेज दिये हैं। १९५९–६० के आंकड़ों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख ३१ अक्टूबर १९६० है, किसी राज्य ने अभी तक तत्सम्बन्धी आंकड़े नहीं भेजे हैं।

(ख) १९५८–५९ के जिन राज्यों ने सम्मिलित आंकड़े नहीं भेजे हैं वे आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, जम्मू और काश्मीर और हिमाचल प्रदेश हैं।

(ग) इन आंकड़ों को भेजने में विलम्ब के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कोई कारण नहीं बताये हैं। कुछ राज्यों ने इसका सामान्य कारण यह बताया है कि उनकी प्रारम्भिक इकाइयों से उक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

†**श्री रा० चं० माझी :** विवरण में केवल १९५८ के सम्मिलित आंकड़े दिये गये हैं। यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातिओं को पृथक् मदों के अधीन वृत्तियां दी जाती हैं तो पृथक् जानकारी एकत्र करने में क्या कठिनाई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कठिनाई यह है कि राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी. कुछ राज्यों ने जानकारी दे दी है। कुछ राज्यों ने यह अनुभव किया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके लिये सांख्यिकी एककों का विस्तार करना सम्भव नहीं होगा, इसलिये विभिन्न वर्गों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। हमारे पास सभी राज्य के सम्मिलित आंकड़े मौजूद हैं।

†**श्री बासप्पा :** क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्य सरकारों से जानकारी मिलने मे अत्यधिक विलम्ब के कारण अनुसूचित जातियों सम्बन्धी प्रगति का अनुमान लगाने में कठिनाई होती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां, इन आंकड़ों को प्राप्त करने मे विलम्ब हुआ है। हम राज्यों को उनके सांख्यिकी एककों के सुधार में सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं नहीं समझ सका कि कठिनाई कहां है ? रुपया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये दिया गया है, अतः आंकड़ों का कोई प्रश्न नहीं है। आप विशेष वर्ग को विशेष राशि देते हैं, आप उसे उस राशि से भाग देकर अपेक्षित राशि प्राप्त कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब यह राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिये है तो इसमें कठिनाई क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कठिनाई यह है कि यह सहायता केन्द्रीय सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। यह सहायता राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही है और उन्होंने ही यह जानकारी देनी है। कुछ राज्यों ने यह जानकारी दे दी है, अन्य पांच राज्यों ने भी यह जानकारी भेजने को कहा है। मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र आयेगी। निस्सन्देह इसमें कुछ समय लगेगा। मैं आशा करता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक सभी राज्य सरकारें नियम से यह जानकारी भेजने लगेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार सभी राज्यों से जिन में, यह पांचों राज्य भी शामिल हैं यह प्रार्थना करेगी कि वे १९५९–६० के लिये पृथक् जानकारी भेज देवें, क्योंकि अभी उनके पास भेजने का समय है, अभी तक किसी राज्य ने यह जानकारी नहीं भेजी है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम उनसे अनुरोध करेंगे।

राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने

\+

†*५९४. **श्री प्र० के० देव** :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सूपकार :
श्री परुलकर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हाल्दर :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री न० म० देब :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जून १९६० तक राउरकेला और दुर्गापुर की धमन भट्टियां कितनी बार बन्द हुई हैं;

(ख) धमन भट्टियों में कच्चे लोहे का उत्पादन बन्द होने के क्या कारण थे; और

(ग) सराकर द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) (ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिच्छेद २, अनुबन्ध संख्या ५९**]

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से ज्ञात होता है कि धमन भट्टियों मे निरन्तर तीन महीनों यथा अप्रैल, मई, जून में काम ठप्प हुआ, विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि पहिली दो बार के लिये इसका आरोप सम्भरण कर्त्ताओं के ऊपर डाला गया है कि उन्होंने घटिया किस्म की अयस्क भेजी, अन्तिम बार काम के ठप्प होने का कारण प्रवर्तन की खराबी बताई गई है। क्या सरकार इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर रही है कि वे इस मामले की जांच करें जिससे यह स्थिति दुबारा न पैदा होने पाये ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस प्रकार की विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले की विशेषज्ञों द्वारा देखभाल की जा रही है।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इससे उत्पादन या जन घन्टा उत्पादन में कोई कमी हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : काम के ठप्प होने के कारण धमन भट्टी काम नहीं कर सकी, इससे उस दौरान कच्चे लोहे का उत्पादन नहीं हो सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : या यह राउरकेला के प्रवर्तन कर्मचारियों का कर्तव्य नहीं है कि वे लोह अयस्क को दमन भट्टियों में डालने के पूर्व उन बारीक तत्वों को हटा लेवें जिनसे यह संकट पैदा होता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि उपयुक्त जांच संयंत्र से धमन भट्टो मे डाले जाने वाले लोह अयस्क को त्रुटियों से मुक्त किया जा सकता है। तथापि इस सम्बन्ध मे यांत्रिक व्यवस्था न होने के कारण लोह अयस्क को हाथ से निकाल कर डिब्बों मे चढ़ाया जाता है। उसकी जांच की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। जैसे ही यान्त्रिक जांच व्यवस्था पूरी हो जायेगी, यह कठिनाई फिर पैदा नहीं होगी। इस बीच इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम से बातचीत की जा रही है कि वे इस बात पर गौर करें कि लौह अयस्क में महीन तत्व मौजूद न हो।

†**श्री मुखरका** : क्या यह सच नहीं है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में इस टैक्नीकल कठिनाई के अलावा धमन भट्टी संख्या ३ यद्यपि चालू होने के लिये बिल्कुल तैयार है, तथापि वह कोयले की कमी के कारण चालू नहीं की जा रही है। यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इससे इस्पात संयंत्र को कितनी हानि पहुंच रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। तथापि धमन भट्टी संख्या तीन चालू होने के बिल्कुल तैयार है। तथापि दो या तीन कारणों से उसे उत्पादन के लिये चालू नहीं किया जा रहा है। पहिला यह कि कच्चे माल की आवश्यक मात्रा में संभरण के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। दूसरे यह कि रालिंग मिलें जिन्होंने इस्पात को रालिंग के प्रयोजनों के लिये लेना है अभी तैयार नहीं हैं। यदि धमन भट्टी में काम हो गया तो लोहे का कोई उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि कच्चा लोहा ढालने वाली मशीन एक ही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र बड़े पैमाने पर कच्चा लोहा उत्पादन करने के लिये नहीं बनाया गया है। इसलिये आवश्यक मशीनों के एक साथ तैयार न होने के कारण ही हम इस धमन भट्टी को चालू नहीं कर रहे हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यद्यपि एक बहुत प्रतिष्ठित सहचर्य के हाथों में राउरकेला की व्यवस्था का कार्य है तो भी वहां की धमन भट्टी तीन बार ठप्प हो गई है। इसी प्रकार दुर्गापुर मिल में गलत ढंग से संग्रह करने के मामले हुए हैं। इन दोनों मिलों से प्राप्त अनुभव का क्या लाभ उठाया गया है, क्या इस अनुभव का तीसरे कारखाने में उपयोग नहीं किया जायेगा। आपने इस अनुभव से क्या लाभ उठाया है, यह प्रतीत नहीं होता कि आप इस अनुभव से लाभ उठा रहे हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस प्रश्न का मन्तव्य नहीं समझ सका हूं अतः इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। मैं सविनय केवल यही कह सकता हूं कि हम अपने अनुभव का लाभ उठा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खानों से कोयला निकालना

†*५८३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में खानमालिकों और पट्टेदारों को खान बन्द करने से पहिले उन से पूरा कोयला निकालने के लिये बाध्य करने के प्रयोजन से कोई विधान बनाने या नियमों में परिवर्तन करने का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये आजकल क्या कार्यवाही की जाती है कि प्रत्येक खान को अन्तिम रूप से बन्द करने के पहिले उससे पूरा कोयला निकाल लिया जाय ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) खान तथा खनिजों (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७, खनिज रियायत नियमों और कोयला खान (रक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ और उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, खानों के अन्तिम रूप से बन्द हो जाने से पूर्व इस उद्देश्य के लिये कि जहां तक कोयला निकालना लाभदायक हो निकाला जाए कुछ शर्तियां पहले ही उपलब्ध हैं ।

सिंगरौली कोयला-क्षेत्र

†*५८४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में हाल में पाये गये सिंगरौली कोयला-क्षेत्र में कितना कोयला मिलने की संभावना है ; और

(ख) इस निक्षेप को निकालने की क्या योजनायें हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सिंगरौली कोयला-क्षेत्र लगभग ८०० वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं । ६.३ वर्ग मल के क्षेत्र के अन्दर, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने दो दरारों के बीच ६७६० लाख टन कोयला पहले ही सिद्ध कर दिया है । क्षेत्र के भूतत्व से पता चला है कि दरारों के अधिक क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है । इसलिये समूचे कोयला-क्षेत्र की संभावना काफी अधिक समझी गई है ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में सिंगरौली कोयल-क्षेत्र में २५ लाख टन कोयला निकालने का प्रस्ताव है ।

हायर सेकन्डरी स्कूलों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

†*५८५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ाकर हायर सैकंडरी बनाये गये विभिन्न स्कूलों तथा अन्तु निकायों के लिए राज्यों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्तीय वर्ष के अन्त तक संस्थाओं को प्राप्त नहीं होती ;

(ख) क्या स्थिति का निर्धारण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विशेषकर राजस्थान के बारे में क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं कि आया संबंद्ध राज्य सरकारें संस्थाओं को यह राशि बांटती हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम के एजेन्ट

†*५८६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम के अनेक एजेन्टों की एजेंसियां समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि वे १९५८ और १९५९ के वर्षों में अपेक्षित न्यूनतम व्यापार न कर सके थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने एजेण्टों का एजेंसियां समाप्त का गई हैं ;

(ग) क्या ये एजेन्ट अन्य क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों का तरह बोनस पाने के हकदार हैं ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नये उम्मीदवारों की भर्ती करेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) १ जनवरी से ३० अप्रैल, १९६० तक १४,११८ एजेंट हटाये गये हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी, हां ।

करों का आपात

†*५८७. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय में विभिन्न करों के आपात के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है ; और

(ख) क्या इस अनुसन्धान के निष्कर्ष जनता को बताये जायेंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**:(ख) १९५८–५९ में परोक्ष करों के आपात का वित्त मंत्रालय द्वारा इस समय अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

पंजीबद्ध भारतीय समवायों की आय

†*५९२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजीबद्ध (रजिस्टर्ड) भारतीय समवायों तथा व्यापारियों की आय की बहुत बड़ी राशि पाकिस्तान में पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने का विचार कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख) ख्याल है कि माननीय सदस्य के मन में पाकिस्तान में काम करने वाले भारतीय समवायों और व्यापारियों के लाभों के देश में भेजने का मामला है । यह सच है कि इन समवायों और व्यापारियों की भारत में अपने लाभ को भेजने में कठिनाइयां अ भव होती है, हालांकि ऐसे विप्रेषण चालू ढंग के होते हैं जो सामान्य बैंक प्रक्रिया के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के नियमों के अधीन बिना प्रतिबंध भेजने जाने देने चाहियें । समय समय पर लाभ विप्रेषण में होने वाली कठिनाइयों की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया गया है । जुलाई १९५९ में भारत-पाकिस्तान वित्तीय सम्मेलन में इस पर चर्चा

†मूल अंग्रज़ी में

की गई थी, परन्तु कोई संतोषजनक हल नहीं निकला। सरकार भविष्य की बातचीत में इस मामले पर अग्रेतर विचार करने का विचार रखती है।

"आसाम सिलिमेनाइट लि०" में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की पूंजी

†*५९५. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १ जुलाई, १९६० के "पायनीयर" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि विश्व बैंक से सम्बद्ध निकाय अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने "असाम सिलिमेनाइट लि०" में लगभग १,३६५,००० डालर लगाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है ;

(ग) क्या धन लगाने का निश्चय भारत सरकार की अनुमति से किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो धन किन शर्तों पर लगाया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) आसाम सिलिमेनाइट सीमित ने १३·६५ लाख डालर (६५ लाख रुपये) के ऋण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से प्रार्थना की और निगम ने वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्णता पर यह धन लगाना स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावित धन नियोजन से प्रतिवर्ष ४६००० टन अभ्रकसह माल तैयार करने वाला संयंत्र चलाने में सहायता मिलेगी। यह संयंत्र बिहार राज्य में रायगढ़ में लगाया जाएगा।

(ग) जी, हां। भारत सरकार ने सिद्धान्ततः धन लगाना स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावित करार के विस्तृत निबंधनों और शर्तों का अभी परीक्षण और अनुमोदन किया जाना है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रस्तावित निबंधनों और शर्तों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०**]

रूस से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

†*५९६. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री सूपकार :
श्री सुगन्धि :
श्री अगाड़ी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए कोई करार किया है ;

†मूल अंग्रेजी में]

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत पैट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा आयात की जायेगी ; और

(ग) उसका कितना मूल्य होगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). रूसी तेल निर्यात संगठन के साथ बात चीत के फलस्वरूप, पूर्णत: सरकारी स्वामित्व वाले वितरण संगठन, इन्डियन आयल कम्पनी सीमित द्वारा १५-७-६० को रूस के साथ, प्रारंभ में चार वर्षों के लिये घाटे के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये करार किया गया है। यह वाणिज्यिक करार है और इसलिये पूरे ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है। परन्तु यह कहा जाता है कि मात्रा १० लाख टन से अधिक होगी और उसमें उच्चगति डीज़ल और उड्डयन टर्बिन तेल के अतिरिक्त मिट्टी का तेल होगा। इन आयातों के लिये भुगतान भारत-रूस व्यापारी करार के अन्तर्गत अपरिवर्तनीय रुपयों में होगा।

भारतीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रमिक संघ

†*५९७. **श्री अमजद अली :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रमिक संघ को मान्यता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो संघ को मान्यता देने में क्या सिद्धान्त अपनाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार अन्य उद्योगों के श्रमिक संगठनों पर भी यही सिद्धान्त लागू करेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दक्षिण कनारा जिले में लौह अयस्क

†*५९८. **श्री आचार :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कनारा जिले के पुत्तुर ताल्लुक में सुब्रमार्ग के पास हाल में किये गये भूतत्वीय सर्वेक्षण से लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगा है जिनका वाणिज्यिक स्तर पर खनन किया जा सकता है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र से मंगलौर बन्दरगाह तक लौह अयस्क भेजने का प्रबन्ध है ;

(ग) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि उस इलाके में कितना लौह अयस्क मिल सकेगा ; और

(घ) इस स्थान से मंगलौर बन्दरगाह कितनी दूर है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) मैसूर सरकार ने सूचना दी है कि १९५९–६० में सुब्रामन्या के समीप सुनकाडाकाटे के इर्दगिर्द किय गये सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप, बोरगुड्डा और अर्बदागुड्डा के टीलों के साथ साथ लौह अयस्क के काफी बड़े निक्षेप पाये गये हैं। वाणिज्यिक आधार पर निकालने के लिए उनकी उपयुक्तता पर अग्रेतर परीक्षण करने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जो प्रारंभिक कार्य किया गया है, उस से यह अनुमान लगाया गया है कि अर्बदागुड्डा टीलों के साथ साथ ३० से ५० लाख टन लौह अयस्क के निक्षेप मिल सकते हैं ।

(घ) मंगलौर पत्तन से उप्पोनंगाडी के रास्ते लगभग ६० मील ।

पेरिस में भारतीय कला प्रदर्शनी

†*५९९. **डा० सावन्तसिंहार :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरिस में इस वर्ष आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी से भारत सरकार को कुल कितनी आय हुई और उसे कुल कितना व्यय करना पड़ा; और

(ख) इस प्रदर्शनी के फलस्वरूप भारतीय कला-वस्तुओं के लिए कुल कितने मूल्य के आर्डर मिले ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) भारत सरकार ने इस वर्ष पेरिस में हुई भारत कला प्रदर्शिनी से न कोई आय की और न ही कोई खर्च किया ।

(ख) प्रदर्शिनी विदेशों में भारतीय संस्कृति का अधिक ज्ञान फैलाने और अन्य देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये आयोजित की गई थी । इस में मुख्य रूप से संग्रहालय की वस्तुएं थीं और इन से भारतीय कला वस्तुओं के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा हुई है, और इससे उनकी मांग बढ़ जायेगी, परन्तु ऐसे माल के लिये आर्डर पर कितना सीधा प्रभाव पड़ा है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

†*६००. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री तंगामणि :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राघा रमण :
श्री वै० च० मलिक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री संगण्णा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष या आगामी वर्षों में राजधानी में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह नहीं होगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि सारे विश्वविद्यालय अपना अपना युवक समारोह करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा निश्चय करने का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९६०-६१ में अन्तर्विश्वविद्यालय समारोह आयोजित करने का विचार नहीं है । आगामी वर्षों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां । ऐसे विश्वविद्यालय, जो अन्तर्कालेज समारोह करना चाहते हैं कर सकते हैं ।

(ग) जून १९६० में उपकुलपतियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की थी कि अन्तर्विश्व-विद्यालय युवक समारोह इस के वर्तमान बड़े स्तर पर आयोजित नहीं किया जाना चाहिये ।

ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर संग्राहलय

†*६०१. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनकोण्डा, मद्रास फोर्ट, कन्धापुर, सांची और अन्य स्थानों के क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से सम्बद्ध करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पानागढ़ में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निष्कासन

†*६०२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानागढ़ स्थित अनेक प्रतिरक्षा संस्थापनों के कई सौ मजदूरों को उनके स्वयं बनाये हुए छोटे छोटे मकानों से निकाला जा रहा है जिन में कि वे कई वर्षों से रह रहे हैं; और

(ख) इस निष्कासन कार्य को बन्द करने या सम्बन्धित मजदूरों को और कहीं क्वार्टर देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तथा (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दो मामले हैं जिनमें पानागढ़ में कुछ भूमि पर असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने अनियमित कब्जा कर रखा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. पहला मामला यह है कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले १२४ असैनिक कर्मचारियों के पास १९५३ से पानागढ़ में कुछ सैनिक भूमि अनधिकृत कब्जे में थी । उनके अभ्यावेदनों पर, अप्रैल १९६० में फैसला किया गया कि उनकी उस भूमि से बेदखली तब तक के लिये रोक दी जाये जब तक कि मंजूर सीमा तक असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये उस क्षेत्र में मकान बन कर तैयार न हो जायें ।

३. दूसरा मामला यह है कि पानागढ़ में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले ८० असैनिक कर्मचारी, जो अन्य अनेक लोगों के साथ, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की कुछ भूमि पर अनधिकार कब्जा किये हुए थे, उन सब लोगों को जिन में ८० असैनिक कर्मचारी भी सम्मिलित थे, उस मंत्रालय ने ४ अप्रैल, १९६० को भूमि खाली करने के नोटिस दिये । लगभग ११ अतिक्रमणकारियों ने, जो असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी नहीं हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय से इंजेक्शन प्राप्त कर लिया, जिस के द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के मुख्य पटसन विकास अधिकारी को लोक परिसर (अनधिकार कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत निष्कासन कार्रवाई करने से रोक दिया गया। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पता चला है कि शेष अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध, जिन में ८० असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी शामिल हैं, कार्रवाई करने का मामला उनके विचाराधीन है । उनमें जो असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं, उनके लिये वैकल्पिक स्थान देने के मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

केरल विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†*६०३. श्री अ० क० गोपालन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मे० क० कुमरान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कृषक ऋण सहायता विधेयक, केरल जनमीकरम उत्सादन विधेयक और केरल क्षेत्रिक सम्बन्धी विधेयक बहुत समय से राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भारत सरकार के पास पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक विधेयक कितने समय से भारत सरकार के पास है; और

(ग) इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). केरल कृषक ऋण सहायता विधेयक २ जुलाई, १९५९ को प्राप्त हुआ था और केरल भूमि सम्बन्ध विधेयक १ अगस्त, १९५९ को आया था । केरल के सम्बन्ध में ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद २०१ का संचालन बन्द कर दिया गया था । केरल जेनमीकरण उन्मूलन विधेयक सितम्बर, १९५८ में प्राप्त हुआ और उसके बारे में राज्य सरकार के साथ बातचीत और

†मूल अंग्रेजी में

चर्चा चलती रही और तब केरल राज्य सरकार को सूचित किया गया कि केरल भूमि सम्बन्धविधेयक की प्राप्ति की प्रतीक्षा करना उचित समझा गया है ताकि दोनों विधेयकों का एक साथ परीक्षण किया जाये ।

२७ जुलाई, १९६० को राष्ट्रपति ने राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद २०१ के अधीन निदेश दिया तीनों विधेयकों को राज्य की विधान सभा को कुछ विशिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया जाये ।

पुरस्कार बाण्ड

†*६०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री अब्दुल सलाम :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री जीन चन्द्रन :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सूपकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार कुल कितने मूल्य के **पुरस्कार बाण्ड बिके** हैं;

(ख) बिक्री के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या बिक्री के लिए और पुरस्कार बाण्ड जारी करने का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१**]

(ख) लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आस्ट्रेलिया से ऋण

†*६०५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८० के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया ने लगभग २ करोड़ डालर के जिस दीर्घकालीन ऋण के देने का प्रस्ताव किया था क्या वह सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का प्रयोग किस तरह होगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). आस्ट्रेलिया की सरकार ने आस्ट्रेलिया से पूंजी माल और उपकरण खरीदने के लिये १४० लाख डालर का ऋण देने की पेशकश भारत सरकार को की है । ऋण के निबंधनों और शर्तों के बारे में बातचीत हो रही है ।

हिर्री की डोलोमाइट खान

†*६०६. **श्री विद्याचरण शुक्ल**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिर्री की डोलोमाइट खान से उत्पादन में कमी और बातों के अलावा मज़दूरों की मजूरी और परिवहन ट्रकों के किराये के भुगतान में विलम्ब होने के कारण हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त बाकी भुगतान के लगभग ६० प्रतिशत का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या यह सच है कि हिर्री की डोलोमाइट खान का मैनेजर हिर्री में रहने के बजाय भिलाई में रहता है; और

(घ) क्या खान के माप सम्बन्धी कागज़ात प्राप्त नहीं है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ). मुझे यह कहने में खेद होता है कि मार्च १९६० के आरम्भ में, हिर्रीडोलोमाइट खानों में कुछ गड़बड़ थी । जांच करने से यह पता चला कि तीन मस्टर रोल अर्थात् उपस्थिति रजिस्टर, विस्फोटकों का रजिस्टर तथा खान मापने के कुछ अभिलेख गुम थे । इसलिये उन मस्टर रोलों में जिन मजदूरों के नाम थे, उन्हें वेतन नहीं दिया जा सका । परिवहन ठेकेदारों ने भी, जिन्हें कुछ सप्ताहों से भुगतान नहीं किया गया था, अयस्क का परिवहन बन्द कर दिया । मजदूरों को आंशिक भुगतान, अर्थात् फरवरी ६, १९६० से २२ फरवरी १९६० तक के लिये कर दिया गया है । दो छुट्टियों अर्थात् २ अक्तूबर १९५९ और २६ जनवरी, १९६० के लिये मजदूरों को भुगतान करना बकाया है । परिवहन ठेकेदारों और अन्य छोटे ठेकेदारों को डोलोमाइट उठाने के लिये बकाया कुछ भुगतान की अब छानबीन की जा रही है । जांच के परिणामस्वरूप, अन्तर्ग्रस्त मैनेजर और अधीनस्थ कर्मचारियों को बदल दिया गया है और उन से व्याख्या मांगी गई है । दूसरे कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं और मार्च, १९६० से हिर्री खानों में काम पहले की तरह चल रहा है ।

हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी ने कहा है कि खान मैनेजर हिर्री में रहता था और हिर्री में काम में केवल मार्च के पहले सप्ताह में गड़बड़ हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना

†*६०७. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री म० रं० कृष्ण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरुआ :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री हेम राज :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या योजना बनाई है ;

(ख) योजना पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख). श्री सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सेवा समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है । प्रतिवेदन की प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ग) विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के जून १९६० में खड़कवासला में हुए सम्मेलन ने राष्ट्रीय सेवा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया और अत्यधिक बहुमत से प्रतिवेदन में दिये गये सामान्य सिद्धान्तों तथा मुख्य दृष्टिकोण का अनुमोदन किया । राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देवनागरी लिपि

†*६०८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री आसर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री ८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने पुनरीक्षित देवनागरी लिपि को, जो कुछ समय पहले अन्तिम रूप से स्वीकार की गई थी लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने उस लिपि को कहां तक लागू किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) सभा में ८ मार्च १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या ७०७ के उत्तर में दिये गये कारणों से ठोस परिणाम की इतनी जल्दी आशा नहीं की जा सकती । भारत सरकार ने शोधित लिपि को अपनाने की सिफारिश की है और इन सिफारिशों को स्वीकार करना तथा कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है ।

विदेशों में भारतीय राजे महाराजे

६०९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री खीमजी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की सूचना में यह बात आई है कि विदेशों में राजों महाराजों और व्यापारियों की बहुत बड़ी बड़ी धन राशियां हैं जिन्हें वे विदेश जाने पर खुले हाथ से व्यय करते हैं ;

(ख) इस मामले में सरकार का उन की विदेश यात्रा पर रोक लगाने जैसी क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन राजा विदेश गया, किस लिये गया और कितने समय के लिये गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) भारतीय राज्यों के विलय से पूर्व भी, कुछ राजे महाराजों की विदेशों में आस्तियां थीं । उन से प्रार्थना की गई है कि विदेशों में उन के कब्जे में जो सम्पत्ति हो, उन की घोषणा करें, परन्तु विलय करार के भाग के रूप में, उन्हें ये आस्तियां रखने की अनुमति दी गई है । राजे महाराजों को यह भी आश्वासन दिया गया था कि उन्हें इन्हें इन विदेशी आस्तियों का उपयोग करने दिया जायगा और जब कभी वे विदेश जाते हैं तो इन में से निकाल लेते हैं ।

व्यापारियों के पास विदेशों में कितनी आस्तियां हैं इस के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । चालू विनियमों के अन्तर्गत, विदेशों में आस्तियां रखने से पूर्व रिजर्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होता है ।

(ख) जिन राजे महाराजों की विदेशी आस्तियां हैं, वे विदेश जाते समय उन का उपयोग कर सकते हैं । राजे महाराजों और व्यापारियों को, उन की विदेश यात्रा का उद्देश्य तथा आवश्यकता की जांच करने के उपरान्त, अपनी विदेश यात्रा के लिये रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा देता है ।

(ग) राजे महाराजों की सूची, जो पिछले तीन वर्षों में विदेश गये हैं, दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६२]** ।

मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों का यात्रा-व्यय

†*६१०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सब मंत्रालयों को सब श्रेणी के अधिकारियों और मंत्रियों के यात्रा-व्यय में कमी करने के अनुदेश फिर से दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख) . नवम्बर १९५९ में वित्त मंत्रालय ने १९५९-६० के लिये सब मंत्रियों के बजटों में यात्रा भत्तों के उपबन्ध में ५ प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया । यह भी फैसला किया गया था कि १९६०-६१ के यात्रा भत्ता के बजट उपबन्धों में १९५८-५९ के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर १० से २० प्रतिशत तक कमी की जाय । मंत्रालयों को दौरों को कम करने और पहाड़ी स्थानों पर सम्मेलन रखने को रोकने तथा गैर-अधिकारी व्यक्तियों को केवल आकस्मिक मामलों में ही विमान की यात्रा करने देने के लिये कहा गया था ।

मंत्रियों के मामले में वित्त मंत्रालय ने कोई अनुदेश जारी नहीं किये । मंत्रियों को गृह-कार्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि वे यात्रा के समय पूरे कमरे को सामान्यतया रिज़र्व न करवायें और अपने साथ बहुत कम कर्मचारी ले जायें ।

बजट उपबन्ध में कमी के फलस्वरूप, यह अनुमान लगाया गया था कि १९५९-६० में २.५९ लाख रुपये और १९६०-६१ में ११.६१ लाख रुपये की बचत होगी । इन वर्षों में कितनी बचत हुई है यह इन वर्षों के लेखा तैयार होने के बाद ही जानी जा सकती है । अन्य सामान्य उपायों के कारण होने वाली बचत का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेस लुब्रीकेटिंग आयल

†*६११. **श्रीमती इला पालचौधरी :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों को अपनी बेस लुब्रीकेटिंग तेल की सप्लाई का कुछ भाग युगोस्लाविया से लेने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में तेल कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). युगोस्लाव व्यापार संगठन ने लुब्रीकेन्ट्स में ब्लैंडिंग के काम में आने वाले बेस तेल का रुपयों में भुगतान करने के आधार पर देने की पेशकश की है। यह पेशकश बर्मा शैल, स्टैंडर्ड वैक्यूम और कालटैक्स तेल कम्पनियों के साथ, जिन के पास ब्लैंडिंग संयंत्र हैं, की थी। स्टैंडर्ड वैक्यूम को एक जहाज का माल मिल भी गया है। शेष दो कम्पनियों को सामान के जहाज मिलने के बारे में संविदा की जा चुकी है।

राउरकेला के इस्पात कारखाने में श्रम सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन

†*६१२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री संगण्णा :
श्री सूपकार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती पार्वतीय कृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान ३ अगस्त, १९६० के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित उड़ीसा सरकार की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिस में यह बताया गया है कि राउरकेला इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों ने श्रम सम्बन्धी कानूनों की आज तक रत्ती भर भी परवाह नहीं की ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि राउरकेला के इस्पात कारखाने में प्रबन्धक श्रम सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित करें ;

(घ) क्या अब तक मंत्रालय को राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने राज्य सरकार को कोई उत्तर भेजा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) रूरकेला इस्पात परियोजना प्राधिकारी इस बात के लिये कार्रवाई कर रहे हैं कि फैक्टरी अधिनियम और उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का पालन किया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

†*६१३. श्री राम कृष्ण गुप्त ।
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ में सम्मिलित होने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य कौन कौन से देश संघ के सदस्य हो गये हैं; और

(ग) भारत द्वारा दिये जाने के लिये कितना चन्दा निर्धारित किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) १५ सितम्बर, १९६० के पश्चात् संघ स्थापित होगा । इसलिये प्रश्न के इस भाग में पूछी गई सूचना उस तिथि के पश्चात् ही दी जा सकती है ।

(ग) ४३.५ लाख डालर (१९.२१ करोड़ रुपये) जिसका १० प्रतिशत सोने में या आसानी से बदली जाने वाली मुद्रा में, पांच वर्षों में और शेष रुपयों में पांच वर्षों में दिया जायेगा ।

दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूल

†*६१४. सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने दिल्ली नगरनिगम के इस प्रस्ताव पर क्या निश्चय किया है कि उसे गैर-सरकारी स्कूलों को मान्यता देने या देने से इन्कार करने तथा उन में काम करने वाले अध्यापकों की सेवा की शर्तों को नियमित करने का प्राधिकार एवं इन संस्थाओं के सम्बन्ध में ऐसे अन्य अधिकार दिये जायें ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में अनिवार्य निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा

†*६१५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामी रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी कुछ राज्यों में निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन कौन हैं; और

(ग) ये निश्चय करने का आधार क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तीसरी पंच वर्षीय योजना में, ११ वर्ष की आयु तक सब बच्चों के लिये अनिवार्य निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा जारी करने का लक्ष्य रखा गया है ।

राज्य सरकारें तीसरी योजना में योजनाएं बना रही हैं और जब तक वे अन्तिम रूप में तैयार नहीं हो जातीं, यह कहना सम्भव नहीं है कि विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति होगी ।

"राल्स रायस डार्ट इंजनों" का निर्माण

†*६१६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १६ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन की राल्स रायस लि० के साथ भारत सरकार ने जो करार किया है उसके अन्तर्गत "एवरो ७४८" परिवहन विमान में प्रयोग के लिए भारत में राल्स रायस डार्ट इंजनों का निर्माण करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** धीरे धीरे इन इंजनों को बनाने की योजना की गई है और इस समय तक संतोषजनक प्रगति हुई है ।

"फ्लाइंग साइकिलें"

†*६१७. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार के एक ओवरसियर ने "फ्लाइंग साइकिल" के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ अनुसंधान किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसके प्रोत्साहन के लिये सरकार ने उसे कोई सहायता दी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) श्री आर० ए० प्राशर ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को लिखा है कि उसने फ्लाइंग साइकिल तैयार किया है ।

(ख) जी, नहीं । श्री प्राशर को परिषद के विचारार्थ एक उपयुक्त योजना पेश करने के लिये कहा गया है ।

आंध्र प्रदेश में छोटी बचत योजना

†**१०९६. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में सामान्यतया और विशेषकर वारंगल जिले में १९५९-६० में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत कितना धन इकट्ठा किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५९-६० के लेखा अभी बन्द नहीं किये गये । १९५९-६० में छोटी बचत योजना के अन्तर्गत कुल इकट्ठी की गई राशि के अस्थायी आंकड़े वारंगल जिले के बारे में २० लाख रुपये और आंध्र प्रदेश के बारे में ४१७ लाख रुपये हैं जिन में, डाक घर बचत बैंक के खातों का ब्याज सम्मिलित नहीं है ।

बम्बई में पुस्तकालय आन्दोलन

†**१०९७. श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये बम्बई सरकार को कुछ अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) अनुदान का कैसे उपयोग किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५६--५८ के अन्दर इस काम के लिये ४०,००० रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई थी । १९५८-५९ के लिये और बाद में, संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय सहायता चार विशिष्ट वर्ग की योजनाओं, अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा, सैकंडरी शिक्षा, यूनिवर्सिटी शिक्षा तथा अन्य शिक्षा योजनाओं के लिये दी जाती है । इसलिये १९५८-५९ और १९५९-६० में इस रूप में इस योजना के लिये मंजूर की गई राशि बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) बच्चों के पुस्तकालय की स्थापना और संग्रहालय, केन्द्रीय पुस्तकालय के विकास तथा पुस्तकालयों के विकास तथा विस्तार आदि के लिये अनुदान का प्रयोग किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में हाई स्कूल

†**१०९८. श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने हाई स्कूल हैं;

(ख) उन में से कितने गैर सरकारी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में अधिक हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५६ ।

(ख) ३ ।

(ग) जी, हां ।

बम्बई के स्कूलों और कालेजों में खेल के मैदान

†**१०९९. श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई राज्य के स्कूलों और कालेजों में खेल के मैदान बनाने के लिये १९५९-६० में कोई रकम मंजूर की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कुल कितनी रकम की मंजूरी दी गयी और प्रत्येक स्कूल के लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १९५९-६० में बम्बई सरकार को हाई/हायर सैकंडरी स्कूलों और उससे ऊपर की शिक्षा संस्थाओं के लिये खेल के मैदान प्राप्त करने के लिये १,२८,५०० रु० दिये गये थे; किन्तु राज्य सरकार इस रकम का उपयोग नहीं कर सकी ।

खनन संस्था, कोठागुडियम

†**११००.** { **श्री पांगरकर** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि खनन संस्था, कोठागुडियम (आन्ध्र) के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने ऋण देने का जो अनुरोध किया था, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद ने इस संस्था में छात्रावास के निर्माण के लिये इस बीच ३,६०,००० रु० ऋण देने की सिफारिश की है। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

चित्तौड़गढ़ के किले में खुदाई

†**११०१. श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में चित्तौड़गढ़ के किले में कोई खुदायी की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में आय-कर

†११०२. **श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में आन्ध्र प्रदेश के आय-कर मंडलों में कुल कितना आय-कर वसूल हुआ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक मंडल में कुल कितने कर-दाता थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६३]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त

†११०३. **श्री इ० मधुसूदन राव : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक-आयुक्तों की नियुक्ति इस बीच हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पद बनाये गये और कितने पदों पर नियुक्तियां की गयीं;

(ग) इन पदों के लिये क्या वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है और नौकरी की अवधि कितनी है;

(घ) यदि उन्हें खंडों (Zones) में नियुक्त किया जायेगा, तो उन खंडों की रूप-रेखा क्या है;

(ङ) उन्हें क्या काम सौंपे जायेंगे; और

(च) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का कुल वेतन कितना है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). सम्भवतः प्रश्न का निर्देश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्तों के सात पदों की भर्ती के लिये दिये गये विज्ञापन की ओर है। अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गयी। कोई नया पद भी नहीं बनाया गया।

(ग) ६००–४०–१०००—१०००–१०५०–१०५०–११००–११००–११५० । वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप इस में संशोधन होने की संभावना है। इस पद की अवधि अनिश्चित है।

(घ) अभी तक इस सम्बन्ध में निश्चय नहीं किया गया।

(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को उसके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के निबाहने में सहायता देना।

(च) २००० रु० प्रति मास (निश्चित)।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को धातु चढ़ी हुई लोहे की चादरों का सम्भरण

†११०४. **श्री हेमराज :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में धातु चढ़ी लोहे की चादरों (जी० आई० शीट्स) और एम० एस० राउंड्स की कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विकास खंडों का अधिकतर काम इस कमी के कारण रुका पड़ा है; और

(ग) यदि हां, क्या सरकार का विचार पंजाब को अधिक कोटा देने का है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) एम० एस० 'राउन्ड्स' की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति काफी सुधर गयी है किन्तु चादरों की अभी तक कमी है।

(ख) और (ग). जहां तक सम्भव हो, सभी राज्यों की मांग की पूर्ति के लिये, उपलब्ध माल का समान वितरण किया जाता है।

राष्ट्रमंडल-छात्रवृत्ति योजना

†११०५. **श्री अ० क० गोपालन : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल-छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन में उच्चशिक्षा प्राप्त करने के लिये १९६०–६१ में कोई विद्यार्थी चुने गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ;

(ग) कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे ; और

(घ) चुनने का क्या तरीका था ?

†**वैज्ञानिक-अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां।

(ख) ४० छात्रवृत्तियों के लिये ३९ विद्यार्थियों का अन्तिम रूप से चुनाव कर लिया गया है। अभी उनके नाम प्रकट नहीं किये जा सकते क्योंकि ब्रिटेन सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि उनके नाम २२ अगस्त, १९६० को प्रकाशित किये जायेंगे।

(ग) २१६३।

(घ) उम्मीदवारों का चुनाव एक समिति द्वारा किया गया ; जिसमें विश्व विद्यालयों ; शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थाओं, भारत-सरकार तथा ब्रिटेन की सरकार के प्रतिनिधि थे। चुनाव समिति की प्रारम्भिक बैठकों में आवेदनपत्रों की जांच की गयी और २३६ उम्मीदवारों को 'इन्टरव्यू' के लिये बुलाया गया। 'इन्टरव्यू' के परिणामस्वरूप ८० उम्मीदवारों को मनोनीत किया गया किन्तु इन छात्रवृत्तियों को देने के लिये अन्तिम चुनाव ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल-छात्रवृत्तियां आयोग द्वारा किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिन्दी पुस्तकों के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार

†११०६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार देने के लिये पुस्तकों का चुनाव करने के मौजूदा तरीके पर पुनर्विचार करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इन सिफारिशों को साहित्य अकादमी के प्रबन्ध-बोर्ड के विचारार्थ रखा जायेगा ।

पुरातत्व विभाग के लिये बजट में निर्धारित राशि

†११०७. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर होने वाले व्यय को छोड़ कर, निर्माण-कार्यों तथा मुरम्मत आदि सम्बन्धी सामान पर १९३८–३९, १९४३–४४, १९४४–४५, १९४८–४९ और १९५८–५९ पर कितना खर्च हुआ ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :

	रु०
१९३८–३९	३,५८,०००
१९४३–४४	२,०९,७००
१९४४–४५	२,११,१००
१९४८–४९	४,३७,९००
१९५८–५९	१५,१८,५००

पुरातत्त्व–विद्यालय

†११०८. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्त्व विद्यालय में (१) पिछले वर्ष और (२) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य से कितने कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है ;

(ख) प्रवेश के लये न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या पिछले साल पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारियों को भी विद्यालय में दाखिल किया गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) पुरातत्त्व विद्यालय में विद्यार्थियों को राज्यवार 'कोटे' के आधार पर दाखिल नहीं किया जाता ।

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में 'आनर्ज डिग्री' : भारतीय इतिहास, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी, अरबी और पुरातत्त्व । पुरातत्त्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के मामलों में इस अर्हता को नरम कर दिया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†**११०६. श्री श० च० गोडसोरा : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में ३१ मार्च, १९६० को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित सभी स्थानों पर १९५९-६० में नियुक्तियां की गयी थीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†**१११०. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र में अगले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में इस्पात का कितना उत्पादन होगा; और

(ख) इस अवधि में वहां पर किन किन उपोत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है अथवा किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हिन्दुस्तान स्टील का अनुमान है कि १९६०-६१ में रूरकेला में २००,००० टन विक्रय-योग्य इस्पात का उत्पादन होगा । १९६१-६२, १९६२-६३ और १९६३-६४ के बारे में उनका अनुमान क्रमश: ५००,००० मीट्रिक टन, ६५०,००० मीट्रिक टन तथा ७००,००० मीट्रिक टन का है ।

(ख) १. कोलतार और रोड तार
२. मोटर बेनज़ेल (Benzel)
३. बेन्जीन (Benzene)
४. तोल्यून (Tolune)

†मूल अंग्रेज़ी में

५. क्सिलीन (Xylene)

६. हैवी साल्वेंट नेप्था (Heavy Solvent Naptha)

७. लाइट साल्वेंट नेप्था (Light Solvent Naphta)

८. पिच (Pitch)

९. क्रिसोट आयल (Cresote Oil)

१०. हाट प्रैस्ड नेप्थालीन (Hot pressed Napthalene)

११. हैवी एन्थरासीन आयल (Heavy Anthracene Oil)

१२. क्रिसोल (Cresols)

१३. फिनोल (Phenols)

१४. क्सिलिनोल (Xylenol)

१५. फ्युअल आयल (Fuel Oil)

१६. लाइट आयल (Light Oils)

१७. अमोनिया अथवा अमोनियम सल्फेट

१८. उर्वरक संयंत्र के लिए नाइट्रोजन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†१११९. **श्री सिदय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को, जो दसवीं से नीचे की श्रेणियों में पढ रहे हैं, छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं देने के लिए वित्तीय सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८, १९५८–५९ ; १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया गया ; और

(ग) अनुदान दिये जाने से पहले राज्य सरकारों को क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां ।

(ख) पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण की योजनाओं का वर्गीकरण विभिन्न समूहों में किया जाता है । इन में 'शिक्षा' एक समूह है और इसके अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं आ जाती हैं जिनमें 'आवृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करना' एक योजना है । प्रत्येक 'समूह' के लिये अलग अनुदान दिये जाते हैं । किसी समूह की विभिन्न योजनाओं के लिये अलग रूप से नहीं । इसलिये जो जानकारी मांगी गयी है, वह सुलभ नहीं है ।

(ग) राज्य सरकारें स्वयं यह निश्चय करती हैं कि वृत्तियां लेने वाले लोगों को क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिएं । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अनुदान देती हैं :—

(एक) राज्य सरकारें व्यय का ५० प्रतिशत भाग दें ; और

(दो) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये आवश्यक व्यवस्था हो ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हरिजनों की समस्याओं सम्बन्धी पत्रिका

†१११२. **श्री ब० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार उड़ीसा सरकार को हरिजनों की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय सहायता से आजकल कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, हां ।

(ख) "सेवक" नाम की केवल एक पत्रिका ।

उत्तर प्रदेश में इस्पात री-रोलिंग कारखाने

†१११३. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में इस्पात के री-रोलिंग कारखाने खोलने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस लेने के लिए १४४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत मौजूदा कारखानों को चालू रखने के लिए ५ लाइसेंस दिये गये ।

इस वर्ष अप्रैल से लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत री-रोलिंग के छोटे कारखानों को खोलने अथवा चलाने की सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है । ये कारखाने ऐसे होने चाहिएं जिनमें ५० से कम कर्मचारी काम करते हैं, इन कारखानों के लिये विदेशों से साज सामान के आयात की आवश्यकता न हो और उनमें स्थानीय रूप से उपलब्ध रद्दी लोहा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि-बस्तियां

†१११४. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किन किन स्थानों पर कृषि बस्तियां बसायी गयी हैं ; और

(ख) इस अवधि में केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कितना अनुदान स्वीकार किया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित आदिम जाति नहीं है । अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में जानकारी नीचे दी जाती है :—

१९५९–६०

जिला नैनीताल में मलधान घौर के निकट ६ बस्तियां ।

जिला जालौन में सम्पूर्णानन्द नगर में एक बस्ती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिला नैनीताल में मलधान घौर में ; जिला बांदा में कमसीन में; जिला राय बरेली में गौरा में; और जिला प्रतापगढ़ में चैरागढ़ में एक एक बस्ती ।

(ख) बस्तियों के नाम से तो कोई अनुदान नहीं दिया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के लिये निर्धारित धन-राशि से कुछ धन संचय करके इन बस्तियों को शुरू किया है ।

धन-कर तथा व्यय-कर

†१११५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन-कर तथा व्यय-कर के निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान किन कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) धन-कर और व्यय-कर के निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान अभी तक (एक) धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत आस्तियों का मूल्यांकन करने और (दो) व्यय-कर अधिनियम के कुछ उपबन्धों के निर्वचन सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ।

(ख) इन कठिनाइयों को हल करने के लिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा हिदायतें जारी की जा रही हैं ।

नाविक प्रशिक्षण

†१११६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में कितने भारतीयों को नाविक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाहर भेजा गया ; और

(ख) इन लोगों को किन-किन देशों में भेजा गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५८–५९ ५२
१९५९–६० ४२

(ख) एक व्यक्ति को फ्रांस भेजा गया शेष सभी लोगों को ब्रिटेन भेजा गया था ।

अगरतल्ला में बाजार का निर्माण

१११७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतल्ला में ४६,००० रुपये की लागत से एक बाजार बनाने का निश्चय किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और यह संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) अगरतल्ला नगर के धालेस्वर क्षेत्र में एक नई मार्केट बनाने का निश्चय किया गया है। इस उद्देश्य से सरकार ने अगरतल्ला नगरपालिका को ४६,००० रुपये के ऋण की मंजूरी दी है।

(ख) निर्माण कार्य वर्तमान वित्त वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

मोरा में पकड़े गये हथियार

१११८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा की सीमा पर मोरा में पकड़े गये हथियार और गोला बारूद देशी थे या विदेश में बने हुए ; और

(ख) यदि वे विदेश में बने हुये थे, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) तथा (ख) अक्तूबर और नवम्बर, १९५९ में मोरा क्षेत्र के सैनिक सामग्री के भण्डार से कुछ विदेशी हथियार और गोला बारूद पकड़े गये। ये हथियार और गोला बारूद द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेष थे। अतः इस मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी असिस्टेंट

१११९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जुलाई, १९५५ से जिन लोगों की सहायकों (असिस्टेंट्स) के पदों पर पदोन्नति की गयी थी क्या उन्हें अपने-अपने पदों पर कायम रखा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी परीक्षाओं में सफल व्यक्ति मिलने के कारण पहले किसी भी अस्थायी सहायक की कभी पदावनति नहीं की गयी और

(ग) यदि हां, तो १ जुलाई, १९५५ से पहले नियुक्त योग्यता प्राप्त हिन्दी सहायकों के स्थान पर उन व्यक्तियों को क्यों रखा गया, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें पास की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, जहां तक प्रथम मई, १९५४ के बाद का सम्बन्ध है इस तिथि से पहले सहायकों की नियुक्ति तथा पदावनति भिन्न-भिन्न मन्त्रालय/कार्यालय खुद ही करते थे और इसलिये उस समय की ठीक-ठीक सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अन्तर्गत भाग लेने वाले मन्त्रालयों/कार्यालयों में हिन्दी सहायकों के पद सहायकों के स्थायी पद नहीं हैं। इन पदों पर नियुक्ति के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से यह निर्णय किया गया कि इन पदों पर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के

उन उपयुक्त अपर डिवीजन/लोअर डिवीजन क्लर्कों को नियुक्त किया जाए, जो आयोग द्वारा इस उद्देश्य से ली गई विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। इस विभागीय प्रतियोगी परीक्षा लेने से पूर्व विभिन्न मन्त्रालयों /कार्यालयों में हिन्दी सहायकों के पदों पर विशुद्ध अस्थायी रूप से काम चलाने के लिये तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं। अतः उपरोक्त परीक्षा में सफल व्यक्तियों के मिलने पर, पहले से नियुक्त असफल व्यक्तियों के स्थान पर सफल व्यक्तियों की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।

प्रविधिक (टेक्नीकल) सहयोग मिशन

†११२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका के प्रविधिक सहयोग मिशन के साथ अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये २९ अप्रैल, १९६० को जो समझौता किया गया था, उसकी शर्तें क्या थीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : २९ अप्रैल, १९६० को पहले से चालू समझौतों के तीन अनुपूरक समझौतों पर और एक प्रवर्त्तन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। इनका विवरण इस प्रकार है :—

(एक) **समझौता संख्या १००** : 'पब्लिक ला' ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत विक्रय से प्राप्त धन-राशि में से आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मैडिकल साइन्स को २९ लाख रुपये का अनुदान।

(दो) **समझौता संख्या ८७ का अनुपूरक संख्या ३** : इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर को सहायता। पब्लिक ला ६६५ के अन्तर्गत वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त धन-राशि में से ५,६६,६७८ रु० का अनुदान और इसके अतिरिक्त ५६८,००० डालर का अनुदान।

(तीन) **समझौता संख्या ५६ का अनुपूरक संख्या ५** : जल संसाधन और विद्युत् विकास के लिये टैक्निकल सेवायें। पब्लिक ला ६६५ के अन्तर्गत विक्रय से प्राप्त धन-राशि में से २८,५७२ रु० और १४,००० डालर।

(चार) **समझौता संख्या ९९ का अनुपूरक संख्या १** : व्यावसायिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम। पब्लिक ला ६६५ के अन्तर्गत विक्रय से प्राप्त धन-राशि में से ९,५२४ रु०।

इन समझौतों की प्रतियां लोक-सभा पुस्तकालय में रखवा दी गयी हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय का गांधी भवन

११२१. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय का गांधी भवन बनाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यह भवन बनाने का काम कब शुरू होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन बनाने के लिये २०,००० रु० की राशि का तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया है।

(ख) भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

११२२. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के प्रधान मन्त्री के विरुद्ध प्रदर्शन करने के कारण हिन्दू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क), (ख) तथा (ग). १९ अप्रैल, १९६० को चीन के प्रधान मन्त्री के आगमन के विरोध में हिन्दू महासभा के ५७ कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस से संघर्ष किया और इसलिये उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/१५१ के अधीन गिरफ्तार किया गया। चीन के प्रधान मन्त्री के राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के पश्चात् वे छोड़ दिये गये।

उड़ीसा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये योजनायें

†११२३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों सम्बन्धी योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कार्यान्वित करने के बारे में पुनरीक्षित प्रस्थापनाएं प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पुनरीक्षित प्रस्थापनाएं क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा सरकार ने इन पुनरीक्षित प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में कितना विशेष अनुदान मांगा है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संलग्न विवरण में जानकारी दी जा रही है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६४]**

विज्ञान मन्दिर

†११२४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री वै० च० मलिक :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नगी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोडियान :
श्री भक्त दर्शन :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री आ० क० गोपालन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान मन्दिरों के कार्य की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहने सहन की दशा

†११२५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री वारियर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री ११ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १००९ के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और केरल विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहन-सहन की दशा के सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट का मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) मूल्यांकन रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त इन बातों पर जोर दिया गया है : पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यवाहियों के लिये सुविधाओं का विस्तार करना चाहिये; योग्य विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों की अधिक उदार योजनाएं होनी चाहियें; पढ़ने के साथ साथ उपार्जन के अधिक मार्ग उपलब्ध करने चाहियें; कालेजों में निवासस्थान की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये और वर्ष पर्यन्त लगातार नियमित रूप से कार्य करने वाले विद्यार्थियों को उचित मान्यता मिलनी चाहिये ।

रिपोर्ट को प्रकाशित किया जायेगा ।

बिड़ला औद्योगिक और टेक्नालाजिकल संग्रहालय, कलकत्ता

†११२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिढ़ला औद्योगिक और प्रौद्योगिकादि संग्रहालय, कलकत्ता के विकास की योजनायें तैयार कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). बिरला औद्योगिक और टैक्नालाजिकल संग्रहालय के तौसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विकास करने का प्रश्न वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-कर के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट

†११२७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री १९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिनियम के सम्बन्ध में विधि आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग) विधि आयोग की रिपोर्ट अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

'आदर्श प्रश्न'

†११२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा मंत्री** ३० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों में रटने की आदत छुड़ाने के लिये नये किस्म के आदर्श प्रश्न लागू करने का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मूल्यांकन विशेषज्ञों के पथ प्रदर्शन में नये किस्म के आदर्श प्रश्न तैयार किये जा रहे हैं । तैयार हो जाने पर उन की वास्तविक उपयोगिता की जांच करने के लिये वे प्रश्न स्कूलों को भेज दिये जायेंगे ।

रूस में भारतीय टेक्निशियनों का प्रशिक्षण

†११२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** ११ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में भारतीय टेक्निशियनों के प्रशिक्षण के लिये रूसी सहायता के सम्बन्ध में सभी बातें तय हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) ७ अप्रैल, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। १,५०० लाख रूबल उधार के अधीन जिन परियोजनाओं को धन दिया जायेगा, वे सभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं ; परियोजना प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने और भारतीय प्राधिकारियों द्वारा उन पर विचार कर लिये जाने के बाद ही प्रत्येक परियोजना के लिये रूस में भारतीयों को प्रशिक्षण के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में फैसला किया जा सकेगा।

फालतू सामान

†११३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस फालतू सामान को बेचने के सम्बन्ध में, जोकि विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थापनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नियुक्त किये गये दल द्वारा की गयी सिफ़ारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिरक्षा सेवाओं के प्राधिकारियों को ये स्थायी हिदायतें दे दी गई हैं कि जहां भी प्रविधिक दल (टेक्निकल टीम) ने किन्हीं वस्तुओं को बेच देने के सम्बन्ध में सिफारिश की है, वहां वे उन मदों की फिर से जांच कर के उन वस्तुओं को बेचने के लिये सरकार से आदेश लेने के लिये अपने सुझाव भेजें। इस प्रकार के सुझाव प्राप्त हो जाने पर प्रविधिक प्राधिकारियों के परामर्श से उन पर पुनः विचार किया जायेगा और यदि उन्हें प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्य किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता केवल तब ही उन्हें बिक्री के लिये घोषित किया जायेगा।

तांबे का खानों से निकाला जाना

†११३१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खानों से तांबा निकालने के काम के विकास के लिये पोलैंड सरकार से हो रही बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में हायर सेकेंडरी स्कूल

११३२. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री राम गरीब :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले दिल्ली के अधिकतर हायर सेकेन्डरी स्कूलों में अभी भी विज्ञान और गणित के अध्यापकों की कमी है ; और

(ख) ऐसे कितने स्कूल हैं, जिन में इन की कमी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० श्रीमाली) : (क) गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कलों में विज्ञान और गणित के अध्यापन के लिये केवल प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी है ।

(ख) १६ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल । पर इन स्कूलों में भी विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिये पुरुष अध्यापकों को भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

दिल्ली के हायर सेकेंडरी स्कूलों में बिजली

११३३. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले कई हायर सेकेन्डरी स्कूलों में बिजली नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्कूलों में चालू वर्ष में बिजली लगाने की व्यवस्था की जायगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) इस वर्ष ४३ गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बिजली लगाई जायेगी ।

नौसैनिक अभ्यास

११३४. श्री पद्म देव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे कितने नौसैनिकों ने १६५६ में भारतीय नौसैनिक जहाजों के विभिन्न नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया ; और

(ख) उन्होंने कितनी बार और कितने समय के लिये इन अभ्यासों में भाग लिया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : इस सूचना को प्रकट करना लोक-हित में नहीं है ।

(ख) चार बार । इन अभ्यासों की अवधि इस प्रकार है :—

(१) बसन्त अभ्यास

प्रथम प्रावस्था	८ सप्ताह
द्वितीय प्रावस्था	५ सप्ताह

(२) ग्रीष्म अभ्यास . . . . साढ़े सात सप्ताह

(३) दूसरी नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास ५ सप्ताह

(४) युद्ध कला अभ्यास ५ दिन

दिल्ली के ऊपर रूसी उपग्रह

११३५. **श्री पहाड़िया :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी उपग्रह १४ मई, १९६० को दिल्ली के ऊपर से गुजरा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस के रेडियो संकेतों से उस पर निगरानी रखी गई थी ; और

(ग) क्या उस से भारत पर किसी प्रकार का असर पड़ेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग) इस मामले की बाबत हमें कुछ पता नहीं है ।

लद्दाख का आर्थिक विकास

११३६. **श्री पहाड़िया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख के आर्थिक विकास की कुछ योजनायें आरम्भ की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत कौन कौन से विभिन्न निर्माण-कार्य किये जा रहे हैं ; और

(ग) इन विकास कार्यों पर १९६०-६१ में सम्भवतः कितना खर्च होगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६५]**

नागरिकों की शिकायतों की जांच करने के लिये संस्था

†११३७. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान २१ मई, १९६० के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित 'आर्मिंग अगेन्स्ट गोलियाथ' नामक एक अग्र लेख की ओर आकृष्ट किया गया है जिस में डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड के सरकारी विभागों और असैनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध वहां के नागरिकों की शिकायतों के सम्बन्ध में छानबीन करने और उन्हें दूर करने के लिये एक 'ओमबुड्ज़मैन'[1] नामक संस्था की स्थापना का उल्लेख है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस संस्था तथा उस के कार्यों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Ombudsman.

(ख) भारत सरकार को 'ओमबुड्समैन' के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बुरे व्यवहार तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जैसा कार्य यहां पर गृह-कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक सतर्कता विभाग द्वारा किया जाता है, वह संस्था भी वहां पर वही कार्य करती है।

जीवन बीमा निगम के कार्य का पूर्वी अफ्रीका में विस्तार

†११३८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कार्य का पूर्वी अफ्रीका में विस्तार करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों में पूर्वी अफ्रीका में किये गये कार्य के आंकड़ निम्नलिखित हैं :—

१९५७ . . .	२.८४ करोड़ रुपये
१९५८	२.९० करोड़ रुपये
१९५९	५.३८ करोड़ रुपये

पंजाब विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स

†११३९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने के सम्बन्ध में कुछ समय पहले जो निर्णय किया गया था, उसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) इस नये कोर्स को लागू करने पर लगभग कितना खर्च आयेगा; और

(ग) १९५९-६० में इस प्रयोजन के लिये पंजाब विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को कितना अनुदान दिया गया है और १९६०-६१ में कितना अनुदान देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) विश्वविद्यालय ने १९६१ से त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स जारी करने के लिये प्रथम कार्यवाही के रूप में १९६० से प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) १९६.९५ लाख रुपयों का अनावर्तक व्यय और ३३.३५ लाख रुपयों का आवर्तक व्यय जिसमें से ५० प्रतिशत राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में होगी।

(ग) अनावर्तक व्यय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्फत पंजाब विश्वविद्यालय को १९५९-६० में १२.९२ लाख रुपये दिये गये थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि इस योजना के लिये अब पूर्णरूपेण जिम्मेवार है, इसी प्रयोजन के लिये १९६०–६१ में ऐसे गैर-सरकारी कालेजों के लिये जो कि पिछले वर्ष रह गये थे,

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब विश्वविद्यालय को ३ लाख रुपय देने का विचार रखता है। १९६०-६१ के लिये अन्य कालेजों के लिये विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं सम्बन्धी आंकड़े अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास नहीं भेजे गये हैं।

पंजाब सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान से यह प्रार्थना की है कि वह सरकारी कालेजों पर आने वाले अनावर्तक व्यय के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में १९६०-६१ में १४.६० लाख रुपये प्रदान करें। आयोग इस प्रार्थना पर विचार कर रहा है।

लद्दाख में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†११४०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री पहाड़िया :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १६ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा लद्दाख क्षेत्र में पुरातत्व सम्बन्धी कार्य में कितनी प्रगति की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : केन्द्रीय पुरातत्व विभाग इस समय श्रीनगर से दस मील की दूरी पर बरज़ाहोम के स्थान पर खोज कर रहा है। आशा है कि एक या दो महीनों तक काम पूरा हो जायगा। उसके बाद फिर लद्दाख क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जायगा।

होशियारपुर जिले में तेल की खोज

†११४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** १६ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होशियारपुर जिले के जनौरी स्थान पर तेल की खोज के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जनौरी में एक गहरा कुआं और एक 'स्ट्रक्चरल' कुआ खोदने का विचार है। गहरे कुएं संख्या १ को खोदने के सम्बन्ध में लगभग सारा प्रबन्ध कर लिया गया है। आशा है कि अगस्त, १९६० के अन्त तक छेदन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। 'स्ट्रकचरल' कुएं के लिये २-८-६० को महंगुरवाल गांव के निकट छेदन कार्य प्रारम्भ हुआ और १४-८-६० तक १३४ मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका था।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु सीमा

†११४२. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री १६ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने के लिय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी आयु सीमा निर्धारित की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजो में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये इस सुझाव को कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये फिलहाल १६ वर्ष से अधिक की आयु सीमा निर्धारित की जाये, अभी तक १६ विश्वविद्यालयों ने स्वीकार किया है। ६ विश्वविद्यालयों ने इसे अस्वीकार कर दिया है। शेष विश्वविद्यालयों से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है।

भारत को विकास ऋण निधि से ऋण

†११४३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री ३० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में अमरीकी विकास ऋण निधि में से भारत को कितनी राशि दी गयी थी;

(ख) क्या उन राशियों के उपयोग में कुछ कमी रह गयी है ;

(ग) प्रत्येक वर्ष कितनी कमी रह गयी है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ९२.८ करोड़ रुपये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

वित्त मंत्रीलय का नियन्त्रण

†११४४. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किये जाने वाले खर्चों पर अपने नियंत्रण को कुछ ढीला करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक सुधारों के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). वित्तीय नियंत्रण के तरीके का आखिरी बार १९५८ में पुनरीक्षण किया गया था। उसके अनुसार विभिन्न मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त कर दिये गय हैं जो कि उन मंत्रालयों के ही अधीन होंगे और उन्हें वे सभी वित्तीय अधिकार दे दिये हैं जो कि उन्हें वित्त मंत्रालय के अधीन दिय जाते। उस के बाद इस योजना पर पुनर्विचार किया गया है और इस में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। इसके अधीन इन मंत्रालयों में आन्तरिक तथा बाह्य वित्तीय परामर्शदाताओं के संयुक्त कार्य के सम्बन्ध में व्यवस्था कर दी है। श्रम और रोजगार, गृह-कार्य, सिंचाई और विद्युत्, खान तथा ईंधन विभाग

†मूल अंग्रेज़ी में

तथा परिवहन मंत्रालयों के अतिरिक्त शेष सभी मंत्रालयों ने इस संयुक्त प्रणाली को स्वीकार कर लिया है । इन प्रबन्धों के अधीन वित्तीय परामर्शदाता वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करते हैं । परन्तु इसके इस बात का ध्यान रखा गया है कि मंत्रालयों को दिये गये अधिकारों में जरा भी बाधा न पड़े ।

मंत्रालयों को अतिरिक्त वित्तीय अधिकार देने के सम्बन्ध में निरन्तर नजर रखी गयी है और स्वयं प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा शीघ्र गति से काम करने के लिये और अधिक अधिकार दिये गये हैं ।

दिल्ली में दंगा फसाद करने वाले व्यक्ति

†११४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली के दंगा फसाद करने वाले व्यक्तियों के अड्डों पर कितनी बार छापे मारे गये;

(ख) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) विभिन्न अधिनियमों के अधीन जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया है, उनके अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) ३१ जुलाई, १९६० तक पुलिस ने जुआ अधिनियम, उत्पादन अधिनियम, अफीम अधिनियम, शस्त्र अधिनियम तथा भयंकर औषधि अधिनियम के अधीन १४४२ छापे मारे थे ।

(ख) २,३२२ व्यक्ति ।

(ग)

जुआ अधिनियम	१,३०२
उत्पादन अधिनियम	८१६
अफीम अधिनियम	१२५
शस्त्र अधिनियम	७५
भयंकर औषधि अधिनियम	४
कुल	२,३२२

भारत में बीसा अथवा पारपत्र के बिना पाकिस्तानी

११४६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत मई मास से अब तक भारत में कितने ऐसे पाकिस्तानी गिरफ्तार किये गये हैं जिनके पास न ही बीसा था और न पारपत्र था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): सूचना इकट्ठी की जा रही है, और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्

†११४७. श्री रामी रेड्डी ।
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-मई, १९६० में अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) उसमें किस किस विषय पर विचार किया गया था ; और

(ग) बैठक में क्या क्या निर्णय किये गये थे ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) से (ग). अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की बैठक ३० अप्रैल, १९६० को हुई थी जिसमें देश के प्रविधिक शिक्षा के सुधार और विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया गया था। उसकी कुछ एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें यें हैं :— सभी प्रविधिक कालेजों में प्रवेश के लिये एक सामान्य प्रवेश परीक्षा ली जाये ; सभी खनन विद्यार्थियों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये एक डायरेक्टरेट स्थापित किया जाये ; रांची में ढलाई और गढ़ाई की केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाये, योग्य अध्यापकों को आकृष्ट करने के लिये उनके लिये पर्याप्त वेतन क्रम और आवास स्थानों के निर्माण के लिये और योग्य तथा निर्धन विद्यार्थियों को आकृष्ट करने के लिये छात्रवृत्तियों के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में व्यवस्था की जाये ; और पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों के लिये २५ प्रतिशत सीटें सुरक्षित की जायें जो कि दस वर्षों की अवधि में धीरे धीरे कम कर दी जायें और १० या १५ वर्षों के बाद सीटों के सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

परिषद् की कार्यवाही प्रकाशित की जा रही है जो कि सामान्य प्रथा के अनुसार संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

दिल्ली में चलते फिरते न्यायालय

†११४८. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने चलते फिरते न्यायालय हैं ;

(ख) उन न्यायालयों द्वारा १९५९ में और इस वर्ष ३१ मार्च, १९६० तक कितने मामले निपटाये गये थे ; और

(ग) इन न्यायालयों में किये गये फैसले किस प्रकार के हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) सात ।

(ख) १९५९ में ८३०८ मामल और १–१–६० से ३१–३–६० तक २६६२ मामले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन न्यायालयों द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम, नागरपालिका उपविधियों और दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार विनियमों के अधीन अपराधों का निर्णय दिया गया। यदि अपराधी व्यक्ति अपना अपराध मान ले तो उसी स्थान पर निर्णय सुना दिया जाता है। अपराधी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के बाद उसे रिकार्ड कर लिया जाता है और फिर न्यायालय अपराध के अनुसार जुर्माना सुना देता है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा के लिये अनुदान

११४९. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा इस समय 'शिक्षा' शीर्ष के अन्तर्गत अनुदान के रूप में कितनी राशि मंजूर की जा रही है; और

(ख) इसमें से दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका समिति और दिल्ली छावनी बोर्ड को कितनी राशि दी गई?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९६०–६१ में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के हेतु स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान देने के लिए दिल्ली की क्षेत्र मांग में "शिक्षा" शीर्ष के अंतर्गत ११७.४० लाख रुपये की बजट व्यवस्था है जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(१) दिल्ली नगर निगम	१०९.३४ लाख रुपये
(२) नई दिल्ली नगरपालिका . . .	७.०० ,, ,,
(३) दिल्ली कैंट बोर्ड	१.०६ ,, ,,
जोड़ . .	११७.४० लाख रुपये

(ख) दिल्ली नगर निगम को अब तक १० लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, दिल्ली

११५०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट माडल स्कूल, लडलो कैसल, दिल्ली में दिल्ली के अन्य सरकारी स्कूलों से अधिक फीस ली जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी, हां।

(ख) इस स्कूल में संगीत, बैंड, कला और शिल्प जैसे पाठ्येतर विषयों की भी व्यवस्था है जो अन्य सरकारी स्कूलों में नहीं है। इन अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों को लेने वाले छात्रों से उन विषयों की शिक्षा के लिए विषयानुसार एक रुपया प्रति मास अतिरिक्त विशेष फीस ली जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

औरंगाबाद में इंजीनियरिंग कालेज

†११५. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से औरंगाबाद में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस कालेज को कब तक प्रारम्भ किये जाने का आशा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) भूतपूर्व बम्बई सरकार से औरंगाबाद में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुआ था।

(ख) इस योजना के अनुसार उसमें प्रति वर्ष १२० विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे–६० सिविल इंजीनियरिंग में, ३० मेकेनिकल इंजीनियरिंग और ३० इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। प्रारम्भ में १९६०–६१ में केवल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स ही के लिये ही दाखला प्रारम्भ किया जायेगा।

(ग) वह कालेज जून, १९६० में प्रारम्भ कर दिया गया है

ब्रिटेन में कोयला खान इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†११५२. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पान, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कोयला क्षेत्रों के किन्हीं खनन इंजीनियरों को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये ब्रिटेन भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ?

इस्पान, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को सात अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

केरल में पिछड़े वर्गों को प्रविधिक प्रशिक्षण

†११५३. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में डिप्लोमा स्तर पर और इससे ऊपर वे स्तर पर प्रविधिक शिक्षा में ३० अन्य पिछड़े वर्गों और ६ अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को प्रविधिक प्रशिक्षण देने की योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजना में ऐसी किसी योजना को मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्था[1]

†११५४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्था की मंत्रणा समिति की एक बैठक मई, १९६० के अन्तिम सप्ताह में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन बातों पर विचार किया गया ;

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(घ) साहित्य निकालने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की ओर अधिक ध्यान देने के बारे में समिति के सामान्य सुझावों को नोट कर लिया गया है और स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है ।

विद्यार्थियों का शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन

†११५५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों को विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक पर्यटनों के लिये, अनुदान देने में अब तक क्या नीति रही है ; और

(ख) उपरोक्त प्रयोजन के लिये चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य को कितना आवंटन किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नीति यह है कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की यात्रा करने के लिये इतना अनुदान देकर सहायता की जाये कि उसमें विद्यार्थियों के लिये रियायती दरों पर तीसरे दर्जे का रेल का किराया या बस का किराया पूरा हो सके ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]**

प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज

†११५६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज बनाने का प्रस्ताव है जिनमें बहुप्रयोजनीय स्कल सम्बद्ध होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या स्वरूप है और ये संस्थायें कहां स्थापित की जावेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). इस समय प्रस्ताव विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]National Institute of Basic Education.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये शनिवार की छुट्टी

†११५७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हर महीने के अन्तिम शनिवार को होने वाली छुट्टी अब महीने के दूसरे शनिवार को होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी , हां ।

(ख) सरकार को यह बताया गया कि महीने के बीच में छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को, विशेषत: कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, अधिक सुविधाजनक होगी ।

आसाम में भूकम्प

†११५८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ मई, १९६० को आसाम में कोई भूकम्प आया था ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) आसाम के कुछ भागों में भूकम्प का अनुभव किया गया परन्तु जान माल की कोई हानि नहीं हुई ।

राष्ट्रीय स्मारकों की सूची

†११५९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्मारकों और स्थानों की कुल संख्या कितनी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में बराबर फेर बदल होता रहता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अत्यावश्यक मामलों में यातायात सम्बन्धी सुविधायें

†११६०. **श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिकों को 'असैनिक अस्पताल में ले जाने के अत्यावश्यक मामलों (एमर्जेंट केसेज) में यातायात सम्बन्धी क्या सुविधा दी जाती है; और

(ख) दिल्ली क्षेत्र में उनके कार्य करने के स्थान अस्पताल से कितनी दूर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा संस्थानों के असैनिक कर्मचारियों को, जब वे ड्यूटी पर घायल हो जाते हैं और चिकित्सा अधिकारी यह समझते हैं कि रोगी को अन्य साधनों से अस्पताल ले जाना उस के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होगा, 'कारखाना अधिनियम' के अधीन निःशुल्क यातायात सुविधा दी जाती है । उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों और उनके परिवार के व्यक्तियों को भी, शुल्क देकर एम्बुलेंस का उपयोग करने का हक है । यदि यह समझा जाय कि रोगी को किसी अन्य साधन द्वारा अस्पताल ले जाने से उसकी हालत बिगड़ जाने का खतरा है ।

(ख) यह दूरी १ मील से ११ मील तक है ।

राजस्थान में अनुसूचित जातियां

११६१. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री र० च० व्यास :
श्री दीन बन्धु परमार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने १९५८–५९ में राजस्थान की अनुसूचित जातियों के उद्धार के लिये कितनी राशि दी और उसमें राजस्थान सरकार ने कितना अंशदान दिया और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की ;

(ख) उक्त राशि में से सरकारी कर्म[illegible] पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) अनुसूचित जातियों के परिवारों पर कितनी राशि खर्च की गई और यह किस शीर्ष के अन्तर्गत खर्च की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) १९५८–५९ में राजस्थान की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरका द्वारा दी गई धनराशि और राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया अंशदान निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

क्षेत्रक	केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धन-राशि	राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान
(१) राज्य क्षेत्रक*	४.१५	४.१५
(२) केन्द्रीय क्षेत्रक*	३.५१	—

*५० : ५० (आधे आधे) के आधार पर ।

(ख) उक्त राशि में से प्रशासन पर कुछ खर्च नहीं किया गया ।

(ग) अनुबन्ध में सूचना दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८**]

†मूल अंग्रेजी में

आगरा में राकेट का परिक्षण

१९६२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री पा० ला० बारूपाल :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री मांगीलाल मंगल नामक एक युवक ने, जो धौलपुर (राजस्थान) का रहने वाला है, हाल ही में आगरा में राकेट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जिसके आधार पर भविष्य में काफी महत्वपूर्ण प्रगति होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो इस ग्रामीण युवक द्वारा किये गये राकेट परीक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य में और सफलता प्राप्त करने के लिये इस युवक को किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, नहीं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रिंसिपल आगरा कालेज, आगरा दोनों से जो रिपोर्टें आई हैं उनके मुताबिक कोई राकेट परीक्षण नहीं हुआ बल्कि मामूली सी आतिशबाजी हुई।

(ख) और *(ग)*. सवाल पैदा नहीं होता।

रामेश्वरम् मन्दिर

†११६३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि उन्होंने २८ मार्च, १९६० को अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय अपने उत्तर में निर्देश किया था, क्या श्री रामेश्वरम् मन्दिर ट्रस्ट, मद्रास सरकार और पुरातत्व विभाग के बीच बातचीत पूरी हो गयी है और मन्त्रालय ने एक फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है;

(ग) क्या रामेश्वरम् मन्दिर को कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). यह मामला अभी भी मद्रास सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में मन्दिर

†११६४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा जिले में बोलनगीर में रानीपुर झरिया में चौंसठ जोगिनी मन्दिर और अन्य मन्दिरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनके परिरक्षण के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उन मन्दिरों की मरम्मत कराने का प्रस्ताव है, जो भग्नावस्था में हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर कितनी लागत आयेगी और यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). इनकी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में औपचारिक सुरक्षा के पश्चात् इन मन्दिरों के परिरक्षण के लिये उचित कार्यवाही की जावेगी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भिलाई में चूना संयंत्र

†११६५ **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में चूना संयंत्र चालू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) चूना फूंकने के लिये भिलाई में चूना संयंत्र की प्रथम भट्टी २२ अप्रैल, १९६० को चालू की गयी थी ।

(ख) इस भट्टी की उत्पादन-क्षमता ५५ टन फूंका हुआ चूना प्रति दिन की है ।

गिरिडीह कोयला खान

†११६६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गिरिडीह में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों को बन्द करने के बारे में कोई निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जीवन बीमा निगम

†११६७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के आरम्भ होने से ३० जून, १९६० तक (जोन वार) जीवन बीमा निगम ने कुल कितना काम (बिजनेस) किया; और

(ख) किये गये काम (बिजनेस) के इन आंकड़ों की पिछले वर्ष की इसी अवधि में किये गये काम (बिजनेस) से क्या तुलना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

जोन	(रुपये करोड़ों में)
उत्तरी	१५.६४
मध्य	१२.६१
पूर्वी	२०.२६
दक्षिणी	२६.२७
पश्चिमी	२४.४४
कुल (भारत में)	९९.५२

(ख) पिछले वर्ष में इसी अवधि में किये गये काम (बिजनेस) के आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

चांदमारी

†११६८. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में कछियारी और कोहालेर के चांदमारी क्षेत्रों में जो दो आदमियों के मारे जाने की दुर्घटना हुई थी उसके सिलसिले में दिये जाने वाले मुआवज़े के बारे में अन्तिम फैसला हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो मुआवज़े की रकम कितनी है और क्या यह मृतकों के सम्बन्धियों को दे दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख): इन मामलों में प्रतिकर के भुगतान के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :

टांडा क्षेत्र में १४–२–५७ को हुई दुर्घटना

(जैसा पहले बताया गया था, १९–२–५७ को नहीं) मुआवज़े की मात्रा के बारे में पंजाब सरकार से बातचीत हो रही है । मृतक के पिता को अन्तिम प्रतिकर के रूप में ५०० रुपये देने की मंजूरी दे दी गयी है ।

योल क्षेत्र में २२–५–५८ को हुई दुर्घटना

मृतक की विधवा को २,००० रुपये दे दिये गये हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान की जापान यात्रा

†११६९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या शिक्षा मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान की जापान यात्रा के सिलसिले में कितना धन खर्च किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ७५८.२२ रुपये

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी शिक्षकों का विदेशों में भेजा जाना

†११७०. श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में विभिन्न देशों को कितने हिन्दी अध्यापक भेजे गये और उन देशों के क्या नाम हैं; और

(ख) इन हिन्दी अध्यापकों को किन शर्तों पर भेजा गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रौद्योगिकी आर्थिक सर्वेक्षण[1]

†११७१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी--आर्थिक सर्वेक्षण का विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन मिल गया है ; और

(ख) सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी-आर्थिक सर्वेक्षण के प्राथमिक आर्थिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् से विचार के लिये मिल गये हैं । इस मंत्रालय और सम्बन्धित प्रशासन के विचारों को ध्यान में रखते हुए परिषद् इन प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देगी ।

(ख) २६ नवम्बर, १९५९ को सर्वश्री प्र० चं० बरूआ, ले० अचौसिंह और राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ के भाग (ख) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

दिल्ली में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज

†११७२. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज के बारे में ब्यौरेवार नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

(ख) नक्शे व प्राक्कलन बनाने का कार्य किस को सौंपा गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Techno-economic Survey.

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आयेगी और अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) जी, हां । कालेज के नक्शे और प्राक्कलन कालेज के प्लानिंग आफ़िसर द्वारा बनाये गये हैं ।

(ग) जैसाकि १-१२-१९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर में बताया जा चुका है, इस पर कुल अनावर्ती व्यय ३६५ लाख रुपये होगा जिस में से कालेज के लिये जमीन लेने पर अब तक १०.७० लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ।

त्रिपुरा में ईंटें

†११७३. **श्री वांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छे किस्म के कोयले की पर्याप्त मात्रा के अभाव में त्रिपुरा में बनाई जाने वाली ईंटों की किस्म घटिया हो गई है जिस से जनता और त्रिपुरा की सरकार को काफी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) . परिवहन की कठिनाइयों के कारण कभी कभी पश्चिमी बंगाल अथवा बिहार की कोयला खानों से त्रिपुरा में समय पर कोयले की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच सकी । तथापि ईंटें पकाने के लिये उस के स्थान पर लकड़ी काम में आती रही और ईंटों की किस्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इस कारण से जनता अथवा त्रिपुरा प्रशासन को कोई हानि होने का पता नहीं लगा है । त्रिपुरा को पर्याप्त मात्रा में कोयला देने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है ।

भारत में विदेशी

†११७४. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक निश्चित अवधि के भीतर मान्य पारपत्र और निवास अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आदेश जारी करने के बाद से कितने विदेशियों ने मान्य पारपत्रों और निवास अनुज्ञा के लिये आवेदन किया ; और

(ख) इस बारे में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) . गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों को छोड़ कर राष्ट्रीय मान्य पारपत्र प्राप्त करने वाले विदेशियों की संख्या ३१९५ है और जिन्होंने निवास अनुज्ञा के लिये आवेदन किया और उन्हें अनुज्ञा दी गयी उन की संख्या ११,४१९ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा विनियमों का अतिलंघन

†११७५. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या वित्त मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत राशि से अधिक की विदेशी मुद्रा भेजने के बारे में श्री वी० जे० पिलानी के मामले में जांच पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) जी, हां । एन्फोर्समेन्ट डायरेक्टर ने श्री वी० जे० पिलानी पर ७५० रुपये का जुर्माना किया है ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समह में 'शेल-फिशिंग

†११७६. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या गृह-कार्य मंत्री अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बारे में २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रश्न के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो गई है कि क्या 'एम० वी० दामा' नामक जहाज वर्ष १९५७ में सामान ले जा सकता था ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) जी, हां ।

(ख) जांच पड़ताल से पता चला है कि एम० वी० "दया" जहाज को शेल-फिशिंग नौका के रूप में ९ जनवरी, १९५८ को रजिस्टर किया गया था । अतः वर्ष १९५८ में सामान ले जाने के लिये किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) कोई और कार्यवाही नहीं की जावेगी ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रधान

†११७७. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के नये प्रधान की नियुक्ति के बारे में कोई निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नये प्रधान अपना पद कब संभालेंगे ; और

(ग) क्या प्रधान का पद वैतनिक है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) अस्थायी रूप से १२ सितम्बर, १९६० निश्चित की गई है ।

(ग) यह पद अभी अवैतनिक है । नये प्रधान पूर्णकालिक पदाधिकारी होंगे और यह प्रस्ताव है कि उन को २,००० रुपये मासिक वेतन दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान प्रशासन द्वारा जलयान की खरीद

†११७८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान प्रशासन जल-नौका बनाने के लिये एक जलयान खरीदना चाहता है ;

(ख) क्या पोर्ट ब्लेयर के हार्बर मास्टर ने मेसर्ज़ आकूजी जादवेट एंड कम्पनी के एक जलयान का कलकत्ता के मर्केन्टाइल मेरीन विभाग के कैप्टन जावदेकर द्वारा निरीक्षण कराया था, जोकि मई, १९६० में डैक यात्री कल्याण समिति के कार्य के सम्बन्ध में पोर्ट ब्लेयर में थे ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रश्नाधीन जहाज पिछले पांच वर्षों से पड़ा हुआ है और यदि हां, तो अब उस की क्या हालत है ; और

(घ) इस जहाज के बारे में कैप्टन जावदेकर, मेरीन इंजीनियर और हार्बर मास्टर की क्या राय है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) जी, हां । प्रशासन ने संभरण और निबटारे के महानिदेशक को आर्डर दे दिया है ।

(ख) जी, हां । आकूजी जादवेट एंड कम्पनी के जलयान 'महमूदिया' का कैप्टन जावदेकर ने निरीक्षण किया था ।

(ग) यह जलयान बन्दरगाह में कई वर्षों से पड़ा है और जलनौका के रूप में इस का इस्तेमाल करने की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिये प्रविधिक रूप से निरीक्षण की आवश्यकता थी ।

(घ) कैप्टन जावदेकर, हार्बर मास्टर और पोर्ट ब्लेयर के मेरीन इंजीनिर की एकमत राय यह थी कि इस की बहुत अधिक मरम्मत होगी । मरम्मत पर अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए इस का खरीदना उचित नहीं समझा गया ।

उत्पादन-शुल्क की वसूली

†११७९. **श्री कालिका सिंह :**
श्री क० उ० परमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में प्रदेश-वार उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की गई ;

(ख) क्या किसी विशेष वस्तु अथवा वस्तुओं के बारे में धनराशि में कोई अधिक वृद्धि या कमी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ; और

(घ) उपरोक्त वर्षों में द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच विभाजन किस प्रकार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में उपलब्ध जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). मोटर कारों को छोड़ कर उत्पादन शुल्क वाली सब वस्तुओं पर राजस्व में वृद्धि हुई है जो मुख्यतः निम्न कारणों से है :

(१) कुछ वस्तुओं के बारे में मूल उत्पादन-शुल्क की दरों में वृद्धि ।

(२) उद्योगों का विस्तार जिस के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि और फलतः प्रति वर्ष कुछ वस्तुओं की अधिक निकासी ।

(३) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) अधिनियम, १९५७ के अधीन राज्य व्यय-कर के बदले में तम्बाकू, चीनी और कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाना ।

(४) कुछ खनिज तेलों पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाना ।

मोटर कारों से राजस्व में कमी मुख्यतः बड़ी यात्री कारों के उत्पादन में कमी के कारण है जिस पर १ दिसम्बर, १९५६ से २९ फरवरी, १९६० तक उत्पादन शुल्क लगाया गया है ।

राष्ट्रमंडल शिक्षा सहकार योजना

†११८०. **श्री कालिक सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार द्वारा श्वेत पत्र में बनाई गई 'राष्ट्रमंडल शिक्षा सहकार' योजना में भारत भाग ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कैसे ;

(ग) क्या इस योजना को भारत के परामर्श से बनाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या राय दी थी ; और

(ङ) भारतीय शिक्षकों का ब्रिटिश लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) राष्ट्रमंडल का एक सदस्य होने के नाते, भारत ने अपनी ओर से २०० छात्रवृत्तियों/अधिछात्रवृत्तियों को राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों को देने का प्रस्ताव किया है और यह अध्यापकों का प्रशिक्षण और आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों में सेवा के लिये मुख्यतः स्कूल के अध्यापक देगा । इसके अतिरिक्त भारत अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों से अधिक अनुभवी अध्यापकों का भी आदान-प्रदान करेगा ।

(२) भारत छात्रवृत्तियों/अधिछात्रवृत्तियों और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों द्वारा दी गयी सुविधा से लाभ उठायेगा ।

(३) योजना की सब गतिविधियों का एकीकरण करने के लिये लन्दन में स्थापित की गयी राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्पर्क समिति पर आने वाले खर्च में भी अंशदान देगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). भारत ने योजना के मुख्य उद्देश्य पर सहमति प्रकट की है जो कि इस प्रकार बनाया गया है जिससे सभी राष्ट्रमंडलीय देशों में उपलब्ध शिक्षा संसाधनों का राष्ट्रमंडल के देशों के अधिकाधिक हित में इस्तेमाल हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम्य उच्चतर शिक्षा गोष्ठी

†११८१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सात दिवसीय अन्तर्राज्यीय ग्राम्य उच्चतर शिक्षा गोष्ठी भोपाल में की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गयीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी; हां ।

(ख) गोष्ठी में भाग लेने वालों ने सामुदायिक विकास में पोस्ट-डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कृषि में तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के लिय पाठचर्या (सिलेबस) तैयार की, अनुसंधान और विकास कार्यों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, विभिन्न विषयों में जांच के क्षेत्रों अथवा अनुसंधान के लिये मदों का सुझाव दिया और ग्राम्य संस्थाओं में पोस्ट-डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने की सिफारिश की । उन्होंने परीक्षाओं के अन्तर्राज्यीय करण और विभिन्न विशयों में पुनरीक्षित समय विभाजन का भी सुझाव दिया ।

लेपचा आदिम जाति

†११८२. **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाओं पर रहने वाली 'लेपचा' नामक एक आदिम जाति की जनसंख्या में कमी के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या उपपत्तियां हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्य-प्रतीक

†११८३. **श्री जाधव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में वाणिज्यिक कार्यों के लिये राज्य-प्रतीक का अधिक प्रयोग हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतीक तथा नाम (अनुचित प्रयोग को रोकना) अधिनियम, १९५० के उपबंधों के कुल कितने अतिलंघन हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

:State Emblem.

एयर इंडिया इंटरनेशनल के पदाधिकारी के विरुद्ध मामले

†११८४. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **वित्त** मंत्री २४ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०७ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एयर इन्डिया इन्टरनेशनल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) उस पर क्या फैसला सुना दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सारी विदेशी मुद्रा, अर्थात् २०० रूसी फ्रैंक, ३९ अमरीकी डालर,२॥ पौंड स्टर्लिंग और १०० अमरीकी डालर के मूल्य के यात्रा चैक जब्त कर लिये गये हैं और पदाधिकारी पर १०० रुपये जुर्माना किया गया है ।

हार्नेस एंड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में अग्निकांड

†११८५. **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६० में हार्नेस एंड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस अग्निकांड का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या यह आग फैक्टरी के काम के समय के बाद लगी;

(घ) क्या इस बारे में कोई विभागीय जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ङ). हार्नेस एंड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में २८ मई, १९६० को रात के ८.३० बजे आग लगी । एक जांच का आदेश दिया गया है । जांच बोर्ड की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

समुद्र के पानी को मीठा करना

†११८६. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने के लिये कोई प्रयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं और प्रयोग पर कितना धन व्यय हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हमने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान द्वीपसमूह के लिये विकास की वार्षिक योजनायें

†११८७. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह में राज्य योजना समिति में जनता के प्रतिनिधियों को और मुख्य आयुक्त की मंत्रणा परिषद् के सदस्यों को वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के लिये विकास की वार्षिक योजनाओं की प्रतियां दे दी गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे दो सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन से इन वार्षिक योजनाओं के संभरण की प्रार्थना की है;

(घ) यदि हां, तो उनकी ये प्रतियां कब दी गयीं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रतियां राज्य योजना समिति और मुख्य आयुक्त मंत्रणा परिषद् के सब सदस्यों को दी गयी थीं । प्रशासन उनको वार्षिक विकास योजनाओं की प्रतियां नहीं देता था । तथापि, एक सदस्य को छोड़कर जो कि द्वीपसमूह से बाहर गये हुए हैं, १९६०–६१ की वार्षिक योजनाओं की प्रतियां सब सदस्यों को दे दी गयी हैं । प्रशासन को भविष्य में सदस्यों को सब विकास योजनाओं की प्रतियां देने के निदश दिये गये हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ). फालतू प्रतियां न होने की वजह से वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० के लिये वार्षिक विकास योजनाओं की प्रतियां उनको नहीं दी गयीं । तथापि वर्ष १९६०–६१ के लिये वार्षिक विकास योजना की प्रतियां उनको दी जा चुकी हैं जिस में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विकास कार्यों के बारे में प्रगति प्रतिवेदन दिये गये हैं ।

अपर डिवीज़न क्लर्क

†११८८. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेकों अपर डिवीज़न क्लर्कों ने जनवरी, १९५८ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी असिस्टेंट ग्रेड की विभागीय प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या संख्या है और उनमें से कितनों को स्थायी बना दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से अपर डिवीज़न क्लर्क उस तिथि को जब से वे स्थायी बनाये गये हैं या उनको स्थायी बनाया जायेगा, असिस्टेंट की स्थिति में भी नहीं थे; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १२५ । इन में से ११८ को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चतुर्थ श्रेणी (असिस्टेंट) में स्थायी बना दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुरातत्वीय कार्यों के बारे में सर वुले का प्रतिवेदन

†११८९. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व के बारे में सर लियोनार्ड वुले के वर्ष १९३९ के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों को दक्षिणी सर्किल के बारे में क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दक्षिणी पुरातत्वीय कार्यों के बारे में सर लियोनार्ड वुले की सिफारिशें दक्षिण भारतीय पुरातत्व विज्ञान के ज्ञान में हाल की उन्नति के कारण पुरानी हो गयी हैं ।

संग्रहालयों के लिये कर्मचारी

†११९०. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संग्रहालयों में रहने वाले कर्मचारियों को संग्रहालय-विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रशिक्षण में भाषण, शिक्षा, प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रशिक्षण और पुरातत्वीय स्थानों और संग्रहालयों का दौरा शामिल है ।

तिलक नगर में हत्याकांड

†११९१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिन के समय तिलक नगर में एक हत्याकाण्ड हुआ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या ब्यौरा है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी, नहीं । २३ जुलाई, १९६० को तिलकनगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में सुभाष नगर में रात्रि ११.४५ बजे एक व्यक्ति की

---

†मूल अंग्रेजी में

हत्या कर दी गई थी। जिन व्यक्तियों पर हत्या करने का संदेह था उन में से तीन पकड़ लिये गये हैं और अन्यों को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है। मामले की जाँच पड़ताल हो रही है।

हरिजनों का कल्याण

†११९२. **श्री जाधव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड की एक बैठक २९ जुलाई, १९६० को नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्ड ने क्या सिफारिशें कीं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) बैठक २९ जुलाई, १९६० को हुई थी।

(ख) सिफ़ारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) संख्या १ और ४ की सिफ़ारिशों को तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को आवश्यक सुझाव भेजे जा चुके हैं। संख्या २ की सिफारिश को सम्बन्धित राज्य सरकारें/प्रशासनों को बता दिया जायेगा। संख्या ३ की सिफ़ारिश के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जहाँ तक संख्या ४ की सिफ़ारिश के अन्तिम पद का प्रश्न है, मंत्रालय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मद्रास राज्य में प्रतिरक्षा संस्थानों के लिये खाद्य पदार्थ

†११९३. **श्री स० र० अरुमुगम्** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में प्रतिरक्षा सस्थानों और प्रशिक्षण केन्द्रों को कितने ठेकेदार खाद्य पदार्थ और दूध का संभरण करते हैं;

(ख) क्या कोयम्बटूर और ऐनावरम् में सहकारी दुग्ध संभरण संघों ने इन संस्थाओं को संभरण के लिये कहा था और क्या उनके प्रस्ताव को मान लिया गया है; और

(ग) वर्ष १९५९-६० में इन सहकारी संस्थाओं से कितने मूल्य का दूध खरीदा गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) बारह।

(ख) जी, हाँ। केवल मद्रास को-आपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन लिमिटेड, ऐनावरम् के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। को-आपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन, कोयम्बटूर के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया था क्योंकि उनके भाव स्थानीय बाजार भाव से अधिक थे।

(ग) लगभग दो लाख, छः हजार और छः सौ रुपये (२,०६,६००)।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों को लोहे और इस्पात का दिया जाना

११९४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **छोटे** उद्योगों, कृषि तथा कृषि-भिन्न प्रयोजनों और अन्य अन्वेषों के शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष १९५९ के लिए विभिन्न राज्यों को कितना लोहा और इस्पात दिया गया;

(ख) १९५९ में विकास योजनाओं के लिए कितना लोहा और इस्पात दिया गया;

(ग) १ अप्रैल, १९५८ के बाद कितने थोक व्यापारी (स्टाकिस्ट) देशी इस्पात नियंत्रित दरों पर बेचने के लिए नियुक्त किये गये और उनके द्वारा किस किस्म का कितना इस्पात वितरित किया गया; और

(घ) क्या इन थोक व्यापारियों की नियुक्ति के लिए व्यापारियों से प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). बंटन वित्तीय वर्ष के अनुसार की जाती है । १९५९-६० में की गई बंटन का ब्यौरा संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ग) १ अप्रैल, १९५८ के बाद १९० रजिस्टर्ड थोक व्यापारी, ६२ नियंत्रित स्क्रैप व्यापारी और १७ नियंत्रित थोक व्यापारी नियुक्त किये गये हैं ।

इन व्यापारियों द्वारा टैस्ट किये हुए और बिना टैस्ट किये हुए इस्पात की मात्रा १९५८–५९ में २६१,४३० टन और १९५९–६० (नवम्बर १९५९ तक) में २९७,१७६ थी ।

(घ) जी, नहीं । रजिस्टर्ड थोक व्यापारी और नियंत्रित स्क्रैप व्यापारी केवल राज्य सरकारों की सिफारिश पर नियुक्त किये जाते हैं । १७ नियंत्रित थोक व्यापारियों की नियुक्ति या तो लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या राज्य सरकारों द्वारा इन व्यापारियों की उपयुक्तता से संतुष्ट होकर उन की सिफारिश पर की गई है ।

लोहा और इस्पात नियंत्रक को प्राप्त व्यादेश

११९५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में यह निर्णय करने में बहुत समय लग जाता है कि किन व्यापारियों को वस्तुओं के लिए आदेश दिये जायेंगे और कुछ मामलों में आदेश देने में छ: महीने से भी अधिक लग जाते हैं;

(ख) लोहा और इस्पात नियंत्रक को १९५९ और १९६० में वस्तुओं के क्रम के आदेश देने के लिए कितने व्यादेश (इन्डेंट) प्राप्त हुए और उनके निबटारे में कितना समय लगा;

(ग) इन आदेशों द्वारा कितने टन माल दिया गया; और

(घ) इस अनावश्यक देरी से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) कभी कभी व्यादेशों के निर्णय में विलम्ब हो जाता है, परन्तु यह विलम्ब अधिकतर व्यादेशकों द्वारा व्यादेशों के प्रस्तुत करने की अनियमितताओं के कारण होते हैं जिस से लोहा और इस्पात नियंत्रक, व्यादेशों तथा कोटा निर्गमन-प्राधिकारी के बीच पत्र-व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है ।

(ख) समय		लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा प्राप्त व्यादेशों की संख्या	व्यादेश किये गये टनों की मात्रा
समय चौथा	१९५८–५९ .	५,८५४	४७४,०१३
	१९५९–६० .	२६,२७६	२३२,७१८
	१९६०–६१ .	६७	२८,३३४

भिन्न भिन्न व्यादेशों के निर्णय में भिन्न भिन्न समय लगता है ।

(ग) जनवरी १९५९ से नवम्बर १९५९ के बीच में उस समय तक के वर्तमान और शेष आदेशों के लिए १,३२७,०८० टन माल दिया गया ।

(घ) सरकार समय समय पर स्थिति पर पुनर्विलोकन करती रहती है और देरी से बचने के लिए यथा सम्भव कदम उठाये जाते हैं ।

लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन

११९६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में कितने गजेटेड तथा नान-गजेटेड कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(ग) उक्त वर्षों में उक्त संगठन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में इस समय काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

गजेटेड	३५
नान-गजेटेड	७८८

(ख) इस संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले तीन सालों में निम्नलिखित धन राशि वेतन तथा भत्तों के रूप में दी गई :—

	वेतन रूपये	भत्ते रुपये	जोड़ रुपये
१९५६–५७	१०,३०,९९८	६,६३,१४४	१६,९४,१४२
१९५७–५८	१३,१९,०४०	८,७८,७२०	२१,९७,७६०
१९५८–५९ . .	१४,९०,७४३	९,६७,९३४	२४,५८,६७७

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उक्त वर्षों में उक्त संगठन पर कुल किया गया व्यय इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५६–५७	१८,९१,७११
१९५७–५८	२३,९९,३६१
१९५८–५९ . . .	२६,५३,८३३

इस्पात का आयात

११९७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन वस्तुओं के निर्यात के बदले इस्पात का आयात किया जा सकता है,

(ख) क्या व्यापारियों की जानकारी के लिये वस्तु विनिमय या अदला-बदली की प्रणाली के संबंध में कोई अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना निकाली गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उस अधिसूचना या सूचना की एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी ;

(घ) क्या संबंधित पक्षों को इस्पात के आयात के लिए लाइसेंस दे दिये गये हैं और क्या किसी व्यापारी को वस्तुओं के निर्यात करने से पूर्व ही आयात की अनुमति दे दी गई थी ;

(ङ) आयातकर्त्ताओं ने कितना माल निर्यात किया और प्रत्येक वस्तु किस मूल्य पर निर्यात की गई ;

(च) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने कुछ भी निर्यात नहीं किया यद्यपि उन्हें वस्तुओं की अदला-बदली के आधार पर आयात के लाइसेंस दे दिये गये हैं ; और

(छ) यदि हां, तो कितने माल के आयात के लिए उन लोगों को लाइसेंस दिये गये जिन्होंने कोई वस्तु निर्यात नहीं की ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ऐसे इस्पात का आयात जो हमारे पास अल्प मात्रा में है, इस्पात पिण्डों, स्लेब, अपिधम लोहे, बिलेट्स, स्क्रैप, मैंगनीज खनिज, लोहा खनिज के बदले में किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्राय वस्तु विनिमय में यह तरीका अपनाया जाता है कि निर्यात हो चुकने के पश्चात् इस्पात के आयात के लिए लाइसेंस जारी किये जाते हैं, फिर भी कुछ मामलों में जहां लोहा और इस्पात नियंत्रक निर्यात में विलम्ब होने के कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो निर्यात कर्त्ताओं के अदेय प्रत्यय-पत्रों या बैंक-गारन्टी के बदले आयात की अनुमति दे दी जाती है ।

(ङ) जनवरी, १९६० से जून १९६० तक २,३१,२०० टन स्क्रैप और कच्चा लोहा वस्तु-विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात किया गया है । विभिन्न प्रेषण-वस्तुओं के मूल्य समय समय पर बदलते रहते हैं ।

(च) जी, हां ।

(छ) ६२,५०० टन ।

बिहार-पश्चिमी बंगाल सीमा-विवाद

†११९८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल और बिहार की सरकारों के मुख्य सचिवों ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई घटना-स्थल पर जांच की है कि पश्चिमी बंगाल में मालदा और बिहार में पूर्निया जिलों की सीमा पर गोबिन्दपुर गांव पश्चिमी बंगाल का भाग है या बिहार का; और

(ख) यदि हां, जांच कब की गयी थी और उसका क्या परिणाम निकला?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). दोनों सरकारों के बीच इस विषय पर लिखा पढ़ी हुई है और इन कागजात की जांच हो जाने के पश्चात्, दोनों मुख्य सचिव आपस में मिलेंगे और इस मामले पर आगे विचार करेंगे ।

कोक बनाने का कोयला

†११९९. **कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोक बनाने के कोयले का इस समय कितना वार्षिक उत्पादन होता है ;

(ख) इस्पात उद्योगों की कोयले की वार्षिक मांग कितनी है ; और

(ग) इस समय संभरण की क्या स्थिति है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कोक बनाने के कोयले का वार्षिक उत्पादन १४० लाख टन का है ।

(ख) वर्ष १९६० में इस्पात संयंत्रों की कुल मांग ९२ लाख टन की है जिसमें १३ लाख टन कोक बनाने के कोयले के अतिरिक्त कोयला भी शामिल है ।

(ग) वर्तमान संभरण की स्थिति पर्याप्त है ।

बस्तर जिले में तांबा अयस्क के निक्षेप

†१२००. **कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में तांबा अयस्क के निक्षेपों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों का अनुमानित अस्तित्व कितना है ; और

(ग) इन निक्षेपों को निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां । प्राथमिक सर्वेक्षण से कुछ निक्षेपों का पता चला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). खनन की क्षमता, मात्रा और किस्म निर्धारित करने के लिये छिद्रण द्वारा विस्तृत जांच प्रगति पर है। खनन के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियमों में संशोधन

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : श्रीमान्, मैं कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२३०३/६०]

आश्वासनों पर की गयी सरकार की कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले पांच विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१)	विवरण संख्या १	ग्यारहवां सत्र, १९६०
(२)	अनुपूरक विवरण संख्या ४	दसवां सत्र, १९६०
(३)	अनुपूरक विवरण संख्या ७	नवां सत्र, १९५९
(४)	अनुपूरक विवरण संख्या १०	आठवां सत्र, १९६०
(५)	अनुपूरक विवरण, संख्या ३१	चौथा सत्र, १९६०

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या क्रमशः ७२ से ७६]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८, की धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२३०४/६०]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य-सभा ने १८ अगस्त १९६० को हुई अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि यह सभा, लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि, राज्य-सभा कुछ धार्मिक न्यासों के पुनरीक्षण और प्रशासन की और अच्छी व्यवस्था करने वाले विधेयक

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो; तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करके के लिए राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

१. श्री फरीदुल हक़ अन्सारी
२. श्री एम० वासवपुन्नैया
३. श्रीमती वेदवती बुरगोहेन
४. श्री आर० एस० डूगर
५. श्री पी० डी० हिम्मतसिंहका
६. श्री जुगल किशोर
७. श्री आर० के० मालवीय
८. श्री तारकेश्वर पांडे
९. श्री हरिहर पटेल
१०. श्री जी० राजगोपालन
११. श्री के० के० शाह
१२. श्री बी० बी० वासप्पा शेट्टी
१३. श्री आर० पी० एन० सिन्हा
१४. श्री एम० बी० तम्पलीवार
१५. पंडित एस० एस० एन० तन्खा।

कांगो में लियोपोल्डविल हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालकवृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्यों ने कांगो में लियोपोल्डविल हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में अपने कार्य पर तैनात भारतीय चालकवृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। यह घटना १८ अगस्त की है इस विषय में जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई है उसे मैं सभा के सामने रखता हूं।

१८ अगस्त, को प्रातः फ्लाइट लेफ्टीनेंट विर्मानी ने, जो वहां पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैनात हैं, संयुक्त राष्ट्रीय प्राविधिकि सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ३ असैनिक मोरक्को निवासियों को तथा साज सामान सहित कनाडा के १४ सैनिकों को, कांक्विलहैटबिल के लिये विमान पर चढ़ाया। उसने अभी विमान का एक इंजन चालू ही किया था कि 'कांगो फोर्स पब्लिक' के सैनिकों ने विमान को घेर लिया तथा चालकों को बन्दूकें दिखा कर उतरने के लिये कहा। कांगो के सैनिकों ने ब्राउनिंग मशीनगन लगी एक जीप भी एक मार्के की जगह पर खड़ी कर दी थी। फ्लाइट लेफ्टीनेंट विर्मानी ने इंजन बन्द

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कर दिया और भारतीय चालक विमान से नीचे उतर आये। सवारियां विमान ही मे बठी रहीं। कांगो के सैनिकों ने चालकों से दुर्व्यवहार किया और उनके हाथ ऊपर उठवा दिये। फिर वे हाथ ऊपर उठ जाये ही उन्हें कंट्रोल टावर तक ले गये। यात्रा के दौरान चालकों ने उन्हें बताया कि वे भारतीय है और फिर आपस में कुछ तर्क वितर्क के बाद उन्होंने चालकों को रिहा कर दिया। यद्यपि चालकों को पीटा गया परन्तु किसी के चोट नहीं आई।

भारतीय कर्मचारी संयुक्त राष्ट्रीय कंट्रोल बिल्डिंग में चले गये। उन्होंने कुछ कांगो के सैनिकों को विमान पर चढ़ते देखा और फिर मोरक्कोवासी यात्री बाहर निकले। उनसे व्दुर्व्यवाहर किया गया और एक को पीटा भी गया। उसके बाद कनाडावासी बाहर आए तथा कांगो के सैनिकों को अपने पहिचान-पत्र दिखाने लगे। एक कनाडियन अफसर तथा तीन अन्य सैनिकों को पीटा गया। अफसर को तो राइफल के बट मार मार कर घायल कर दिया गया।

बाद में कांगो के सैनिकों ने बताया कि उन्हें सन्देह था कि शायद कनाडियन यात्री, बेल्जियम के पैराट्रूपर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इस घटना के बारे में कांगो सरकार को विरोध पत्र भेजा है। मैंने भी कांगो के प्रधान मंत्री को इस दुखद घटना पर अत्यधिक खेद प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा है। मैंने उस पत्र में लिखा है कि इस समय, भारत सरकार ने बड़ी असुविधायें सहते हुए कुछ भारतीयों को कांगो में सेवा के लिये भेजा है ताकि वे कांगो गणतंत्र में शान्ति तथा स्थायित्व की स्थापना करने में सहायक हों। भारत की सरकार तथा वहां की जनता कांगो गणतन्त्र के प्रति मैत्रीपूर्ण भावनायें और हार्दिक सहानुभति रखती है, उन्होंने कांगो की स्वतन्त्रता का स्वागत किया है। इसलिये यह जान कर हमें बड़ा दुख हुआ कि भारतीय अधिकारियों से इस प्रकार का भद्दा अमैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाय। मैंने आशा प्रकट की है कि भविष्य में ऐसी घटनायें न होंगी तथा भारतीयों को कांगो प्रदेश की सेवा करने के लिये उपयुक्त सुविधायें दी जायेंगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह जानने का यत्न कर रहे हैं कि यह घटना कैसे घटी तथा भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे यह प्रश्न समझ में नहीं आया।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहमपुर) : क्या इस मामले को संयुक्त राष्ट्र मिशन के पास भी हम ले गये हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संयुक्त राष्ट्र कमान ही तो इस मामले पर विचार कर रही है। वहां के संयुक्त राष्ट्र कमान के अध्यक्ष एक भारतीय ही हैं।

†**श्री गोरे** (पूना) : इस घटना से यह पता चलता है कि कांगो के प्रधान मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र में मतभेद होता जा रहा है। यदि यह फूट बढ़ गयी तो हम क्या रवैया अपनायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यह बड़ा नाजुक मामला है। मैं उत्तर नहीं दे सकता। स्थिति उत्पन्न होने पर ही हम विचार करेंगे। अभी तो सुरक्षा परिषद् इस मामले पर विचार कर रही है और उसकी बैठक कल होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मैं पलाई सेण्ट्रल बैंक के बारे मे वक्तव्य देता हू ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब केरल उच्च न्यायालय ने बैंक को बन्द करने की याचिका ग्रहण करके एक अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया था उस समय मैंने सभा में वक्तव्य दिया था । उस समय मैंने वह सारी जानकारी यहां दे दी थी जो सरकार के पास थी । उसके बाद मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर से ब्यौरात्मक बातचीत की है ।

रिजर्व बैंक ने पलाई सेंट्रल बैंक बन्द करने के बारे में जो कार्यवाही की है उसके बारे मे काफी गलतफहमियां हैं । कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्व बैंक ने पहले से ही स्थिति का उपचार न किया और कुछ कहते हैं कि उसने बहुत जल्दबाजी मे यह कार्यवाही कर ली । पलाई बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में भी, रिजर्व बैंक ने जो दृष्टिकोण बनाया था उसकी भी आलोचना हुई है ।

बैंक के विरुद्ध जब से कार्यवाही की गयी है, तब से सार्वजनिक चर्चाओं में जो सामान्य बातें उठायी गयी हैं, पहले मैं उन्हीं का उल्लेख करूंगा । जनता को एक गलतफहमी यह है कि चूंकि एक बैंक अनुसूचित बैंक है, इसी कारण रिजर्व बैंक उस संस्था के सुव्यवस्थित संचालन की गारंटी करता है अथवा यह कि उसमें जमा राशियों का भी उत्तरदायित्व ले लेता है । केवल यह तथ्य, कि एक बैंक रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में आ गया है, इस बात के लिये काफी नहीं कि उसकी गारंटी हो चुकी है । अनुसूची में आने का मतलब केवल यह होता है कि अनुसूचित बैंक न्यूनतम वित्तीय स्तर को पूरा करता है, तथा इसे रिजर्व बैंक में कुछ रुपया कानून के अनुसार जमा कराना पड़ता है और यह उपयुक्त शर्तों तथा दरों पर रिजर्व बैंक से ऋण ले सकता है । रिजर्व बैंक अधिनियम स्वयमेव रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के कार्य के अधीक्षण या प्रशासन का अधिकार नहीं देता । रिजर्व बैंक को अधीक्षण तथा नियंत्रण के जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ द्वारा होते हैं । इस बैंक पर रिजर्व बैंक के अधीक्षण के सम्बन्ध में भी मैं बाद में कुछ कहना चाहूंगा ।

इस बैंक के लाइसेंसिंग के बारे में भी कुछ गलतफहमी है । बैंकिंग समवाय अधिनियम के अनुसार समस्त नये बैंकों को अनुज्ञप्तियां प्राप्त करनी चाहियें । अधिनियम लागू होने के समय चालू बैंकों के लिये यह व्यवस्था की गयी थी कि अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष बाद अनुज्ञप्ति स्वीकार भी की जा सकती है तथा अस्वीकृत भी । जब तक लाइसेंस से इंकार नहीं किया जाता तब तक बैंकों को काम काज चालू रखने की आज्ञा होगी । पलाई बैंक १९२७ से काम कर रहा है और इसे अनुज्ञप्ति देने का प्रश्न १९५४ में उठा जबकि बैंकिंग समवाय अधिनियम को लागू हुए तीन वर्ष की अवधि हो गयी थी । किन्तु वास्तव मे इस बैंक को अनुज्ञप्ति नहीं दी गयी । न ही इस बैंक को अनुज्ञप्ति दिये जाने से इंकार किया गया क्योंकि यदि इंकार किया जाता तो इसका मतलब यह होता कि बैंक को चालू रखने की अनुमति नहीं दी गयी है । मैं इस बात का उल्लेख इस कारण से कर रहा हूं क्योंकि जनता की यह धारणा है कि इस बैंक को अनुज्ञप्ति दी गयी थी ।

बैंकिंग समवाय अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक अनुसूचित तथा अनुसूचित बैंकिंग समवायों का निरीक्षण कर सकता है । इस तरह के निरीक्षण १९५० से शुरू कर दिये गये थे और तब से अब तक रिजर्व बैंक ने इस दिशा में पर्याप्त साधन जुटा लिये हैं । इन निरीक्षणों का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंक का काम दक्षता से चले तथा रुपया जमा करने वालों को लाभ प्राप्त हो । रिजर्व बैंक इन अधिकारों को, प्रबन्धकों को ठीक मार्ग पर चलाने के लिये ही, प्रयोग करता है । बैंकों का काम बन्द करने के लिये ऐसा कभी नहीं किया जाता । हां जहां निक्षेपकों के हित का प्रश्न हो वहां ऐसी कार्यवाही भी सम्भव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

ये निरीक्षण अनेक संस्थाओं में हुए और उनमे से बहुत सी संस्थाओं का विकास अर्से से होता आ रहा है। ऐसी बात नहीं कि सभी संस्थाओं के काम में त्रुटियां न हों। कुछ त्रुटियां शीघ्र दूर हो जाती हैं तथा कुछ त्रुटियो को दूर करने के लिये समय लगता है। इस बारे में प्रबन्धकों के सहयोग का भी भारी मूल्य रहता है और कभी कभी उनकी ओर से सहयोग नहीं मिलता। जिन बैंकों का निरीक्षण किया जा चुकता है उनके बारे में कार्यवाही करते समय रिजर्व बैंक यह सोचता है कि यदि कड़ी कार्यवाही की गयी तो बैंक में रुपया जमा करने वाले लोगों पर तथा बैंक के कार्यक्षेत्र मे सूबो बैंकिंग प्रणाली पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। भरोसा एक ऐसी नाजुक चीज है कि यदि इसे जरा सी भी ठेस लग जाय तो फिर इसे आसानी से पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिये कड़ी कार्यवाही करने से पूर्व रिजर्व बैंक को इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है। इसलिये जब तक किसी संस्था के फिर से पनपने की गुंजाइश इसे दिखायी देती है तब तक यह उन संस्थाओं का पोषण भी करता है जो ठोस न हों। जब कोई गुंजायश ही नजर न आए और निक्षेपकों के हित खतरे में पड़ जायं तभी बैंक समापन का अभ्यावेदन दे सकता है। इस पृष्ठभूमि के आधार पर हमें रिजर्व बैंक द्वारा की गयी कार्यवाही के औचित्य को परखना चाहिये और इसी आधार पर देखना चाहिये कि कार्यवाही करने का समय उचित था या नहीं।

जैसा कि मैंने पहले वक्तव्य में बताया था, पलाई बैंक का निरीक्षण गत दस वर्षों में चार बार किया गया। १९५१, १९५६, १९५८ तथा १९६० में निरीक्षण किये गये। १९५३ और १९५५ में थोड़ा सा निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के फलस्वरूप जो त्रुटियां रिजर्व बैंक को दिखाई दीं उन्हें प्रबन्धकों को बताया गया और काफी अर्से के सतत प्रयत्नों के बाद रिजर्व बैंक इन त्रुटियों को दूर करा सका। निरन्तर कोशिशों के बाद ही इस संस्था का प्रबन्ध दक्षता से चलने लगा था। किन्तु यह दुख की बात है कि ये सारे प्रयास बेकार हो गये। यद्यपि इस बीच इस बैंक की स्थिति बिड़गती गयी तथापि रिजर्व बैंक यही सोचता रहा और मैं समझता हूं कि उसका विचार ठीक था कि सख्त कार्यवाही उस समय तक न की जाय अर्थात् अनुज्ञप्ति आदि प्रदान करने से तब तक इंकार न किया जाय जब तक कि यह बात स्पष्ट न हो जाय कि बैंक के सुधार की गुंजायश ही न रह गयी है तथा निक्षेपकों के हित खतरे में पड़ चुके हैं। यदि बैंक में से इतना जल्दी रुपया न निकलवाया जाता तब भी इसे अपनी हालत सुधारने के लिये कई वर्ष सतत यत्न करने पड़ते। परन्तु जनता को बैंक पर से भरोसा उठ गया और लोग धड़ाधड़ रुपया निकलवाने लगे। इससे बैंक की बिगड़ी हालत सुधरने की गुंजाइश भी जाती रही और हताश रिजर्व बैंक को भी कहना पड़ा कि बैंक का कामकाज बन्द करा दिया जाय। यदि ऐसी कार्यवाही पहले से ही कर ली जाती तो लोग रिजर्व बैंक की आलोचना करते और कहते कि बैंक ने प्रबन्धकों को स्थिति सुधारने का पर्याप्त अवसर भी नहीं दिया। यदि कुछ समय और कार्यवाही न की जाती तो प्राथमिकता प्राप्त निक्षेपक तथा अन्य लोग वह रुपया ले जाते जो मिलता और साधारण निक्षेपकों को पूरी हानि हो जाती इसलिये विभिन्न परस्पर विरोधी बातों पर विचार करके ही हमें एक संतुलित राय बनानी पड़ती है और मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से रिजर्व बैंक ने ठीक समय पर उपयुक्त कार्यवाही की है।

कुछ लोग यह कहते हैं कि बैंक की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसे बन्द कराने का आदेश दिया जाता। पहले वक्तव्य में मैं ने कुछ आंकड़े सभा को बताये थे। कुछ सदस्यों ने इन आंकड़ों को गलत बताया है और अपने अलग आंकड़े सभा में बताये हैं। परन्तु जिस साधन से उन लोगों ने ये आंकड़े प्राप्त किये हैं वह स्पष्ट नहीं है। यह बताया गया है कि जिस समय बैंक को बन्द करने का आदेश दिया गया है उस समय बैंक के पास ४ करोड़ रुपये के चल परिसम्पद् थे अर्थात्, १.३८ करोड़ रुपया नकद या बैंक बेलेंस की शक्ल में था तथा १.७ करोड़ रुपये की सरकारी प्रत्याभतियां थीं और ५ लाख रुपये शयरों तथा ऋण पत्रों में लगे थे, ८० लाख रुपये सोना रख कर उधार दिये

गये थे और ३० लाख रुपये अन्य विक्रय योग्य सामान के बदले कर्ज दिये गये थे। किन्तु जब बैंक वालों को निक्षेपकों को अदायगी करनी पड़ती है उस समय वास्तविक परिसम्पद् नकदी ही होती है या फिर वे सरकारी प्रत्याभूतियां अथवा बैलेंस उस समय काम आते हैं जोकि तुरन्त प्राप्त किये जा सकते हैं। दूसरे बैंकों से प्राप्त होने वाली रकम का सही ज्ञान हमें नहीं है परन्तु पलाई बैंक के मुख्य प्रबन्धक ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को बम्बई में जो कुछ बताया वह यह है कि प्रत्याभूतियों के आधार नकदी तथा उधार उन्हें क्रमशः ५० लाख तथा १०० लाख रुपये तक मिल सकता है। इन आंकड़ों की पुष्टि उस ने फिर की है। खैर यदि परिसम्पद् इस से कुछ ज्यादा भी होते तब भी मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक के इस निश्चय में कोई फर्क न पड़ता। बैंक के आखिरी तलपट के छपने से ले कर इस के बन्द होने की तारीख तक लोगों ने इस बैंक से १५० लाख के करीब रुपया निकलवा लिया। अब बैंक नकदी या उधार ले कर केवल १५० लाख रुपया जुटा सकता था। अन्य परिसम्पदों से बैंक को इस दिशा में कोई लाभ नहीं हो सकता था क्योंकि सोने के एवज में उधार दी गई रकमें आदि शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकती थीं। बैंक की समूची हालत ही खराब हो गई थी। २९ जुलाई १९६० तक बैंक ने कुल ५.६ करोड़ का ऋण दिया था और इस में से २१९ लाख रुपया वसूल ही नहीं हो सकता था। १८ लाख रुपये की वसूली में सन्देह था। ११२ लाख रुपये की एक रकम अग्रिमों में वैसे ही फंस गई थी और उसे भी शीघ्र वसूल नहीं किया जा सकता था। उस में से भी काफी रुपये की वसूली की आशा नहीं है। बैंक ने इस तरह से अपना बहुत सा रुपया ज़ाया कर दिया था और इस के बाद लोगों ने भी एकदम रुपया निकलवाना शुरू कर दिया। इस से जैसी हालत थी वह और भी खराब हो गई। बैंक के परिसम्पद् और भी कम हो गये। यदि बैंक को बन्द करने में और देर की जाती तो लोग रुपया निकलबाते रहते और प्राथमिकता वाले निक्षेपक सारा बचा खुचा धन ले उड़ते। इन हालात में रिजर्व बैंक ने ठीक समय पर उचित कार्यवाही की।

किसी बैंक के दिवालिया होने से और खास कर ऐसे बैंक का दीवाला निकलने से जिस में रुपया जमा कराने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो, बहुत घोर विपत्ति आती है और हजारों छोटे बड़े आदमी तबाह हो जाते हैं। सरकार को उन से सहानुभूति है। बैंकिंग समवाय अधिनियम में संशोधन कर के हम ने हाल ही के वर्षों में निक्षेपकों के हितों की रक्षा करने के लिये विभिन्न काम किये हैं। इस दुर्घटना को दृष्टि में रखते हुए हम यह सोच रहे हैं कि क्या कम पैसे वाले निक्षेपकों के हितों की रक्षा इस से ज्यादा हद तक नहीं की जा सकती जितनी कि हम ने अब की है। जो बैंक दीवालिया होने वाले हैं हम उन के निक्षेपकों को शीघ्रता से पहले सहायता देने की बात पर भी विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा करने के लिये हमें विद्यमान विधेयक में संशोधन करना पड़े। चूंकि इस समय हम मामले पर विचार कर रहे हैं इस कारण हम इस सम्बन्ध में अभी से कोई बात नहीं कह सकते।

कुछ लोगों की यह बात भी मैं ने सुनी है कि इस बैंक के निक्षेपकों की सहायता सरकार को सीधे ही करनी चाहिये किन्तु व्यक्तिगत क्षति की पूर्ति के लिये जनता का धन लगाने को कहना उचित नहीं है। इसी तरह की अन्य संस्थाओं की सहायता भी तो फिर सरकार को करनी पड़ेगी। इस तरह के उपाय की प्रतिक्रिया भी व्यापक होगी अतः सभा को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये और यह नहीं समझना चाहिये कि हमें पलाई बैंक में रुपया जमा कराने वाले लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं। हम सोमवार को इसी विषय पर चर्चा करेंगे और तब तक सभी सदस्यों को धीरज रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं सोमवार २२ अगस्त, १९६० से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :—

(१) योजना मंत्री के प्रस्ताव पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा ।

(२) आज के क्रमपत्र से आगे ले जाये किसी भी कार्य पर विचार ।

(३) १९६०-६१ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार तथा मतदान ।

(४) निम्न विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना :—

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दशमिक एककों में परिवर्तन) विधेयक, १९६० ।

बाट तथा माप प्रमाप (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

भारतीय श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक, १९६० तथा विधि व्यवसायी विधेयक, १९५९, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(५) पलाई बैंक के बारे में चर्चा ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में ३१ अगस्त, १९६० को चर्चा होगी ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

†**श्री चांडक** (छिंदवाड़ा) : मैं सभा की बठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

दसवें सत्र में २१ मार्च से २९ अप्रैल, १९६० तक की अवधि में जो सदस्य लगातार पन्द्रह दिन या उस से ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहे उन के नाम बताने वाले एक विवरण की एक प्रति भी मैं सभा पटल पर रखता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : तारांकित प्रश्न संख्या ४४० जो १७ अगस्त १९६० को पूछा गया था, के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में यथेष्ट शुद्धि करने के प्रयोजन से मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं :—

अनुपूरक प्रश्न पूछते समय, श्री स० मो० बनर्जी ने यह प्रश्न पूछा था :—

"माननीय उपमंत्री ने बताया है कि एन्फोर्समेंट डायरेक्टर सभी सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं । क्या यह सच है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल के एक जिम्मेदार अफ़सर, जो कि डायरेक्टर, श्री चटर्जी के पुत्र बताये जाते हैं, विदेशी मुद्रा संबंधी

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियमों के उल्लंघन के अपराध में फंसे हुए थे ? यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ? क्या यह भी सच है कि मामले को दबा दिया गया था ?"

उस के उत्तर में मैं ने कहा था :—

जी नहीं, मामले को दबाया नहीं गया था । उन पर जुर्माना किया गया था और कानूनी कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । अतः मैं इस आरोप का प्रतिवाद करता हूं कि ऐसा कोई मामला दबाया गया है । इसे कतई नहीं दबाया गया है ।

चूंकि मैं श्री बनर्जी के प्रश्न का पिछला भाग ठीक से सुन न सका था, इसलिये मैं ने जो जानकारी दी वह किसी और ही व्यक्ति के बारे में दे दी है । वह भी एयर इंडिया इंटरनेशनल में एक अफसर है । उस के पास अनधिकृत विदेशी मुद्रा तथा यात्री चैक थे इस कारण समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन सीमा शुल्क अधिकारियों ने उस पर जुर्माना किया । जहां तक सरकार को पता है श्री चटर्जी का पुत्र किसी ऐसे मामले में नहीं पकड़ा गया और न ही उस पर ऐसा कोई आरोप लगा है । मुझे इस गलती का बड़ा ही दुख हो रहा है ।

समिति के लिये चुनाव

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"दिनांक २६ फरवरी, १९५८ के शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ ११—१०/५७—सी० १ के पैरा १(छ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड में ३१ जुलाई, १९६१ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये, उक्त संकल्पों के अन्य उपबन्धों के अधीन, काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"दिनांक २६ फरवरी, १९५८ के शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ ११—१०/५७—सी० १ के पैरा १(छ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड में ३१ जुलाई, १९६१ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये, उक्त संकल्पों के अन्य उपबन्धों के अधीन, काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

चव्वनवां प्रतिवेदन ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से, जो १९ अगस्त, १९६० को सभा में पेश किय गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यकता पड़ी तो हम एक दिन और बैठ जायेंगे । प्रश्न यह है कि :

"यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से, जो १९ अगस्त, १९६० को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनूसूचित जातियो तथा अनूसूचित आदिम जातियो के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब १८ अगस्त, १९६० को श्रीमती आल्वा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५८-५९ के प्रतिवेदन पर, जो २२ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

श्री भा० कृ० गायकवाड़ अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : कल मैं श्रीमती आल्वा के वक्तव्य का उल्लेख कर रहा था । मैं बता रहा था कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हरिजनों के बारे में क्या कहा था । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने भी हमें एक बार बताया था कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सूचित कर दिया है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को दी जाने वाली सभी सुविधायें इन नये बौद्धों को दी जायें ।

उस के अनुसार, सब से पहले महाराष्ट्र में ही नये बौद्धों को वे सभी सुविधायें, संसद् और विधानमंडलों में रक्षित सीटों की राजनीतिक सुविधा को छोड़ कर, अन्य सभी सुविधायें जुटाने की घोषणा की गई थी ।

गृह-कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह अपने सभी मंत्रियों को सलाह दें कि शिक्षा और सरकारी सेवाओं में भर्ती के बारे में अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सभी सुविधायें इन नये बौद्धों को दी जानी चाहियें । अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन के बारे में मुझे यह कहना है कि आयुक्त और उनके सहायक आयुक्तों ने हर वर्ष देश का दौरा करके, हर वर्ष अपनी कुछ सिफारिशें सरकार के सामने रखी हैं। आयुक्त ने १६५१ से १६५८-५६ तक कुल मिला कर १,५५७ सिफारिशें की हैं।

सरकार ने अभी तक उन में से कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि कुछ भी नहीं, तो फिर इतना बड़ा एक विभाग बनाने की जरूरत ही क्या है ? मैं पूछता हूं कि सरकार क्या करने की सोच रही है ?

सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिये कुछ भी नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रतिवेदन और ऐसे ही अन्य प्रतिवेदनों के बारे में मेरा एक सुझाव है कि ऐसा प्रतिवेदन जब भी सभा में उपस्थापित हो, उसी समय माननीय मंत्री अपने आप एक प्रस्ताव रख दें कि प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। उस समिति में सभी दलों के लोग रहें। वे सभी लोग रहें जिनको इस में रुचि हो। उस समिति की बैटक में सदस्यगण सभी बातों पर व्यौरे से बहस कर सकते हैं। उस बैठक में आयुक्त को भी बुलाया जा सकता है। ऐसी बैठक में सदस्यों को अपनी पूरी बात कहने का अवसर मिल जायेगा और उन्हें संतोष भी तभी हो सकेगा। उन्हें पता चल जायेगा कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है। आगे से ऐसा ही किया जाना चाहिये।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : अस्पृश्यता निवारण का दायित्व तो सवर्ण हिन्दुओं पर ही है। इसलिये उनको भी इस पर विचार करने के लिये सम्मिलित रहना चाहिये।

†**अध्यक्ष : महोदय** इसकी भी अनुमति रहेगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : संविधान के अनुच्छेद १७ में हर प्रकार की अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। भारत सरकार ने भी १६५५ का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा पास किये गये संकल्पों को राज्य सरकारों के पास भेजा गया था। उनमें से एक संकल्प में कहा गया था कि उन गांवों की सूची तैयार की जाये जहां अस्पृश्यता चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका उत्तर दिया था कि अस्पृश्यता लगभग सभी गांवों में चल रही है, इसलिये अभी वैसी कोई सूची तैयार करना सम्भव नहीं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने लिखा था कि वह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं था। अन्य सरकारों ने भी इसी तरह के उत्तर दिये थे। तब ऐसी हालत में, जब यह स्पष्ट है कि हर जगह अस्पृश्यता चल रही है, तब क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वह अपनी विधियों को कार्यान्वित करे ? सरकारी विधियों का सम्मान यदि सरकार ही नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा ?

सरकार को संसद् द्वारा पारित विधियों का पालन कराना चाहिये।

आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत जितने भी मामले अदालत में पहुंचते हैं, उन में से ४० प्रतिशत में समझौता करा दिया गया। पुलिस मामलों की जांच में ही बहुत समय लगा देती है। और अगर न्यायाधीश दण्ड भी देता है तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भा० कृ० गायकवाड़]

२ या ५ या १० रुपये तक के जुर्माने का, जैसे कि ये मामले बिना बत्ती साइकिल चलाने के मामलों से अधिक कोई महत्व नहीं रखते। तब फिर इस कानून की कौन परवाह करेगा ?

अधिनियम में जब ५०० रुपये जुर्माने और छैः महीने तक की सज़ा की व्यवस्था है तब फिर न्यायाधीश २ रुपये का जुर्माना क्यों करते हैं ? व्यवस्था वह होनी चाहिये कि कम से कम ५०० रुपये तक जुर्माना और छैः महीने की सजा की जा सकती है। तभी लोग ऐसे अपराध करने में हिचकेंगे।

अनुसूचित जातियों के लोगों को परेशान किया जाता है। पुलिस उनकी शिकायतों पर कान नहीं देती। इसलिये सरकार को इसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

आयुक्त के प्रतिवेदन में कहा गया है कि १९४९ तक गैर सरकारी अभिकरणों की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों के लिये ६,८०४ कुएं तैयार किये गये थे। लेकिन हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी क्यों नहीं लेने दिया जाता ?

जब तक हरिजनों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं होगा, तब तक अस्पृश्यता दूर नहीं होगी। आगरा और कानपुर आदि स्थानों में अनुसूचित जाति के लोग जूते तैयार करते हैं। उनको विदेशों में निर्यात किया जाता है। लेकिन सारा मुनाफा बीच के व्यापारी उड़ा जाते है। राज्य व्यापार निगम भी उनको स्वयं निर्यात करने का अवसर नहीं देता। वह भी बीच के व्यापारियों को ही प्रोत्साहित करता है।

सरकार के पास देश भर में काफी गैर जुती हुई ज़मीन पड़ी है। उसे अनुसूचित जाति के लोगों को खेती करने के लिये दिया जा सकता है। गुजरात विधान सभा से भूमि मागने के लिये अनुसूचित जाति के ५,००० लोग गये थे। उन पर लाठी चलाई गई। यह है हमारी सरकार का जवाब।

अनुसूचित जाति के सैकड़ों विद्यार्थियों को कालेजों में दाखिला नहीं मिलता, इस आधार पर कि उनके नम्बर कम हैं। और, यदि दाखिला हो भी जाता है तो उनसे फीस मांगी जाती है। इस पर भी हमारी सरकार कहती है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है।

पहले छात्रवृत्तियां भारत सरकार की ओर से दी जाती थीं। अब वह काम राज्य-सरकारों को सौंप दिया गया है। इसलिये कि छात्रवृत्तियां देने में विलम्ब न हो पाये। लेकिन नतीजा बिलकुल उल्टा हुआ है। हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिल ही नहीं पातीं। विकेन्द्रीकरण से तो हालत और भी बिगड़ गई है।

आयुक्त में लिखा है कि विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते के लिये अनुसूचित जाति के १२ विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती थीं, वे १९५९-६० में नहीं दी गईं। कारण यह बताया गया कि विदेशी मुद्रा की कमी है। सरकार ने इन छात्रवृत्तियों को तो इस साल बन्द कर दिया, लेकिन अन्य सभी योजनायें, सभी अन्य छात्रवृत्तियां ज्यों की त्यों चल रही हैं। विदेशी मुद्रा की कमी केवल अनुसूचित जातियों के लिये है। यह सरकार की बेइमानी है।

सरकार कहती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिये जमीन दी जा रही है। ग़लत है। जमीन देना तो दूर, जिस जमीन का आवंटन हो चुका है और जिस

जमीन पर मकान बन चुके हैं—दोनों को नीलाम किया जा रहा है। दिल्ली के पास शेख सराय का उदाहरण सामने है।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के लोगों की संख्या नगण्य है। लोग प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, सैकड़ों ग्रेजुएट प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, पर उनको अनुपयुक्त करार दे दिया जाता है। सभी अर्हतायें पूरी होने पर भी, उनको नहीं लिया जाता।

ब्रिटिश शासन काल में जब कांग्रेस मांग करती थी कि आई० सी० एस० अफसरों में भारतीयों को लिया जाये, तो ब्रिटिश शासक भी यही उत्तर देते थे कि भारतीय उसके उपयुक्त नहीं हैं। अब कांग्रेस सरकार वही पुराना उत्तर अनुसूचित जाति के लोगों को दे रही है।

मुझे विश्वास है कि किसी दिन अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों का "पन्द्रह अगस्त" भी आयेगा। तब आप देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के लोग ही सब से अधिक उपयुक्त माने जायेंगे।

'अनुपयुक्तता' तो एक बहाना है। हमने १९४२ में अंग्रेजों से कहा था "भारत छोड़ो"। हमें भी अब अपने शासकों और मालिकों से कहना पड़ेगा कि हम अब उनके गुलाम बनने के लिये तैयार नहीं। भारत के आदिवासियों को एक दिन इन उन्नत वर्ग के लोगों से कहना ही पड़ेगा : "भारत छोड़ो"। सब कुछ छोड़ दो, भारत के हम आदिवासियों के लिये।

मुझे इतना ही कहना है।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उनको जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। यह रिपोर्ट बड़े अच्छे ढंग से बनाई गई है और बड़े अच्छे तरीके से यहां पेश की गई है। इसमें हमारी गवर्नमेंट का ही सिर्फ कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर है। हमारा जो कसूर है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये, हमारी जो गलतियां हैं, उनको भी हमें देखना चाहिये और उन्हें दूर करना चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय, सभी बड़े अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं लेकिन कहीं कहीं हमारे लोगों में भी जातिवाद है और इस जातिवाद के कारण हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जातिवाद का क्या कारण है ? कहीं कहीं तो हरिजन लोग ज्यादा संख्या में हैं और कहीं कहीं कम सख्या में हैं। कहीं ये थोड़े हैं, कहीं अधिक हैं। जहां पर इनकी संख्या बहुत अधिक है, जहां पर इनकी सख्या ज्यादा है, वहां पर इनके लिए ज्यादा काम हो जाता है, ज्यादा सुविधायें इनको उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन जहां पर इनका थोड़ा बहुमत हैं, वहां लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन को आगे बढ़ने की सुविधा नहीं मिलती है। इसलिये गृह मंत्रालय को सब को एक तरह से देखना चाहिये कि कहां पर कमी है और कहां उस को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे शहरों के अंदर तो इन लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन देहात की ओर वह नहीं बढ़ रहा है जहां कि इस चीज की बहुत कमी हैं। वहां के लोग जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं।

कल हमारे माननीय सदस्यों ने सब बातें रक्खीं लेकिन हमारे महिला वर्ग के बारे मे कोई चर्चा नहीं हुई। जहां तक हरिजनों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है उनकी लड़कियों को आगे आने की सुविधा होनी चाहिये। जितनी सुविधा उनको होनी चाहिये थी, उतनी आज नहीं है। उन्हें अवसर की बहुत कमी है।

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

कल श्री उइके ने कहा था कि ढाई करोड़ आदिवासी हैं। यह बात नहीं है, ढाई करोड़ आदिवासी हैं और उनके साथ पांच या साढ़े पांच करोड़ हरिजन भी हैं। इन को अलग अलग नहीं देखना चाहिये। उन्होंने कल कहा था कि जो ईसाई मिशनरी हैं वे आदिवासियों को ईसाई बनाते हैं। मैं तो कहती हूं कि इसमें ईसाइयों का कसूर नहीं है। सारा कसूर हमारा है। हमारे यहां ६०० रियासतें थीं, जिनमें राजे महाराजे थे। उन्हीं में से गोंड राजे भी थे। गोंड राजों ने अपने ऐश व आराम के कारण हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमें शिक्षा दीक्षा नहीं दी, हमें अन्धेरे में डाले रहे। नाच और गाना होता रहा, शराब उड़ती रही। इसलिये जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स और आदिवासी लोग थे वे पीछे पड़े रहे। क्यों पीछे रहे? क्योंकि उन को शिक्षा नहीं मिली। हमारे राजों को चौथ की जरूरत थी, और वह चौथ उन को मिलती रही, आदिवासी लोग आगे बढ़ें या न बढ़ें, इसको देखने की जरूरत उन को नहीं थी। इसलिये जहां पर आदिवासी और हरिजन हैं, उन की ओर गृह मन्त्रालय को देखने की जरूरत है। मैं आज दोष तो किसी पर नहीं लगाना चाहती, लेकिन जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर शराब का बहुत जोर है। उन जगहों पर शराब का जोर खत्म होना चाहिये क्योंकि वे लोग इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं किसी पर लांछन नहीं लगाती लेकिन यह खयाल मेरा गलत नहीं है। इसलिये जिस एरिया में आदिवासी रहते हैं, जहां पर भट्ठियों मे शराब खूब बनती है, वहां उसे खत्म करने के लिये ज्यादा ध्यान से देखना चाहिये। जहां पर हमारे कल्याण केन्द्र हैं और जहां पर स्कूल हैं, वहां पर हमारे कर्मचारी घूम घूम कर काम करते हैं, लेकिन कोई भी वहां पर अपने बच्चों को पढ़ने भेजना पसन्द नहीं करता, स्कूल खाली पड़े रहते हैं। इसलिये इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये कि हमारी इन लोगों के विकास की योजना ठीक से चले। वहां पर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये कि सब को अपने बच्चों को पढ़ने भेजना ही पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि १०० करोड़ रुपया जो रक्खा गया है वह समय पर नहीं मिलता। हरिजनों को रुपया वक्त पर नहीं दिया जाता। वह गलत समय पर मिलता है जबकि वक्त निकल जाता है। रुपया मार्च में मिलता है और अप्रैल में मियाद खत्म हो जाती है। कहीं कहीं पर हरिजनों के मकान बनते हैं। कौन उनको मकान कहता है? अगर हरिजनों के मकान जाकर देखें जायें तो उनमें एक चारपाई के बाद दूसरी चारपाई नहीं आ सकती। इस ढंग से वे बनाये जाते हैं कि उनमें कोई भी एहूलियत नहीं हो सकती। पता नहीं किस की पाकेट में सारा रुपया चला जाता है। यही हाल कुओं का है। कुएं खोदे जाते हैं, लेकिन उन में पानी नहीं निकलता। हरिजन प्यासे मरते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर स्टेट गवर्नमेंट को रुपया देती है, बराबर सारे कार्य करती है, लेकिन जो हमारे कर्मचारी वहां जाते हैं, वहां के जो इंजीनियर हैं या दूसरे लोग हैं, वे सही तरीके से काम नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे दलाली करते है।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : मैं तो किसी के लिये नहीं कह सकती कि वे दलाली करते हैं। पता नहीं योजना ठीक से नहीं बनती या सारा रुपया पैट्रोल वगैरह में खर्च हो जाता है, लेकिन यह बात जरूर है कि यह बड़ा कठिन मामला है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि एक हरिजन मिनिस्ट्री अलग से बनाई जाय तो बहुत अच्छा होगा। एक मिनिस्टर हरिजनों के लिये अलग से होना चाहिये जिससे देश के इस बड़े समाज की ठीक से उन्नति हो सके। यहां पर हमारी बहन बैठी हुई हैं, हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन पर और हमारे गृह मन्त्रालय पर इतना बड़ा बोझा है कि वे उन्हें ठीक से

नहीं उठा सकते । क्यों नहीं उठा सकते कि उनके जिम्मे काम बहुत है और हरिजनों का मामला बड़ा कठिन है । इसलिये मेरा सुझाव है कि हरिजन मिनिस्ट्री के लिये एक मिनिस्टर होना चाहिये । वह मिनिस्ट्री हरिजनों के काम को देखे जिससे सही तरीके से काम हो । एजुकेशन के लिये जो रुपया हो वह एजूकेशन के काम आये, दूसरी चीजों का रुपया उन कामों मे आये । कहां गलती होती है, कहां सहीं काम होता है इसको एक मिनिस्टर स्वयं जाकर देखे सही तरीके से । यह गृह मन्त्रालय तो अपने ही कामों में उलझा रहता है उसको इसको देखने का समय कहां है? मैं यह तो नहीं कहती कि यह मन्त्रालय इस काम को चला नहीं सकता, चला तो सकता है, लेकिन इसमें जितनी गड़बड़ी होती है उससे आप के ऊपर लांछन आता है । अगर एक मिनिस्टर इस के लिये अलग से होगा तो वह सारे भारत के अन्दर जाकर और पार्लियामेंट के अन्दर देख सकेगा कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं । अभी कहीं कहीं एजूकेशन में जहां सवाल मास्टरी का आता है या कहीं भरतीं का सवाल आता है, तो जब तक सी रुपया नहीं देते तब तक कामयाबी नहीं होती । यह बात मैं कहती तो जरूर हूं लेकिन इसको साबित करना बहुत मुश्किल है । अगर मैं किसी पर केस चलवाना चाहूं तो कौन गवाही देगा । इसलिये मैं किसी पर लांछन नहीं लगाती । हर एक डिपार्टमेंट में आप देखें जब तक हम सौ रुपया नहीं देते तब तक हमें जगह नहीं नहीं मिल सकती । यह मेरी गलत बात नहीं है ।

मैं जब किसी कलक्टर या तहसीलदार के पास अपने क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र मे जाती हूं या भारत-वर्ष में हम किसी की भी सिफारिश लेकर जाते हैं, तो कहते हैं कि कांग्रेसी आए हैं और सिफारिश लेकर आए हैं, और कह देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, अभी बस्ते में बन्द पड़ा है, जब आएगा तब देखेंगे जिन लोगों को एजूकेशन नहीं मिली होती अगर वह चले जाते हैं तो उनका काम जल्दी हो जाता है क्योंकि उनसे उनको सौ या पचास रुपए मिल जाते हैं । हमसे तो उनको एक पाई मिलने वाली नहीं है । तो इस चीज को देखने की बड़ी आवश्यकता है

हमारा हरिजन समाज और आदिवासी समाजी अभी आगे नहीं बढ़ा है, उनके रास्ते में बन्धन हैं, इसलिये उनको आगे बढ़ाना चाहिये और सहूलियत देनी चाहिये । इसमे कमी हुई है । हरिजनों से भी मैं अपील करती हू कि उनको भी सारा कसूर गवर्नमेंट का ही नहीं बताना चाहिये । हमारा अपना भी कसूर है । हमको भी सोचना चाहिये कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से बड़े लोगो से मिलें और उनसे मिल कर चलें और किस तरह से अपना काम करायें । जब तक ६ करोड़ हरिजन देश की बाकी जनता के साथ मिल कर नहीं चलेंगे तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता । आज हरिजनों में भी कई पार्टियां हो रही हैं । इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते । और इसी लिए हमारी तरक्की नहीं हो रही है । इसलिये मेरी अपील है कि हमें भी सोच विचार कर काम करना चाहिये । मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं कही है । मैंने तो सुझाव रखा है कि हमे मिल कर काम करना चाहिये जिसमें हम हरिजनों और आदिवासियों का काम सुचारू रूप से आगे बढ़े । हमको संगठित होकर आगे चलना चाहिये ताकि सभी आगे बढ़ सकें । सब को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिये । हमारे देश की जो और ३६ करोड़ जनता है, उसमें भी जो गरीब लोग है उनको भी शिक्षा आदि की सुविधायें मिलनी चाहियें । हमारे कई बड़े घरों की लड़कियां विधवा हो जाती है तो उनको नौकरी दी जानी चाहिये । महिलाओं को तो नौकरी की पहले जरूरत है ताकि हमारा धर्म बच सके । जब हमारे लोग हमारा बहिष्कार कर देते हैं तो हमको कोई जगह नहीं मिलती और हम ईसाई मिशनरियों के दरवाजे पर जाती हैं । वहां वह हमको शिक्षा दिलवा कर डाक्टर और नर्स बनाते हैं और हमें सबल करते हैं और हमें बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुचाते हैं । क्या हिन्दू धर्म में ऐसा नहीं किया जा सकता । हमें भी सहयोग देना चाहिये । अगर हम सहयोग दें तो हमारी एक बहिन भाग कर मिशनरियों के पास क्यों जाए ।

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

आदिवासियों में ज्यादा ईसाई नहीं हैं। हरिजनों में तीन कौमें ज्यादा ईसाई हैं, अर्थात् मेहतर, बसौर और चमार। कुछ आदिवासी भी हैं। ये चार कौमें ईसाई हैं। इसका कारण है। हमारे भाई हमको निकाल देते हैं। दण्ड देते हैं, हमारे ऊपर जातिवाद लादते हैं। हमको अपनाते नहीं हैं। जाति में नहीं रखते। दण्ड देते हैं। अगर हम दंड न दें सकें तो हम को निकाल देते हैं। हम किसके दरवाजे पर जाएं। इसलिये देखना चाहिये कि हमको अपने समाज का सहयोग मिले जिससे हमारा काम तेजी से चले।

मैंने आपका बहुत समय ले लिया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती। मैं यही कहना चाहती हूं कि जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती हैं उसको ठीक तरह से लगना चाहिये और नौकरशाही पर जरा ध्यान देना चाहिये। वह लापरवाही से काम करते हैं इसी से कामयाबी नहीं होती।

श्री नवल प्रभाकर : (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् जी, समय तो कम है, इसलिये मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातें न करके, जो दिल्ली की समस्यायें हैं उन्हीं को पहले सामने रखूंगा।

दिल्ली में आज से लगभग बीस वर्ष पहले चमड़े का कारोबार करने वाले लगभग ढाई सौ परिवार थे और उन परिवारों के साथ और भी बहुत सारे भाई काम करते थे। इससे बहुत लोगों का गुजारा होता था। कारोबार चलता था। लेकिन दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने एक रिजोल्यूशन पास किया और रिजोल्यूशन पास करके यह कहा कि अब से किसी भी चमड़े का काम करने वाले को दिल्ली में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और उसके परिणामस्वरूप और कुछ लोगों की इस धारणा के फलस्वरूप कि इस काम को यहां से हटा दिया जाए इस काम करने वालों को लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गयी वैसे वैसे यह कारोबार ठप्प होता गया। जब लाइसेंस नहीं मिले तो शहरी क्षेत्र को छोड़ कर कुछ भाई गांवों में, देहात की तरफ चले गए। लेकिन शहर वहां भी बढ़ गया और वहां भी उनको नहीं रहने दिया गया।

आज दिल्ली की अवस्था यह है कि दिल्ली में मद्रासी चमड़ा आता है, दिल्ली में कलकत्ते से चमड़ा आता है, उत्तर प्रदेश से आता है और पंजाब से आता है और हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि लाखों से भी अधिक पयों का चमड़ा आता है और यहां के वे परिवार जो कि किसी समय दिल्ली में भरपेट रोटी पाते थे, आज उनकी बिल्कुल दयनीय अवस्था हो रही है। मैं गृह मन्त्रालय से मांग किया चाहता हूं और मैं कमिश्नर महोदय से भी निवेदन किया चाहता हूं कि वह हम लोगों के उस पुराने धंधे को देखें और आज की हमारी अवस्था को देखें, जो कि बहुत दयनीय होती जा रही है।

हम दिल्ली वाले यह महसूस करते हैं कि हमारे यहां देश के और भागों की अपेक्षा छुआछूत कम हैं। मैं महसूस करता हूं इस बात को। लेकिन जब मैं आर्थिक दृष्टि से देखता हूं तो पाता हूं कि भारत के और कोनों में जैसी हरिजनों की अवस्था है उससे कहीं बदतर अवस्था दिल्ली में है, जब कि यहां पर केन्द्रीय सरकार है, यहां पर कोई राज्य सरकार बीच में नहीं है। यहां का शासन सीधे केन्द्र से सम्बन्धि है। जब यहां पर राज्य विधान सभा थी तो हम सोचते थे कि केन्द्र का शासन होगा तो हम को ज्यादा राहत और सुख मिलेगा और अधिक सन्तोष प्राप्त होगा। लेकिन जो देखने में आ रहा है उससे जो आशाऐं थीं वे धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हे।

मैं निवेदन किया चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग के लिये बस्तियां बसायी गयी हैं। यहां पर भी और दूसरी ट्रेड्स और दूसरे उद्योग धन्धों के लिये तो बस्तियां बसायी गयी हैं लेकिन चमड़े के कारोबार की कोई बस्ती नहीं बसायी गयी है। दिल्ली हरिजन वेलफेयर बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया और यह मांग की कि दिल्ली प्रशासन को और भारत सरकार को एक ऐसी बस्ती बसानी चाहिये जिस में उन लोगों को वहां पर बसाया जाय और जो लोग भी चमड़े का कारोबार करना चाहते हैं, चमड़ा पकाना और रंगना चाहते हैं उन को वहां पर सुविधायें दी जायें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह चमड़े के ही सम्बन्ध में है। सैकड़ों और हजारों साल से हमारे यहां एक पुराने और दकियानूसी तरीके से चमड़ा कमाने का काम चलता आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि आज के इस आधुनिक युग के अन्दर नये ढंग से चमड़ा कमाने का काम उन लोगों को सिखाना चाहिये और स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज़ के आधार पर उन के कामों को लगाना चाहिये।

जब मैं औद्योगिक बातों को लेता हूं तो हमारे यहां दिल्ली के अन्दर कारोबार करने वालों को ऋण दिया जाता है, हरिजनों को भी दिया जाता है लेकिन मैं देखता हूं कि जितना प्रतिशत सूद और दूसरे लोगों से लिया जाता है हरिजनों से भी उतना ही लिया जाता है। लेकिन हमारे पास का जो राज्य है पंजाब वहां हरिजनों को कारोबार और धंधा करने के लिये जो ऋण दिया जाता है उस का कोई सूद नहीं लिया जाता है। अब जबकि हम केन्द्रशासित हैं, सीधा हमारा केन्द्र से सम्बन्ध है और जब हम केन्द्र के लाडले हैं तो कम से कम इतनी सुविधा तो हमें प्राप्त होनी चाहिये कि जिस तरीके से और दूसरे लोग कर्जा लेते हैं और उन को जो उसका सूद देना होता है तो इतना अन्तर तो होना ही चाहिये कि कम से कम सूद का जो बोझ है उससे हम बच जायें ताकि हम अपना काम अच्छे ढंग से चला सकें।

हरिजनों के लिये जहां तक आवास की व्यवस्था का सम्बन्ध है दिल्ली में यह मकानों की तंगी की समस्या साधारणतः बहुत विकट रूप धारण किये हुए है। जब भी मैं ने यह प्रश्न उटाया कि जो यहां अनुसूचित जाति के रहने वाले लोग हैं उन के लिये मकानों की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तब तब यह कहा गया कि यहां पर गन्दी बस्तियां हैं। गन्दी बस्तियों के मामले को बहुत ही प्राथमिकता दी हुई है उस को टौप प्राएरिटी दी हुई है, मैं इसे तसलीम करता हूं कि वह तो आप ने दी हुई है लेकिन वह केवल कागजों में चल रही है और उस दिशा में बहुत धीमे धीमे चला जा रहा है। अब मेरा दिल्ली प्रशासन से भी कुछ थोड़ा सा सम्बन्ध है क्योंकि यहां असेम्बली है नहीं। जमीन एक्वायर होती है, जमीन एक्वायर होने के बाद में उस के डेवलपमेंट की बात होगी। डेवलपमेंट होने के बाद फिर प्लाट्स तैयार होंगे और प्लाट्स तैयार होने के बाद उनकी कीमत इतनी अधिक हो जायेगी कि हरिजन और दूसरी अनुसूचित जातियां उन को खरीद नहीं सकेंगी। गंदी बस्तियों के लोग जो वहां ले जा कर बसाय जायेंगे वे उन को खरीद नहीं सकेंगे। मकान बना कर भी यदि दिये गये तो बेचारे इतना किराया नहीं दे सकेंगे। मेरा कहना है कि जब हम समाजवादी समाज बनाने की बात कहते हैं तो वे लोग जब भी कोई बस्ती यहां पर बसायें और आज जैसी हालत चल रही है बहुत लोग ऐसे हैं जोकि अधिक पैसा दे कर जमीन लेना चाहते हैं और यहां पर १०० और १५० रुपये तक जमीन बिकती है तो क्यों न सरकार इतने प्लाट्स डैवलप करे और फिर वहां पर सेवाओं की जरूरत तो पड़ेगी ही, धोबी की भी जरूरत पड़ेगी, जूते बनाने वाले चमार की जरूरत पड़ेगी और झाड़ू लगाने वाले भंगी की जरूरत पड़ेगी और जबकि हमारी सरकार की यह नीति है कि हम

सब को एक में मिला जुला बसाना चाहते हैं तो इस तरीके की जो बस्तियां बसायें उन में क्यों नहीं इन हरिजनों को मुफ्त प्लाट्स दिये जायें और उन में उन को बसा दिया जाय ताकि वे लोगों की सेवा कर सकें। कहा जाता है कि नो प्राफिट नो लौस बेसिस के ऊपर जमीनें दी जायेंगी तो जो भूमि उन को दी जाय उस की कीमत दूसरों के ऊपर क्यों न लगाई जाय। यह जो हमारे अभागे हरिजन भाई हजारों साल से पिछड़े हुए चले आ रहे हैं और सरकार द्वारा यह जो समानता लाने की बात कही जाती है तो यह समानता और किस तरह से आयेगी। जाहिर है कि हरिजनों को कुछ विशेष रिआयतें देनी होंगी और दूसरों की अपेक्षा उन के साथ विशेष बर्त्ताव करना होगा तभी तो यह हमारे अभागे भाई आगे बढ़ सकेंगे और समाज के अन्य वर्गों के बराबर आ सकेंगे। अगर आपने हरिजनों के साथ भी वही बर्त्ताव किया जोकि आप दूसरों को वहां पर बसाने के लिये करेंगे तो यह बेचारे वहां पर बस नहीं सकेंगे।

अब मैं इस सम्बन्ध में आप को एक मिसाल देना चाहता हूं। पाकिस्तान बना और जहां और लोग आये वहां हरिजन भी आये। हरिजनों को भी मकान दिये गये लेकिन न तो वे उन का किराया दे सके और न ही उन मकानों की कीमत अदा कर सके और उन को वहां से निकाल बाहर कर दिया गया। आज वे बेचारे उन मकानों से बाहर निकल कर झोंपड़े डालकर उन में बैठ गये हैं और यकीन जानिये कि आज जैसी उन की अवस्था है आप कितनी ही योजनायें बनाइये, कितने ही मकान बनाइये, लेकिन इस तरीके से हरिजनों के पास कोई मकान रहने वाला नहीं है। अतः मेरा निवेदन है और मैं बहुत ही विनम्र भाव से यह कहना चाहता हूं कि अगर वस्तुतः हरिजनों को बसाने की बात है और यह गन्दी बस्तियों को हटाने की बात है तो आप जिस तरीके से गांवों के अन्दर जमीन देते हैं और फिर मकान बनाने के लिये इजाजत देते हैं मैं नहीं चाहता कि शहर के लोगों को आप मकान बनाने के लिये इजाजत दें लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि उन को जो मकान बनाने के लिये जगह दी जाय वह बिलकुल निशुल्क होनी चाहिये, मुफ्त होनी चाहिये तभी वे अपने मकान बना सकेंगे अन्यथा नहीं। उस के बाद मैं आप उन को ऋण दे दीजिये जिस को कि वे थोड़ा थोड़ा कर के उतार देंगे और इस तरीके से वे मकान बना सकेंगे और उस के साथ ही वे आप की वहां रह कर सेवा भी करेंगे।

मैं ने देखा है कि दिल्ली में बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जहां पर कि जरूरी सेवाओं का नितान्त अभाव है। वहां पर धोबी नहीं मिलते हैं और धोबी के लिये वहां के निवासियों को तीन मील चल कर जाना पड़ता है। जूता अगर उन का टूट जाय फट जाय तो उस की मरम्मत कराने के लिये उन को तीन मील दूर जाना पड़ता है। एक भंगी जिस के कि जिम्मे उस बस्ती में झाड़ू लगाने का काम है उस को ५ मील चल कर वहां आना होता है लेकिन उस को वहीं पर नहीं बसाया जाता है। मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि इस को देखा जाय और जो बस्तियां बसाई जायं उन में हरिजनों को भी बसाया जाय।

शिक्षा की बात कही जाती है। जब बच्चा मैट्रिक पास कर लेता है और जब वह कालिज में दाखिल होना चाहता है तो दिल्ली में उस को कालिजों के दरवाजे बन्द मिलते हैं। पिछले दिनों मंत्री महोदय ने कहा था कि कालिजों में दाखिले के लिये हम अमुक परसेंटेज ही लेंगे और उस परसेंटज से ज्यादा बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भर्ती नहीं करेंगे। इस रोक का परिणाम यह हो रहा है कि हरिजनों के बच्चों के वास्ते तो कालिजों के द्वार बिलकुल बन्द ही हो गये हैं कारण उन के बच्चे या तो सेकेंड डिवीजन में पास होते हैं या फिर थर्ड डिवीजन में पास होते हैं और इस

कारण और भी उन को कालिजों में दाखिला नहीं मिलता है। वे बेचारे वहां से निराश हो कर एम्पलायमेंट एक्सचेंज की तरफ दौड़ते हैं और वहां भी उन को टका सा जवाब मिलता है। जब उन को वहां पर नौकरी नहीं मिलती है तो वे कहते हैं कि अच्छा भाई हमें कोई धंधा ही सिखलवा दो। टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग देने के वास्ते वहां कुछ इंतजाम है लेकिन वहां पर भी हालत यह है कि जरूरत के लिहाज से सीटें बहुत कम हैं और धंधों को सीखने के इच्छुक लोगों की तादाद इतनी अधिक होती है कि वहां पर भी उन को सीट नहीं मिल पाती है। वहां पर सीट्स रिजर्व हैं। अब मान लिया जाय कि १०० सीटें हैं और उन में से केवल १२ विद्यार्थियों को स्थान मिला तो वह बेचारे हरिजन जोकि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हों तो उन हजारों में से आप केवल बारह को काम धंधे सिखाने के लिये ले लेंगे तो बाकी तो सब बेकार हो जायेंगे। इस तरीके से यह बेकारी बढ़ती चली जा रही है। या तो आप कोई इस तरीके का प्रबन्ध कीजिये कि उन को कालिज में पढ़ने के लिये स्थान मिले, अगर आप कालिजों में उन को नहीं पढ़ा सकते, ऊंची शिक्षा नहीं दे सकते तो मत दीजिये लेकिन उन्हें कोई काम धंधा सिखाने का तो इंतजाम कीजिये और धंधा अगर नहीं सिखा सकते तो फिर उन को काम दीजिये। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और इस को आप को देखना होगा। अगर आप इस को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उन की भावनायें बदल जाती हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और फिर उस के बाद न जाने कैसी कैसी बातें सोचने लगते हैं और हो सकता है कि फिर शायद श्री गायकवाड़ उन को कोई रास्ता दिखायें और उस पर वह चलने लगें।

अन्त में मैं एक बात कह कर बैठ जाता हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली जो है, वह एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहां के हरिजनों की अवस्था बहुत दयनीय है। हमारे यहां के विमुक्त जाति के लोगों की अवस्था तो और भी दयनीय है। उन की तादाद बहुत कम है, लेकिन आज जा कर अगर हम उन को देखें, तो मालूम होगा कि वे बिल्कुल पशुवत् बहुत बुरी अवस्था में रहते हैं। उन का कोई कमाने का धन्धा नहीं है। भीख मांगने के अलावा वे और कुछ नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उन के लिये कोई विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये। जब तक उन के लिये कोई विशष प्रयत्न नहीं किया जायगा, उन का उत्थान नहीं हो सकता है। उन की पुरानी प्रवृत्तियों को बदलने के लिये उन को विशेष सुविधायें देनी पड़ेंगी। अगर उन को विशेष सुविधायें नहीं दी जायेंगी, तो उन के आचरण ठीक नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद करता हूं और कमिश्नर महोदय का भी धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि वह दिल्ली में रहते हैं, वह दिल्ली का भी विशेष ख्याल रखेंगे।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर देने से पूर्व मैं कुछ मूल बातों का उल्लेख कर देना चाहता हूं।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर हम प्रति वर्ष विचार करते रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन का अध्ययन दो दृष्टि से बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिये। पहली बात तो यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियां, आदिम जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति में कितनी प्रगति हुई है। दूसरे इन लोगों में अभी कितनी कमियां शेष हैं। ऐसा करने से आयुक्त तथा सरकार दोनों को ही सहायता मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

यह ठीक ही है कि इस प्रतिवेदन को बड़ी सावधानी से अध्ययन करने की आवश्यकता है तथा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी मालूम करना आवश्यक है जिन के बारे में यहां तथा राज्य सभा में चर्चा की जानी चाहिये। जो प्रक्रिया यहां सुझाई गई है उस से न केवल इन जातियों की ही लाभ होगा बल्कि संसद् सदस्यों एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों को ही लाभ होगा। अतः मेरा निवेदन है कि हमारी चर्चा का विषय यहां केवल उन्हीं बातों तक सीमित रहना चाहिये जोकि इन जातियों के लिये महत्वपूर्ण हैं।

इस आठवें प्रतिवेदन को देखने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ दिशाओं में विकास हुआ है। पहली योजना तथा दूसरी योजना के पहिले कुछ वर्षों में हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आई लेकिन उनके प्रति हमें संतोष से कार्य लेना होगा। केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारें यथासंभव यह प्रयत्न कर रही हैं कि इन जातियों के कल्याण कार्य के लिये जितनी राशि नियत की गई है उसको समय के भीतर ही खर्च किया जाये और जो कुछ भी कठिनाइयां इस मार्ग में आती हैं उन्हें यथासंभव दूर भी किया जाये : यही कारण है कि आयुक्त ने इस प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि राज्य सरकारों ने कितना कितना व्यय किया है तथा उस व्यय करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है। हमें इस बात पर विचार करना है।

पहली योजना में जब हमने इन जातियों के कल्याण कार्य के लिये राज्यों की सहायता करना आरम्भ किया तो चूंकि उन राज्यों के सामने यह समस्या नई थी अत : बहुत सी कठिनाइयां सामने आई। और हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सके। उसके बाद हमने नये तरीके अपनाये, नई प्रक्रियाएं बनाई और इस अंतिम स्थिति को देखकर मुझे इस बात की खुशी है कि दूसरी योजना के अंत तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्धारित राशि में से हम बहुत कुछ खर्च कर सकेंगे।

पिछले दो वर्षों में किये जाने वाले व्यय में काफी वृद्धि हुई है। इसी कारण हम राज्य सरकारों से केवल अधिक व्यय करने के लिये ही नहीं कह रहे हैं बल्कि उस राशि को उचित ढंग से व्यय करने के लिये भी कह रहे हैं और राज्य सरकारों ने ऐसा किया भी है। राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयां भी हैं लेकिन फिर भी वे यथासंभव हमारे आदेशों के अनुसार कार्य कर रही हैं। यही कारण है कि इन जातियों की स्थिति में सुधार हुआ है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि कोई प्रगति नहीं हुई है लेकिन यह बात गलत है।

अतः सभा के सामने जो आंकड़े मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उनसे यह प्रकट हो जायेगा कि प्रगति कितने संतोषजनक ढंग से हुई है। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे केवल केन्द्रीय क्षेत्रों में ही नहीं अपितु राज्यीय क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक धन व्यय कर। लेकिन उनके रास्ते में कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें हम जानते हैं। केन्द्रीय क्षेत्रों में किया जाने वाला सारा व्यय केन्द्रीय सरकार उठा रही है और राज्यीय क्षेत्रों में किये जाने वाले व्यय में केन्द्रीय सरकार आधी राशि दे रही है।

(श्री हेडा पीठासीन हुए)

प्रायः राज्यों के मामले में ऐसा होता है कि किसी वर्ष विशेष में वे राज्यीय क्षेत्रों में उतना व्यय नहीं कर पाती जितना कि उन्हें करना चाहिये था। अतः अगले वर्ष के आय व्ययक के समय योजना आयोग तथा अन्य प्राधिकारी यह कहने लगते हैं चंकि आपने पिछले वर्ष में पूरी राशि व्यय नहीं की थी अतः आगामी वर्ष के लिये आपको अधिक धन नहीं मांगना चाहिये। अतः इस आधार पर उनको मिलने वाली राशि में कटौती हो जाती है। यही कारण है कि कभी कभी यह कठिनाई सामने

आ जाती है। लेकिन इस कठिनाई के बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है कि द्वितीय योजना के अंत तक हम इस मद में काफी धन व्यय कर चुकेंगे। हम अपने लक्ष्य की पूर्त्ति करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और आशा है कि यह पूर्ति, इस वर्ष के अंत तक जो कि द्वितीय योजना का भी अंतिम वर्ष है कर सकेंगे।

यह ठीक है कि अनुसूचित आदिम जातियों के मामले में कुछ राज्यों का व्यय बढ़ा है। उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश ही लीजिये वहां के व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर अब इस इस बात का प्रयत्न करेंगी कि अब इस व्यय में जो कमी आ गई है फिर से बढ़कर काफी हो जाये। अतः अनुसूचित आदिम जातियों पर किया जाने वाला व्यय द्वितीय योजना के अंत तक इस जाति के लिये निर्धारित कुल व्यय का ७८ प्रतिशत होगा।

श्री गायकवाड़ का कहना है कि अनुसूचित जातियों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उनकी प्रगति में काफ़ी संतोषजनक सुधार हुआ है। और शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि इस जाति के लिये द्वितीय योजना में जो राशि निर्धारित की गई थी उस राशि का ९४ प्रतिशत धन द्वितीय योजना के अंत तक व्यय हो जायेगा।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी): प्रश्न यह है कि क्या उस धन को उचित ढंग से व्यय किया गया है?

†**श्री दातार :** इस समय मैं व्यय के कम होने की बात पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। जिस समय मैं एक बात के बारे में कहूं उस समय दूसरी बात को लेना उचित नहीं।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है हमें यह जान कर दुःख हुआ कि व्यय में वृद्धि नहीं हो रही किन्तु हमें प्रसन्नता है कि आगे चलकर इसमें ९४ प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इतना काम पूरा करना होगा।

जहां तक अनाधिसूचित जातियों का सम्बन्ध है उनपर ८२ प्रतिशत व्यय होगा तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर ८१ प्रतिशत। इस तरह सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के वर्गों का कुल प्रतिशत ८५ बैठेगा। यह बात उस ९० करोड़ रुपये के लगभग के बारे में है जो कि अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में निश्चित किया गया है। कुछ लोगों के दिलों में यह भ्रांति थी कि पिछड़े वर्गों पर केवल ९२ करोड़ रुपये व्यय होंगे इससे अधिक नहीं। हम तो राज्य सरकारों को भी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और जनता से भी। आदिम जातियों के लिये हमें संविधान के अनुसार भी हमें कुछ अनुदान देने पड़ते हैं। परन्तु इन सब पिछड़े वर्गों के कल्याण का उत्तरदायित्व राज्यों पर है। कदापि हमने अधिक अनुदान देकर राज्यों की सहायता करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इस ९२ करोड़ की रकम में से ६२ करोड़ रुपये भारत सरकार देगी। इस बात को देखने से पता चल जाता है कि स्थिति इतनीं खराब नहीं है जितनी कि कुछ माननीय सदस्य बताते हैं।

कुछ और व्यापक सुझाव भी दिये गये हैं। उनमें से एक का उत्तर तो हम ७ या ८ बार दे चुके हैं। क्योंकि वह बात गृह मंत्रालय की मांगों पर होने वाली चर्चा के दौरान भी उठायी जाती है पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाओं के प्रश्न पर हमें ध्यान देना है। केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं की सीधी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती क्योंकि उनकी कार्यान्विति का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों पर ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये एक आयुक्त की नियुक्ति करता है। उसके कर्तव्यों की परिभाषा भी कर दी जाती है। उससे यह देखना पड़ता है कि इन जातियों की अवस्था कैसी है और संविधान द्वारा दिये गये संरक्षण पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं। इसके अलावा हमें सामान्य जांच पड़ताल करके स्थिति की जानकारी देनी पड़ती है और फिर प्रतिवेदन देना पड़ता है। विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व न तो आयुक्त ही ले सकता है और न केन्द्रीय सरकार ही। हम राज्य सरकारों को भी इस सभा में दोषी नहीं ठहरा सकते। उनकी भी अपनी कठिनाइयां हैं।

क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेने के लिये संविधान में संशोधन करना न तो वांछनीय ही है और न व्यावहारिक ही। आसाम तथा मद्रास जैसे दूरस्थ राज्यों में इन योजनाओं को केन्द्र कैसे क्रियान्वित कर सकता है। इस काम को तो राज्य सरकारों को ही करना है। आखिर राज्य सरकारें भी जनता की सरकारें हैं वहां के सभासद भी जनमत से चुने जाते हैं। इन हालात में हमें राज्य सरकारों पर भरोसा न करना अच्छा नहीं लगता।

राज्यों में विधान सभाएं भी हैं। इसी कारण कुछ वर्ष पहले मैंने कहा था कि इस विषय में इस सभा का वाद विवाद कुछ सीमा तक अवास्तविक होगा क्योंकि हमें राज्यों की अपनी कठिनाइयों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। हमने राज्य सरकारों से कहा था कि वे अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विधान सभा में चर्चा करायें इस बात को अनेक राज्यों ने मान लिया। तीन राज्य विधान सभाओं में ऐसी चर्चा हुई भी है।

इन हालात में जब कि योजनाओं की क्रियान्वित का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य अलग मंत्रालय बनाने का सुझाव क्यों देते हैं। हम रुपया दे देते हैं। और विभिन्न योजनाओं को स्वीकार कर लेते हैं और फिर राज्य सरकारों को परामर्श भी देते हैं। इस समय भारत में ९ सहायक प्रादेशिक आयुक्त कार्य कर रहे हैं और हमारा विचार है कि ७ सहायक आयुक्तों की नियुक्ति और करें ताकि हर राज्य में एक सहायक आयुक्त हो जाये। वह केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करेगा। हमारे योग्य सहायक आयुक्तों का काम मैंने स्वयं देखा है मैंने देखा है कि राज्यों के मुख्य मंत्री उनसे सलाह लेते हैं और वे भी विभिन्न योजनाओं की तैयारी एवं उनके मूल्यांकन करने के लिये राज्य सरकारों की पूरी पूरी सहायता करते हैं। वास्तव में यह एक खास किस्म का काम है। इन हालात में यह कहना उचित नहीं है कि केन्द्र अपने ऊपर ही जिम्मेदारी डाल ले मान लो केन्द्र में एक अलग मंत्रालय भी स्थापित कर दिया जाये तब भी वही काम होगा जो अब हो रहा है। किसी ने यह तो शिकायत नहीं की कि योजनाओं के लिये कर्मचारियों की कमी है अथवा उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वस्तुतः माननीय गृह मंत्री समाज कल्याण योजनाओं के लिये अधिक से अधिक समय देने को तैयार हैं।

जहां तक तीसरी योजना के लिये धन की व्यवस्था का सम्बन्ध है। समाज कल्याण मंत्रियों का एक सम्मेलन हमने बुलाया था। हम ने रकम बढ़ाने का भी निर्णय किया है और हम योजना आयोग से बातचीत कर रहे हैं। किन्तु हमें उनकी कठिनाइयों को भी तो समझना है। हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना है कि कुछ मामलों में राज्य सरकारें सारी रकम खर्च करने के लिये समर्थ नहीं थीं इसलिये यह आशा करना ठीक न होगा कि हम उतनी ही रकम जुटा सकेंगे जितनी कि माननीय सदस्य कहते हैं। यह सिर्फ रकम जुटाने का सवाल नहीं है। सब से बड़ी बात तो यह है कि राज्य सरकारों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाये कि अनुसूचित जातियों के कल्याण

के लिये उन्हें अपने सामान्य राजस्व में से धन देना होगा। इन लोगों की स्थिति निसंदेह असंतोषजनक है। यह ठीक है कि अनुसूचित जातियों के लोग कहीं कहीं पर तो बहुत ही दुखमय जीवन बिता रहे हैं। जहां तक आदिम जातियों का सम्बन्ध है उनके लिये भी कुछ करना चाहिये। लोकतंत्रात्मक प्रणाली को सफल बनाने के लिये तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिये आर्थिक विषमताओं तथा शिक्षा सम्बन्धी असमानताओं को मिटाना अत्यन्त आवश्यक है। और कल्याणकारी योजनाओं के लिये प्रत्येक आयव्ययक में व्यवस्था होनी चाहिये। हम इसी बात पर जोर देते चले आ रहे हैं और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में ५½ करोड़ अनुसूचित जातियों के लोग हैं और आदिम जातियों के लोगों की संख्या २ करोड़ है। यह संख्या कोई थोड़ी नहीं है। उनके हितों का संरक्षण करना है तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इसी कारण मैं ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की कि जब वे अपना बजट बनायें उस समय पिछले वर्गों का ध्यान उसी प्रकार रखें जिस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों का रखते हैं। पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास करना है। भारत के इन ८ करोड़ महत्वपूर्ण लोगों को भी ऊंचा उठाना है। इसी कारण मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस बात के लिए मुख्य रूप से व्यवस्था की जानी चाहिये। जैसा ही कुछ सदस्यों ने कहा यह गलत है कि ९० करोड़ की रकम से ही अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा की जायेगी ऐसी बात नहीं है। उन्हें भारत के नागरिकों की हैसियत और पिछड़े लोगों की हैसियत से खास तौर से बराबर का भाग मिलना चाहिये, बराबर का ही क्या बल्कि मैं तो चाहता हूं इससे भी अधिक भाग उनको मिले।

जहां तक पिछड़े हुए वर्गों का सम्बन्ध है हम उनकी ओर कुछ हद तक ही ध्यान दे रहे हैं। सब से पहले तो अनुसूचित आदिम जातियां ही हैं उस के बाद अनुसूचित जातियां हैं और उसके बाद अधिसूचित जातियां हैं जिन्हें पहले लोग जरायम पेशा लोग कहते थे और इन सब के बाद पिछड़े लोगों का नाम आता है। फिर भी राज्य सरकारें उनकी ओर भी ध्यान देती हैं। राज्य सरकारों के यहां सूचियां बनी हुई हैं और वे काफी रुपये खर्च करती हैं।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोड़ी) : मैसूर में ब्राह्मणों को छोड़ कर बाकी सब जातियों को पिछड़ी जातियां माना जाता है।

†**श्री दातार** : जहां तक ब्राह्मणों का सम्बन्ध है शिक्षा में तो भले ही वे आगे हों परन्तु उनकी आर्थिक दशा अच्छी होगी यह मैं नहीं मानता। खैर इस तरह से बहस करना भी उचित नहीं है। जिस राज्य से माननीय सदस्य सम्बन्ध रखते हैं उसमें एक सूची थी जिस पर घोर आपत्ति की गई थी और अब वह सरकार उपयुक्त सिद्धान्तो के अनुसार पिछड़े हुए लोगों की सूची दुबारा बना रही है। अशिक्षा का स्तर एक ही है और ऐसे व्यवसाय करना दूसरी चीज है जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही न हो। अभी तक हमारे पास अन्तिम प्रतिवेदन नहीं आया है।

मैं श्री बासप्पा से सहमत होने में कोई आपत्ति नहीं समझता। पर कम से कम हमें पहले पहल साक्षरता तो बढ़ानी चाहिये। पिछले दस वर्षों में सारे देश के अन्दर साक्षरों की ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। मैं मानता हूं कि यह वृद्धि और अधिक होनी चाहिये और सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ापन दूर होना चाहिये और अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर शिक्षा दी जानी चाहिये। केवल लिखना पढ़ना सिखाना ही पर्याप्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

जहां तक पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है राज्य सरकारें इस प्रश्न पर विचार करती हैं। हमने इस बात का निर्णय राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया है कि पिछड़े वर्गों मे वे किन लोगों को रखें। मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के जो आवेदन राज्य सरकारें भेजती रही हैं उनको शिक्षा मंत्रालय स्वीकार करता रहा है। यह आवश्यक है कि जो कोई भी पीछे रह गया हो उसे ऊंचा उठाना चाहिये क्योंकि विषमताओं के होते हुए लोकतंत्र सफल नहीं होगा। श्री गायकवाड़ तथा अन्य सदस्य भले ही असन्तुष्ट रहें किन्तु वे भी महसूस करेंगे कि यह बीमारी बहुत पुरानी है।

अस्पृश्यता आदि बुराइयां सरकारी सहायता या कानून से दूर नहीं हो सकतीं। कुछ सदस्यों का मत है कि यदि सरकार अधिक रुपये खर्च करे तो अस्पृश्यता दूर हो जायेगी। किन्तु ऐसी सामाजिक बुराइयों को मिटने में देर लगती है। आयुक्त का प्रतिवेदन पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में हरिजनों को मन्दिरों आदि में जाने के बारे में काफ़ी कठिनाइयां हैं। यह तो एक सामाजिक बुराई है। सरकार कुछ गैर सरकारी संगठनों का रुपया देकर प्रचार करा सकती है। किन्तु अकेले रुपये से कुछ न होगा। निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा ही इनका उद्धार कर सकती है जब सवर्ण हिन्दू अपने कार्यों का प्रायश्चित करेंगे तभी इस समस्या का हल होगा। इसके लिये सामाजिक जागृति आवश्यक ही है। गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को भी योग देना चाहिये। हम तो अपनी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह बुराई दूर हो जाये जो मुकद्दमे चलाने से भी दूर नहीं हो रही है। इस अपराध के ५०० मुकद्दमे दर्ज किये जा चुके हैं। किन्तु हमें उन लोगों को सुधारना होगा जो अपनी धार्मिक धारणाओं के कारण यह पाप करते हैं। गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था कुछ मामलों में भी मुकद्दमे चलाना अनिवार्य होता है। कुछ लोग हठी होते हैं जो डंडे से ही सुधरते हैं। किन्तु बहुत से हमारे भाई जो गलती करते हैं उनकी आत्मा को शुद्ध बनाने से ही इस का उपाय हो सकता है। इसलिये गांधी जी द्वारा सुझाये गये उपायों को ही काम में लाना चाहिये।

जो लोग इन कार्यवाहियों से असंतुष्ट हैं मैं उनकी मनःस्थिति समझता हूं। और मैंने सवर्ण हिन्दुओं को भी अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार करते देखा है। दूर दूर पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसा प्रचार हुआ है इस से मुझे आशा होती है कि गांधी जी के मार्ग पर चल कर हम सफल हो जायेंगे।

किन्तु इस के साथ हमें कानून को भी लागू करना चाहिये। पुलिस को ऐसे मामले में कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। अनुसूचित जातियों की दशा बहुत ही खराब है। इसलिये वे लोग किसी के विरुद्ध गवाही भी देने नहीं जाते। उनकी इन कठिनाइयों को हमें समझना चाहिये। मुझे याद है कि एक जगह ऐसा मामला हुआ था और वहां पर एक आदमी को दंड दिया गया था किन्तु इसका असर बहुत बुरा हुआ। वहां के सारी अनुसूचित जातियों के लोगों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा और तब राज्य सरकार ने कार्यवाही की और हालात पर काबू किया। इसलिये जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये किन्तु लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाने मात्र से काम चल जायेगा। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि सवर्ण हिन्दू तथा हरिजन एक दूसरे के विरोधी हैं। हम एक ही देश के रहने वाले लोग हैं और हमारी हैसियत बराबर है। जातीय भेदभाव यहां नहीं रहने चाहियें।

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : वे लोग तो इस देश के आदि निवासी होने का दावा करते हैं ।

†**श्री दातार** : हां वे हैं किन्तु हमें भी यहां आये हुए सैंकड़ों वर्ष हो गये हैं और अब हमें भाइयों की तरह से रहना चाहिये । सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं । मैं इस बात को समझता हूं कि उनमें से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिये । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है । वे लोग अभी इस क्षेत्र में नये हैं । तब भी जहां कहीं किसी के मामले में कोई अवैध कार्यवाही की जाती है उस की हम जांच करते हैं । हम ने न केवल सरकारी सेवाओं में उन के लिये सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की है बल्कि अर्द्ध सरकारी संगठनों तथा स्वायत्त निगमों और अन्य सस्थाओं में भी कुछ प्रतिशत पद उन लोगों के लिये निश्चित कर दिये हैं । हम ही लोगों ने उनसे यह बात की थी और उन्हों ने हमारी बात मंजूर कर ली कि बारह या पांच प्रतिशत पद हरिजनों के लिये सुरक्षित रहेंगे ।

सेवाओं के सम्बन्ध में, यह लक्ष्य संतोषजनक रूप से पूरा हो रहा है । तथापि जहां तक ऊंचे स्तर की नौकरियों का सम्बन्ध है वे उचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं । यहां हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिये कि सीधी नियुक्तियों के स्तर पर यह संरक्षण अवश्य मिलना चाहिये । हम इसका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । हम ने इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक मंत्रालय मे कुछ सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं । उनका यह कर्तव्य है कि वे उस मंत्रालय, निदेशालय अथवा संलग्न कार्यालय की सीमा के अन्दर सुरक्षित स्थानो का प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

हमने रोजगार दफ्तरों को भी यह अनुदेश दिये हैं कि वे अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के नाम पंजीवित करें । निसंदेह माननीय सदस्य की आपत्ति में कुछ सार है तथापि हमने यह अनुदेश जारी किये हैं जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध हों, उनका नाम पंजीयित कर लिया जाय और उनका उचित नाम निर्देशन किया जाय । यदि कहीं भी अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार को गलत कारणों के आधार पर अस्वीकृत किया जाता है, सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि वह गलती ठीक की जाय । मैं यह जांच करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि किसी भी उपयुक्त उम्मीदवार को अनुपयुक्त समझ कर उसे नामंजूर न किया जाय । माननीय सदस्य ने यह आशंका प्रगट की है उन्हें उपयुक्त बनने में अभी शताब्दियां लगेंगी । यह बात गलत है । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के व्यक्ति संतोषजनक गति से प्रगति कर रहे हैं । यद्यपि प्रगति धीमी है तथापि इतनी धीमी नहीं है जितनी कि वह आशंका कर रहे हैं ।

नौकरियों में यह संरक्षण केवल सीधी नियुक्तियों के स्तर पर किया जा सकता है, पदोन्नति के स्तर पर नहीं किया जा सकता है । यह प्रश्न रेलवे मंत्रालय द्वारा उठाया गया था, आप इस सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय जानते हैं । इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है । मैं इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि पदोन्नति या तो योग्यता के आधार पर होगी या ज्येष्ठता के आधार पर । इन दोनों बातों पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ...र]

पदोन्नति के आधार पर हुई नियुक्तियों में संख्या की वृद्धि करने के लिये हम ने यह उल्लिखित किया है कि पदोन्नति केवल ज्यष्ठता के आधार पर ही नहीं होगी। हम विभागीय परीक्षाओं के आधार पर भी कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं। यदि हम ने कुछ पदोन्नतियां करनी हैं और २० नियुक्तियां करनी हैं, तो हम एक विभाग परीक्षा लेते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में शर्तें ढीली कर दी जाती हैं। उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाता है। परीक्षायें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती हैं, उन के मामले में हम ने यह विहित किया है कि यदि उन में न्यूनतम योग्यता ही हो तो भी उसे पर्याप्त समझा जायगा। इस प्रकार संरक्षण की सीमा को विभागीय परीक्षाओं तक भी बढ़ा दिया गया है। अन्यथा हमारा यह कर्त्तव्य था कि हम किसी व्यक्ति को जबकि वह सरकारी नौकर है केवल इसी नाते उस की उन्नति न करें कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य हैं। उस के लिये उचित और संतोषजनक कार्य कर सकना भी आवश्यक है। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक मामले में जहां किसी को अनुचित रूप से तरक्की नहीं दी जाती है या उस को नजरअन्दाज किया जाता है, उस की जांच की जाती है।

निसन्देह उच्च सेवाओं में उन का प्रतिशत बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे माननीय मित्र ने यह कहा था कि ब्रिटिश काल में आई० सी० एस० सेवाओं और आज की सेवाओं में बहुत अन्तर है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि आज भी दस या ग्यारह अखिल भारतीय सेवाओं में हरिजनों और आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं, दूसरे हम यह प्रयत्न करते हैं कि यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता भी रखता है तो ईसे तत्काल ले लिया जाय, भले ही उस का स्थान योग्यतानुसार कुछ भी हो। अतः माननीय सदस्य के लिये ऐसी बात कहना, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है, उचित नहीं कहा जा सकता है। हम उस का पूरा प्रयत्न करते हैं कि उन के प्रति कोई विभेद न किया जाय, तथापि अधिक ऊंचे स्तर की सेवाओं में और ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है। यदि वर्षों तक दुर्भाग्य के शिकार होने के कारण उन्हें इस स्तर तक आते हुए विलम्ब होता है तो इस के लिये हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिये। न इस के लिये सरकार ही दोषी ठहराई जा सकती है। हम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि इन रियायती मापदंडों के अधीन अपेक्षित प्रतिशत प्राप्त हो सके।

अब मैं उन खंडों को लेता हूं जो आदिम जाति क्षेत्रों में आते हैं। इन खंडों के लिये सामुदायिक विकास मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों मिल कर १२ लाख रुपया व्यय कर रहे हैं इस के अतिरिक्त गृह मंत्रालय १५ लाख रुपये अतिरिक्त रूप से व्यय कर रहा है। इस में सन्देह नहीं कि इस सम्बन्ध में और सुधार की आवश्यकता है। मैं ने स्वयं कुछ बहुप्रयोजनीय खंड देखे हैं, मैं चाहता था कि उन खंडों को आदिम जाति खंडों का रूप दिया जाय। इस प्रयोजन के लिये हम ने डा० वेरियर एल्वन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, समिति का प्रतिवेदन हमारे सामने है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्थिति में सुधार हो।

जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के सदस्य शताब्दियों पुराने सामाजिक निर्योगिताओं के शिकार हैं, उसी प्रकार आदिम जातियों के लोग पृथकता के शिकार हैं। हम ने इन दोनों जातियों को उठाना है। इन व्यक्तियों में भी जो लोग सब से गिरे हुए हैं, हम उन्हें सब से पहिले उठाना चाहते हैं। इन अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों में भी कई उपजातियां हैं, उदाहरणार्थ बिहार के डोम भंगी और खानाबदोश इत्यादि, हमें उन को सब से पहले उठाना है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सब से अधिक पददलित लोगों को सर्वाधिक सहायता और पूर्ववर्तिता प्रदान की जाय।

सरकार इस सम्बन्ध में यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में उन की स्थिति का पुनरीक्षण करने और तत्पश्चात् आज दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उन की स्थिति का पुनरीक्षण करने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है यद्यपि अभी उस सम्बन्ध में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है । हम ने इस बात को तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय ध्यान में रखा है । मैं माननीय सदस्यों की आलोचनाओं का आदर करता हूं क्योंकि इस से हम उन की सही स्थिति का पता लगाते हैं । तीसरी परियोजना के दौरान यदि हमें संसद सदस्यों, सामान्य जनता, राज्य सरकारों से उचित सहायता प्राप्त हुई तो हमें विश्वास है कि इन अभागे लोगों की दशा में बहुत अधिक सुधार संभव हो सकेगा ।

श्री उइके (मंडला–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से दो तीन प्रश्न करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्नों का समय यह नहीं है ।

श्री उइके : मैंने जो प्रश्न उठाये थे, उन का उत्तर मुझे नहीं मिला है ।

सभापति महोदय : उन का उत्तर आप श्रीमती आल्वा से ले सकते हैं । प्रश्नों का यह अवसर नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, अगर एक घंटा बढ़ा दिया जाये, तो बहुत अच्छा होगा ।

सभापति महोदय: यदि सभा सहयोग करे और हम अपनी बातें अल्प समय में कहें तो सभी बातें कही जा सकती हैं । यदि आवश्यक होगा तो मैं चर्चा का समय बढ़ा दूंगा ।

श्री शंकर देव (गुलबर्गा—रक्षित अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, जैसाकि आप ने निर्देश किया है, समय बहुत थोड़ा है और इस अवसर पर मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं कोई ईमोशनल स्पीच हाउस के सामने रखूं। इस रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुए मैं दो चार सजेशन्स पेश करना चाहता हूं ।

पिछली बार भी मैं ने कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों में इन्फ़ीरियारिटी कम्पलैक्स (हीन भावना) बहुत ज्यादा है और अगर उन को दूसरी कास्ट्स के बराबर लाना है ,तो कुछ प्रक्टिकल सजेस्शन्ज़ को कार्यान्वित करना होगा । उस समय भी मैं ने कुछ सजेशन्ज़ दी थीं । मुझे मालूम नहीं कि गवर्नमेंट ने उन को कहां तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है । सब से बड़ी चीज़ जो मैं ने पिछली बार बताई थी, यह थी कि जब तक इन्टर-कास्ट मरिजिज़, अन्तर्जातीय विवाह, नहीं होंगे, तब तक छुआछूत की समस्या हल नहीं हो सकती है । छुआछूत के निवारण के लिये हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं और कम्यूनिटी डिनर्ज़ की बात की जाती है । कम्यूनिटी डिनर में क्या होता है कि उस में तरह तरह के लोगों को बुलाते हैं और वे सब लोग एक जगह मिल कर खाना खाते हैं । लेकिन इस तरह खाने से छुआछूत का निवारण नहीं हो सकता है, बल्कि जब तक मिक्स्चर आफ़ ब्लड, रक्त का सम्मिश्रण नहीं होगा, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है । इस के लिये मैंने ये प्रक्टिकल सजेस्शन दिये थे कि गवर्नमेंट सर्विसिज़ में उन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जाये, जोकि इन्टरकास्ट मैरिज करें और जो लोग रिक्रूट हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, उन में से उन्हीं को प्रोमोशन दिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शंकर देव]

जाये, जिन के बच्चे इन्टर-कास्ट मैरिज करें। अगर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) किया जाये, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा थोड़ा कर के इन्टर-कास्ट मैरिजिज़ को प्रोत्साहन मिल सकता है।

मैंने रिज़र्वेशन आफ़ सीट्स के बारे में भी कहा था। हर जगह पर नौकरी करने के लिये आदमी तैयार होता है, लेकिन भंगियों का काम ऐसा है, जहां कोई भी काम करने के लिये तैयार नहीं होता। मैंने यह कहा था कि म्युनिसिपलिटीज़ में भंगियों की जितनी पोस्ट्स हों, उन में से कम से कम पांच परसेंट नान-हरिजन्ज़ के लिये, हरिजनेतर लोगों के लिये रिज़र्व्ड कर दी जायें। हायर कास्ट्स के लोगों के लिये वे जगहें रिज़र्व्ड हों, वही लोग एप्लाई करें और उन जगहों पर वे ही रिक्रूट किये जायें। वे लोग भंगियों के साथ मिल कर काम करें। इस प्रकार दूसरे भंगियों में जो यह इन्फीरियारिटी कम्पलैक्स है कि हम लोग नीच जातियों के हैं, हजारों सालों से चली आ रही वह भावना खत्म हो जायगी। यह सज़ेस्शन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है।

वैसे इमोशनल (उतेजनापूर्ण) स्पीचिज हम बहुत दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस से सिर्फ रिपीटीशन ही होगा और उस से गवर्नमेंट की गाइडेंस नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के लोग और कमिश्नर महोदय इस बात पर ग़ौर करें और सोचें कि कहां तक इस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।

यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि ट्राइबल एरियाज में जो आश्रम स्कूल बनाये जाते हैं, उन में मांस, मछली न मिलने से बच्चों को रतौंधी वगैरह होती है। अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है और बच्चों को मांस और मछली देना है, तो मैं यह कहता हूं कि आश्रम स्कूल जो नाम रखा गया है, उस में से "आश्रम" शब्द को हटा दिया जाये, क्योंकि "आश्रम" शब्द एक ऐसे पवित्र स्थान को डीनोट करता है, जिस में सात्विक आहार, विचार और आचरण होगा। हो सकता है कि कालान्तर में ट्राइबल रियाज के बच्चे मांस वग़ैरह खाने लग जायें, क्योंकि वे लोग मांसाहारी प्राणी हैं, इस लिये उन को आश्रम स्कूल न कह कर पाठशाला या ट्राइबल छात्रावास कहा जाये, तो अच्छा होगा। मुझे आशा है कि मेरी इस छोटी सी सज़ेस्शन पर अमल किया जायगा।

जहां तक नियो-बुद्धिस्टस, नूतन बुद्धिस्ट्स, का सम्बध है, उन लोगों की कनसेशन्ज किस तरह विदड्रा की जा सकती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह ठीक है कि वे लोग हिन्दू नहीं रहते हैं और इस तरीके से ला के अनुसार वे उस श्रेणी में नहीं आते कि उन को तमाम फ़ैसिलिटीज दी जायें। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, उन की सोशल और इकानोमिक कन्डीशन्स वैसी ही रहती हैं, तो कोई कारण नहीं कि उन को फ़ैसिलिटीज देने से इन्कार किया जाये। बुद्धिस्ट्स होने के बावजूद पूरी सोसायटी उन को वैसे ही देखती है, जैसे कि हरिजनों को। मैं उन के बारे में यह कहूंगा कि उन को न केवल सोशल और एजूकेशनल फ़ैसिलिटीज मिलनी चाहियें, बल्कि जो पोलीटिकल फ़ैसिलिटीज हैं, वे भी उन को मिलनी चाहिए। अगर कुछ हरिजन अपने आप को बुद्धिस्ट कहने लग, तो उन की कन्डीशन्ज चेंज हो जायेंगी, मैं यह समझने में असमर्थ हूं। इस के अतिरिक्त गवर्नमेंट और दूसरे लोग समझते हैं कि हरिजन कल्चरली और रिलिजसली और तमाम प्वायंट्स आफ़व्यू से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हरिजन बुद्धिस्ट होते हैं, तो यह तो एक खुशी की बात है कि वे एक कल्चर्ड सोसायटी में मिक्स अप होने की कोशिश करते हैं। मैं ने हजारों को देखा है कि उन्हों ने बुद्धिस्ट होने के बाद मांस, मछली और शराब पीना छोड़ दिया है। यह तो एक कल्चरल डेवलपमेंट है और यह एक खुशी की बात है। गवर्नमेंट को तो आगे बढ़ कर उन को फ़ैसिलिटी देनी चाहिये। इस के बजाय जो बुद्धिस्ट हो गये हैं, गवर्नमेंट उन को कोई फ़ैसिलिटी नहीं देगी, यह तो गलत बात है। अगर ऐसी बात है, तो हम जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग इलैक्ट हो कर आए हैं,

जो पब्लिक में और इस हाउस में बोलने के लायक हो गये हैं और कल्चरलली और एजूकेशनली आगे बढ गये हैं, इसलिये उन की फ़ैसिलिटीज छीन ली जायें, यह तो कोई आर्ग्युमेंट नहीं है। अगर कुछ लोग पोलीटिकली, रिलिजसली और कल्चरली आगे बढ़ रहे हैं, तो उन को तो फ़ैसिलिटीज दी जानी चाहियें। मैं मंत्री महोदय तथा गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं और साथ ही साथ आशा करता हूं कि इस मेरी अपील को मान लिया जायेगा कि अगर इस चीज के लिये हम को कांस्टीट्यूशन को एमेंड भी करना पड़े तो वैसा करने में भी हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये, हमें कांस्टीट्यूशन को एमेंड कर देना चाहिये। गवर्नमेंट को एप्रिशियेट करना चाहिये कि न्यो-बुद्धिस्ट लोग, हरिजन लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं —

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियाँ) : जो बहुत आगे बढ़ गये हैं उनको कम मदद मिलनी चाहिये और जो बहुत पीछे हैं, उनको ज्यादा मिलनी चाहिये।

श्री शंकर देव : इस प्वइंट आफ व्यू से हमारे बाल्मीकी जी को अगली आम इलैक्शन में हरिजन होने के नाते कंटैस्ट करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये क्योंकि वह काफी आगे बढ़ चुके हैं, काफी एडवाँस हो चुके हैं।

मैं संक्षेप में अपनी बात को कह कर समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से हम को एश्योरेंस मिले कि हरिजन लोगों ने बुद्धिस्ट हो करके जो अपना कल्चरल डिवेलेपमेट किया, उन्होंने इसके लिए जो एंगज़ाइटी बताई है, [illegible] स्म का नुक्सान नहीं पहुंचेगा। यह तो खुशी की बात है और इसको एप्रिशियेट करते हुए मैं चाहता हूं कि उनको पूरी फैसिलिटीज़ दी जायें।

हमारे कुछ भाइयों ने सुझाव दिया है कि यहाँ पर एक हरिजन मिनिस्ट्री होनी चाहिये और इस काम के लिए अलग से मिनिस्टर होना चाहिये। मैं इस के बारे में एक प्रेक्टिकल सजेशन देना चाहता हूं। आज हर एक स्टेट के अन्दर एक एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और इसका काम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के हाथ में है। इस डिपार्टमेंट का काम हरिजनों, बैक्वर्ड क्लासों, वोमेन का वेलफेयर, रिहैबिलिटेशन आफ बैगर्स, और इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उन को देखना हो। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर भी अगर स्टेट्स की तरह से एक सोशल वैलफेयर मिनिस्टरी कायम हो जाये और उसके सुपुर्द यह तमाम काम हो जाये और जो सेंट्रल सोशल वैलफेयर बोर्ड है और जिस की प्रधान हमारी दुर्गाबाई देशमुख जी हैं, वह भी तथा दूसरी जो चीज़ें हैं वे भी इसके अन्तर्गत आ जायें तो बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है। अगर आप इस काम के लिए कैबिनेट लेवेल पर एक मिनिस्टर नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम एक मिनिस्टर आफ स्टेट ही रख लें। यदि आप ने ऐसा किया तो काम बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। आज होता क्या है। 'जिस के सुपुर्द आज यह काम है, वहाँ पर बहुत से और काम होते हैं और इस काम को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता है, इस काम को सागर के अन्दर मिला दिया जाता है। क्योंकि इसके लिये कोई सेपेरेट मिनिस्टरी नहीं है, इसी वजह से हम देखते हैं कि कई जगहों पर हम लोगों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये, दिया नहीं जाता है।

जहाँ तक एड का सम्बन्ध है, उसके बारे मे भी मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। यह जो रिमूवल आफ अनटचेबिलिटी का काम है, यह सिसीयर लोगों के हाथों में होना चाहिये। जो सैकड़ों बरसों से इस काम को करते आ रहे हैं उनके सुपुर्द यह काम होना चाहिये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो सिंसीयर वर्कर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस सिंसीयरली इस काम को करती हैं वे गवर्नमेंट

[श्री शंकर देव]

के पास एड के लिए, मदद के लिए नहीं आती हैं। आर्य समाज जैसी संस्थायें इस फील्ड में बहुत सिंसीयरली काम कर रही हैं, उनको एड दीजिये। आर्य समाज ने जितना अच्छा काम किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये थोड़ी है। उसने आल-इंडिया लेवेल पर काम किया है और बहुत ही सुन्दर काम किया है। मैं हरिजनों के बारे में कह सकता हू कि हम मे से जितने भी लोग चुन कर आये हैं, यहाँ पर या स्टेट लैजिस्लेचर्स में उन मे से ८० फीसदी आर्य समाज के वरदान आर्य समाज के विचारों की वजह से ही चुन कर आये हैं, पढ़ कर आये हैं, उसी की वजह से उनकी आँखें खुली हैं। ऐसी संस्थायें जो काम कर रही हैं, गवर्नमेंट को चाहिये कि उनके नेताओं को बुलाये और कहे कि लो, यह एड है, और तुम इस काम को करो। आज देखा जाता है कि चूंकि ग्रांट मिलती है, इस वास्ते नई-नई छोटी-छोटी संस्थायें बन जाती हैं और लाभ उठाने लग जाती हैं। वे एप्रोच कर लेती हैं और अफसरों को बुला कर कुछ खिला पिला कर अपना काम निकाल लेती हैं। खिलाने पिलाने का यह अर्थ नहीं है कि सचमुच उनको खिलाया पिलाया जाता है बल्कि यह है कि उनका स्वागत सत्कार वे करती हैं, उनको बारबार एप्रोच करती हैं उनकी खुशामद करती हैं और इस तरह से रुपया प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीजों का खास तौर से ध्यान रखा जाये। रुपया ऐसी संस्थाओं को देना चाहिये जोकि गवर्नमेंट को एप्रोच नहीं करती हैं बल्कि हरिजनोद्धार के अन्दर सैकड़ों बरस से काम कर रही हैं और उनको बुला कर, उनकी खुशामद करके, उनको मदद दी जानी चाहिये और उनसे काम करवाया जाना चाहिये।

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियाँ) : सभापति महोदय, अभी वाद-विवाद में भाग लेते हुए माननीय गृह मंत्री महोदय ने शैड्यूल्ड कास्ट कमिशनर की रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और यह बताने का प्रयत्न किया है कि सरकार जो कुछ कर रही है, उससे हरिजनों का बहुत लाभ हुआ है। इस में कोई शक नहीं कि अगर मुझे मौका मिले पार्लिमेंट के बाहर भाषण करने का तो ये सब बातें मैं भी कहूंगा लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं हरिजन भाइयों और आदिवासियों को कम से कम इस सदन के सामने धोखे में नहीं रख सकता हूं, उनको धोखा नहीं दे सकता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है, उसकी वैधता को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं उन्हीं की इस रिपोर्ट में से कुछ पढ़ कर उनकी बात को काटना चाहता हू। मेरे पास समय थोड़ा है इस वास्ते मैं अधिक नहीं कहूंगा, केवल एक दो बातों का ही जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा एमाउंट उन्होंने पूरा खर्च कर दिया है। यह बहुत अच्छी बात होती अगर पूरा खर्च कर दिया गया होता। लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि :

> "बिहार सरकार विमुक्त जातियों और आसाम सरकार अनुसूचित आदिमजातियों के सम्बन्ध में अपने लक्ष्य पर पहुचने में असफल रही है"

इसके आगे चल कर लिखा हुआ है कि मद्रास सरकार, हिमाचल सरकार, आंध्र सरकार असफल रही है। अगर सफलता नहीं मिली है, तो कैसे कहा जा सकता है कि आप सफल रहे हैं। जहाँ तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, उसमें भी जितनी धनराशि रखी गई थी वह खर्च नहीं हो सकी थी। अब दूसरी योजना मे ६१ करोड़ रखा गया है और एक साल बाकी है, पता नहीं इसमें से कितनी खर्च होगी और कितनी लैप्स होगी। पहली योजना में ३६ करोड़ रखा गया था और उस मे से १६ करोड़ लैप्स हो गया। केन्द्रीय सैक्टर में जो खर्च करने की व्यवस्था

की गई थी, आदिम जातियों के लिए वह २१ करोड़ १२ लाख ९५ हज़ार की की गई थी लेकिन उस में से खर्च हुआ है ५ करोड़ २६ लाख ६३ हज़ार ६२२ यानी कुल मिला कर २४ परसेंट। जहाँ तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उनके लिए कहा गया है कि ४२ प्रतिशत ही खर्च हुआ है और विमुक्त जातियों का जहाँ तक सम्बन्ध है, उन पर ३.१७ प्रतिशत ही खर्च हो पाया है। अगर आप देखें तो न तो आपको एमाउंट खर्च करने में सफलता मिली है और न ही एमाउंट न खर्च करने में सफलता मिली है। ये आपके आँकड़े ही साबित करते हैं, अगर इन आँकड़ों पर विश्वास किया जाये तो। लेकिन मैं आँकड़ों के झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं कुछ दूसरे विषयों पर आता हूं।

सब से पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर साल कमिशनर साहब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें वे अपने विचार प्रकट करते हैं और कुछ सुझाव देते हैं। जो सुझाव वे एक साल में रखते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में उनको दोहरा देते हैं और हर साल उनको दोहराते रहते हैं। पता नहीं यह क्यों किया जाता है, क्या यह दिखाने के लिए ही किया जाता है या जो सुझाव दिये जाते हैं उन पर अमल भी करना होता है। अगर अमल करने की बात है तो जो सुझाव एक बार दे दिये जाते हैं उनको दुबारा छापने की जरूरत नहीं है, उन पर अमल हो जाना चाहिये। इस तरह से हर साल उन सुझावों को बार-बार छापते जाने से कोई लाभ नहीं है, उन पर अमल होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जातियों की जो सूचियाँ आपने बनाई हैं, उन में बहुत सी खामियाँ रह गयी हैं। मैं कोई इस का मास्टर या एक्सपर्ट नहीं हूं जो हर एक चीज़ को और हर एक जाति के बारे में बता सकूं। लेकिन एक दो बातें मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की जो सूचियाँ बनी हैं, उन में कुछ ऐसी जातियाँ शामिल कर दी गई हैं जो शामिल नहीं की जानी चाहिये और कुछ ऐसी जातियों को छोड़ दिया गया है जोकि शामिल होनी चाहिये थीं। ऐसी जातियाँ जिन को सहायता मिलनी चाहिये थी वे शामिल तो कर ली गई हैं लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसी जातियाँ भी शामिल कर ली गई हैं जिन को वास्तव में शामिल नहीं करना चाहिये था। जो बात मैं सदन के सामने कहने जा रहा हूं मैं जानता हूं कि उसका मुआवजा मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अदा करना पड़ेगा, मेरे बहुत से वोट कट जायेंगे लेकिन मुझे इसकी चिन्ता नहीं है, जो ठीक बात है वह मैं कहूंगा।

पहले भी कई बार भारत सरकार और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है और लगातार हमारे पास विभिन्न जातियों के आवेदन पत्र भी आते हैं जैसे रेंगड़ सभा है, हरिजन सभा है, खटीक सभा है कि उनका सारा पैसा आदिम जातियों के नाम पर मीनों को दे दिया जाता है। विमुक्त जातियों में, एक्स-क्रिमिनल ट्राइब्स में, भील मीनों और चौकीदार मीनों के लिए तो प्राविजन था लेकिन सब मीनों को उस में रख दिया गया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि जिन को फायदा पहुंचना चाहिये था उनको तो पहुंच नहीं रहा है और जिन को नहीं पहुंचना चाहिये, उनको पहुंच रहा है। जिन जातियों के लोग आगे होते हैं, जिन के एम० पी० होते हैं, एम० एल० ए० होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वे तो मदद ले जाती हैं और जिन की कोई एप्रोच नहीं होती है, उनको कोई पूछता नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शैड्यूल्ड कास्ट में भी जिन लोगों की एप्रोच होती है, जिन की पहुंच होती है, उनको तो रुपया मिल जाता है, मदद मिल जाती है लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो छोटी-छोटी जातियाँ हैं और

[श्री पहाड़िया]

जिन की पहुंच नहीं होती है, उनको सहायता नहीं मिल पाती है, उनको पूरे तौर से जितनी सहायता मिलनी चाहिये नहीं मिल पा रही है। मैं मानता हूं कि एक सूची में दो सूचियाँ नहीं बनाई जा सकती हैं लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि जिन जातियों को अब तक फायदा नहीं मिल सका हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाये।

इस के अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। पंचायत राज्य की स्थापना हमारे राजस्थान में और दूसरे राज्यों में हो रही है और इस बात की बड़ी-बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। चूंकि मैं भी राजस्थान से आता हूं और मैं भी उस स्कीम को बहुत अच्छा मानता हूं, इस लिये मुझे खुशी होती है। लेकिन उस से जितना फायदा हम को होना चाहिये था, खास तौर से हरिजनों का, वह नहीं हो रहा है। उस का कारण यह है कि सारा का सारा रुपया चाहे आप सेन्टर से देते हों चाहे राज्य सरकार देती हो, वह ब्लाक समितियों और पंचायत समितियों को दे दिया जाता है और उन्हीं से खर्च करवाया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह रुपया जो हमारे हित के लिये है, उस का ५० प्रतिशत भी हम तक नहीं पहुंच पाता है। या तो वह रिश्वतों में चला जाता है या दूसरी योजनाओं में चला जाता है और जब राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है तो राज्य सरकार कहती है कि हमें कोई चिन्ता नहीं कि वह रुपया किस तरह से खर्च होता है। हम ने तो सारा अधिकार पंचायत समितियों को दे दिया है कि वह जिस तरह से चाहें खर्च करें। अगर वे ठीक तरह से खर्च करें तो हमें खुशी होगी। हम उन का सहयोग लेना चाहते हैं और अपना सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन वे ठीक से उस रुपये को यूटिलाइज करें इस का राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिये।

मैं राज्य सरकार के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। पिछले महीने में हरिजन कल्याण बोर्ड की राज्य स्तर की मीटिंग हुई। मैं ने कहा कि आप को ६० लाख रु० सेन्टर से मिलना बाकी है, उसे आप ले लीजिये, तो उन्होंने कहा कि जितना प्लैनिंग के तहत रुपया मिलना था वह हम ने डेवेलपमेंट के तहत ले लिया। और कोई अलग मद नहीं है जिस में हम ले सकें। वे लेना इसलिये नहीं चाहते कि उन को २ लाख रु० की मैचिंग ग्रान्ट देनी पड़ती है और मैचिंग ग्रान्ट देने में राज्य सरकार समर्थ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैचिंग ग्रान्ट का रुपया ही हम लोगों को दे दिया जाय तो उस से जो पहली योजना को दूसरे में और दूसरी योजना को तीसरे में रक्खा जाता है, उस की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिस कार्य के लिये रुपया रक्खा जाता है उस में वह खर्च हो सकेगा।

मंत्री जी ने बतलाया कि थर्ड प्लैन को हम सेकेन्ड प्लैन से दूनी बनाने जा रहे हैं, बजाय ४,५०० करोड़ के वे उसे १०,००० करोड़ रु० की बनाने जा रहे हैं। लेकिन देखने को मिला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना रुपया समाज कल्याण, खास तौर से हरिजनों और आदिवासियों के लिये रक्खा गया था उसे बहुत थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। पहले जो ९५ करोड़ रु० था उस को केवल १०० करोड़ किया जा रहा है, एक तरफ सारे देश के लिये प्लैन दूनी हो रही है और दूसरी तरफ हरिजनों और आदिवासियों के लिये जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह केवल ४ या ५ प्रतिशत ही बढ़ाया जा रहा है। यह न्याय नहीं है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं, यहां मंत्री जी और डिप्टी मिनिस्टर साहिबा भी बैठी हुई हैं, वे इस मामले को और से देखें गौर तृतीय पंच वर्षीय योजना में द्वितीय योजना के अनुपात में जितना रुपया मिलना चाहिये था उतना देने की कोशिश करें। बहुत सारे काम अभी उन को करने को बाकी हैं। वे पार्लियामेंट में केवल रिपोर्ट पढ़ कर

ही बरी नहीं हो सकते। मैं मंजूर करता हूं कि आप ने बहुत से काम किये हैं लेकिन आप को मानना चाहिये कि अभी बहुत से काम बाकी हैं।

यहां मैं अस्पृश्यता की बात नहीं बतलाना चाहता हूं, वह तो चलता ही रहेगा। यह समस्या एक सामाजिक समस्या है जिस के लिये मंत्री जी ने कहा कि गांधी जी के बताये रास्ते से खत्म होगी। मैं तो समझता हूं कि वह अपने मौत मर रही है। वह समय आ गया है अब। लेकिन सरकार को यह बात करनी है जिस के लिये हम ने संविधान में गारेन्टी दी है और जिस की जिम्मेदारी ले कर हम चल रहे हैं। उसे पूरा करने के लिये पैसे की जरूरत होगी। इस के लिये पंचवर्षीय योजना में काफी पैसा रक्खा जा सके, इसके लिये कोशिश करनी चाहिये।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं और वह नौकरियों के सिलसिले में है। इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन सब के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि समय नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज बार-बार सूटेबिलिटी का पुछल्ला लगा दिया जाता है कि सूटेबल कैन्डिडेटस नहीं मिलते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। लोग बी० ए० और एम० ए० पास कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सूटेबल नहीं होते। यह मंजूर किया जाता है कि कुछ कारणों से अदिवासी अलग रहते हैं। मेरी समझ में कुछ निरोधात्मक मामले हैं जिन के कारण वे हलकापन महसूस करते हैं। लेकिन यह महसूस करते हुए भी उन के पीछे सूटेबिलिटी का पुछल्ला लगा दिया जाता है। यदि कभी कोई विभाग कोई कदम उठाता भी है, जैसे रेलवे विभाग, तो हाई कोर्ट के जरिये उस पर रोक लगा दी जाती है। रात दिन कोशिश की जाती है कि डाक तार विभाग में जो इंस्पेक्टर्स और सुपरिन्टेन्डेंट्स की जगहें निकाली जाती हैं उन में हरिजनों को जो सुविधायें मिलनी चाहियें वे न मिल पायें। बार-बार रिप्रेजेन्टेशन देने पर भी, ७० पार्लियामेंट मेम्बर्स के उस पर दस्तखत करने पर भी कानों पर जूं नहीं रेंगती। यह तौर तरीका ठीक नहीं है। इस लिये कमिश्नर साहब मुझे माफ करें, मैं उन्हें सिर्फ एक पोस्ट आफिस समझता हूं। उन के जरिये कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसा अभी मेरी बहन ने सुझाव दिया कि एक अलग मिनिस्ट्री खोल दी जाय, अगर वह खोल दी गई तो वह भी एक पोस्ट मास्टर की तरह से बैठा दी जायेगी। इस के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इस तरफ हमारे गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये। उस के पास अधिकार है सारा काम करनें का। यह बात नहीं है कि उन की मंशा नहीं है कि हम लोगों के लिये कुछ न हो, लेकिन उन के पास काम बहुत है। उन को मेहरबानी कर के थोड़ा समय निकालना चाहिये जिस में कि हरिजनों की बात उन को मालूम हो सके वर्ना जिस तरह से गाड़ी चल रही है, उस तरह से कोई भी काम पूरा होने वाला नहीं है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में बार-बार सवाल उठाया जाता है, एक भावना इस तरह की पैदा होती चली जा रही है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को काफी वजीफे मिलते हैं और जो सवर्ण हैं उन को जो मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है। इस तरह का एक ट्रेंड हाउस में देखने को मिलता है। खास तौर पर यह भावना फैलदी जा रही है कि जो रिजर्वेशन रक्खा गया है उस को खत्म कर के दूसरे लोगों के लिये भी आमदनी के लिहाज से रक्खा जाय। यह मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। जब इतना रुपया हरिजन लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सा रुपया बच जाता है। जैसा मैं ने बतलाया आप ने कुल २६ करोड़ रु० खर्च किया और दूसरी तरफ से रात दिन शिकायतें चली आ रही हैं कि उन के बच्चों को वजीफे नहीं मिलते। मैं इस का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अपनी तरफ नहीं कहना चाहता, राजस्थान सरकार की तरफ से विज्ञप्ति निकली है कि हमारे पास पैसे की बहुत कमी है इसलिये प्राइमरी

[श्री पहाड़िया]

स्कूल के बच्चों को वजीफे नहीं दिये जा सकते । पिछले साल यह विज्ञप्ति निकाली थी कि इस साल हमारे पास पैसों की बहुत कमी रहेगी इसलिये हम मिडल तक वजीफे देने में समर्थ नहीं हैं । दूसरी तरफ कहा जाता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शैड्यूल्ट कास्ट्स के बच्चे बिना वजीफे के नहीं रहते । मैं आप को दिल्ली की नजीर दे सकता हूं । जब बच्चों की फीस माफ नहीं की जाती तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार पार्लियामेंट के मेम्बर्स की तरफ से सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं । यह सब बातें ऐसी हैं जो कि प्लैन को चलाते वक्त आप को देखनी पड़ेंगी अन्यथा जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, सरकार की शक्ति खर्च हो रही है, उस से पूरा फायदा आप हासिल नहीं कर सकेंगे ।

नौकरियों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जरा मेहरबानी कर के कमिश्नर साहब अपने दफ्तर की तरफ भी तो देखें कि उन के यहां हरिजन कैन्डिडेट्स कितने लिये जाते हैं । राज्य सरकारों में सोशल वेलफेअर बोर्ड के डाइरेक्टर्स के दफ्तर हैं । उन में यह नारा चलता है, डाइरेक्टर्स भाषण देते हैं, उन के अपने रिसर्च आफिसर्स हैं, वे यह कहते हैं कि फलां दफ्तर में इतने लोग लगाये गये, फलां दफ्तर में इतने लोग लगाये गये । लेकिन उनके अपने दफ्तर का भगवान ही मालिक है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपने दफ्तर की ओर भी और राज्य हरकारों में जो सोशल वेलफेअर बोर्ड के दफ्तर हैं, खास तौर से हरिजन और आदिवासी सुधार के जो महकमे हैं उन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिये और हरिजनों की सेवा का काम हरिजनों को ही सौंप दें । मैं नहीं कहता कि एक हरिजन की हरिजनों ही सेवा कर सकता है, दूसरे लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं । मैं नहीं कहता कि हरिजनों के अलावा सब दुर्जन हैं । जो सारे लोग बैठे हैं वे सब दुर्जन नहीं हैं, वे सब के सब भले आदमी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जो पैसा खर्च करते हैं वह अच्छी तरह से खर्च होता है या नहीं, और वह समय पर खत्म होता है या नहीं, इस को देखने की जरूरत है । जब हम इस प्रकार से कर सकेंगे तभी हमारी सब समस्यायें हल हो सकेंगी ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, अभी मैंने माननीय मंत्री जी का बहुत लम्बा भाषण सुना और जो हमारे सामने कमिश्नर की रिपोर्ट प्रस्तुत है, उसको भी पढ़ा । दूसरे लोगों ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की । उन्होंने बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींचने की कोशिश की। जहां तक मन्त्री महोदय का प्रश्न है और जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो दो तरह की सूरतें पाते हैं । एक तो यह कि राज्य सरकारों ने बहुत सी मांगी गई सूचनायें नहीं दीं, दूसरे जो धनराशि उन्हें दी गई उसे उन्होंने खर्च नहीं किया। वह खर्च भी नहीं हुआ और जो कुछ काम किया गया वह ठीक नहीं रहा, उससे स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही । मन्त्री महोदय के भाषण में तो हालत बहुत सुधरी है, लेकिन रिपोर्ट में और वास्तविक रूप में हरिजनों और आदिवासियों की हालत नहीं सुधरी । समाज कल्याण की सर्विसों में भले ही कुछ एक दो को नौकरी मिल जाय या थोड़ी सहायता मिल जाय, उसके अतिरिक्त और उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है ।

छूत छात की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है । मैं तो कह सकता हूं कि यह सारे देश पर और खास तौर से इस देश की सवर्ण जातियों के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है और इस कलंक को दूर करने के लिये इन १२ या १४ सालों में अगर कोई विशेष प्रयास हुआ है तो वह मौखिक प्रयास हुआ है । कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया । यह छूत छात का मामला, सीधा जाति पांति का मामला

है। इस सदन के वे माननीय सदस्य जो चाहते हैं कि यह छूत छात मिट जाय, इन हरिजन बन्धुओं को अपने से अलग रखते हैं। उनको उन लोगों को अलग न रखना चाहिये और ईमानदारी से इस समस्या पर ध्यान देना चाहिये। उन को सोचना चाहिये कि जब तक यह जाति पांति खत्म नहीं होती तब तक यह छूत छात जाने वाला नहीं है, क्योंकि वे एक दूसरे पर आधारित हैं।

अभी एक दलील दी गई कि केवल जाति पांति ही आधार नहीं होना चाहिये किसी वर्ग के पिछड़े होने का और ऐसी रियायतें जाति पांति के आधार पर सहायता के रूप में नहीं देना चाहिये। हो सकता है कि इस बात में किसी अंश तक सत्य हो, लेकिन वह बात पूरे अंश में सत्य नहीं है क्योंकि अगर हम अपने देश के जाति पांति के ढांचे पर नजर डालें तो यह नतीजा निकलता है कि जो जाति जितनी नीची है, वह उतनी ही निर्धन है, उतनी ही उपेक्षित है, जो जाति पांति जितनी ऊंची है उतनी ही सौभाग्य सम्पन्न, शिक्षित और आराम से है और समाज में उसकी अच्छी तरह से इज्जत होती है। तो यह कह देना कि इस छूत छात और हरिजन समस्या का सम्बन्ध कोई जाति पांति से नहीं है, या पिछड़े वर्गों के लोगों का सम्बन्ध जाति पांति से नहीं है, यह गलत है और अगर हम इस दलील को लागू करें कि इस समस्या को हल करना चाहेंगे तो कभी भी इस समस्या को हल नहीं कर सकते। इसलिये अगर हम यह चाहते हैं कि हरजनों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों की हालत सुधरे तो हमें अपने मन में इस चीज को अच्छी तरह से बिठाना पड़ेगा कि चाहे भाषणों में समस्या हल हो जाय, चाहे किताबों में यह समस्या हल हो जाय, लेकिन जहां तक नौकरी का प्रश्न आता है, वहां यह समस्या हल नहीं हुई है, बल्कि नौकरियों में यह जाति पांति की समस्या बढ़ती जाती है। और आप देखें कि वास्तविक रूप में तो जाति पांति पहले से ज्यादा बढ़ गयी है और उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। और मैं आपको मिसाल दूंगा एक बड़े पढ़े-लिखे आदमी की।

कहा जाता है कि जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें कोई जाति पांति नहीं है, वह बिल्कुल उठ कर भगवान् हो जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बड़े महान् पुरुष का नाम लेकर।

अखबारों में भी यह चीज आयी थी। उनके पास एक कुम्हार जाति का विद्यार्थी फीस माफ कराने गया और उसने उनसे विनम्र निवेदन किया कि मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी फीस माफ होनी चाहिये। इस पर उन्होंने उससे प्रश्न किया कि तुम किस जाति के हो। अब आप देखें कि जाति का फीस माफ करवाने से क्या सम्बन्ध है। उसने कहा कि मैं कुम्हार जाति का हूं। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। उसने कहा कि मेरे पिता मिट्टी के बरतन बना कर रोटी चलाते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि तुम क्यों पढ़ने के चक्कर में पड़ते हो जाओ बरतन बनाओ और पेट पालो। तो यह शिक्षित लोगों का हाल है।

हमारे गृह मन्त्री जी इस समय मौजूद नहीं हैं। उनके यहां भी चरण छुआने की पद्धति क्या नहीं चल रही है। यह मैं उनसे पूछना चाहूंगा.....

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यहां यह कायदा है कि जब किसी सज्जन का, जो कि यहां पर मौजूद नहीं हैं और अपना डिफेंस नहीं दे सकते, कोई एडवर्स क्रिटिसिज्म (विरोधी आलोचना) करना हो जो कि उसके प्रतिकूल जाता हो, तो उसकी सूचना पहले से मन्त्रालय को देनी चाहिये ताकि वह उसका कोई ठीक उत्तर दे सके। क्या आपने कोई ऐसी सूचना देने की कार्रवाई की है ?

श्री रामसेवक यादव : मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। लेकिन गृह मन्त्रालय और शिक्षा मन्त्रालय की ओर से उसका भली भाँति उत्तर दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : कायदा ३५३ कहता है कि आप इस प्रकार की डिफेमेटरी (मान हानि) टीका नहीं कर सकते। इसलिये जहां तक इस नियम का सम्बन्ध है इसके मुताबिक और सारी चीज तो रहेगी लेकिन सिर्फ नाम निकाल दिया जाएगा।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : इसमें डिफेमेटरी चीज तो कोई नहीं है। यह तो वास्तविकता है, यह तो तथ्य है। यह तो इस नियम में नहीं आता। डिफेमेटरी चीज को आप न आने दें, लेकिन यह तो वास्तविकता है।

सभापति महोदय : वास्तविकता है या नहीं यह तो पता नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज कही जाए जो डिफेमेटरी हो—वह वास्तविकता हो या न हो—उसको इस रूल के अनुसार नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिये ही यह रूल बना हुआ है। और इसलिये इस नाम को प्रोसीडिंग्स से निकाल देना चाहिये।

श्री राने (बुलडाना) : केवल नाम का ही नहीं बल्कि पद का भी उल्लेख नहीं करना चाहिये।

सभापति महोदय : नाम के साथ डेजिगनेशन भी निकाल दिया जाएगा।

श्री रामसेवक यादव : अच्छा यह रहने दिया जाए—इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रमुख अधिकारी और वाइस चांसलर से दूसरे नम्बर के अधिकारी।

तो मैं कह रहा था कि हमारे गृह मन्त्री जी को चरण छुआने का बड़ा शौक है और मैं जानता हूं कि उच्च अधिकारी भी चरण छकर तरक्की लेने की आशा करते हैं। तो चरण छुआना भी वर्णाश्रम धर्म से सम्बन्धित है। इसका उससे सीधा सम्बन्ध है। तो आप देखें कि एक तरफ जो लोग वर्णाश्रम को मिटाने की कसम खाते हैं वही दूसरी ओर उसको चलाते रहते हैं। इससे न तो जाति पांति खत्म होगी

एक माननीय सदस्य : यह तो आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। इससे वर्णाश्रम का क्या सम्बन्ध है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : चरण छूने का सम्बन्ध तो चापलूसी से हो सकता है।

श्री रामसेवक यादव : अगर उसका सम्बन्ध चापलूसी से है तो वह जोड़ दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

तो मेरा निवेदन है कि अगर इस समस्या का हल होना है तो उसके लिये मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। उन पर अमल किये बगैर इस समस्या का हल नहीं हो सकता।

मेरा पहला सुझाव यह है कि जब तक यह जाति पांति नहीं हटती तब तक यह हरिजन और आदिवासियों की समस्या हल नहीं हो सकती। तो यह जरूरी है कि जाति पांति मिटनी चाहिये। देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कम्युनिस्टि पार्टी हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, या जनसंघ हो, सभी कहते हैं कि जाति पांति मिटनी चाहिये, वर्गविहीन समाज बनना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप क्या कहते हैं।

श्री राम सेवक यादव। समाजवादी पार्टी भी यही कहती है । कहा जाता है कि हम सबको समान अवसर देना चाहते हैं : लेकिन इसका क्या मतलब होगा । हरिजन तीन चार हजार वर्षों से जाति पांत के आधार पर अधिकारों से वंचित रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से वंचित रखे गए हैं । उनसे अधिकार छीने गए हैं । वह उनके मुकाबले में कैसे खड़े हो सकते हैं जो कि आज ५००० साल से चारों ओर, नौकरियों पर, शिक्षा में, जायदाद में, दौलत में आधिपत्य जमाए हुए हैं । इनके मुकाबले में हरिजनों को समान अधिकार मिलने का क्या मतलब होगा । इसका यही परिणाम होगा कि जो आगे हैं वे आगे रहेंगे और जो पीछे हैं वे पीछे रहेंगे । वे आगे आ नहीं सकते । तो समान अवसर की बात करने से यह समस्या हल नहीं होगी । इसीलिए सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि हरिजनों, आदिवासियों और स्त्रियों—स्त्री भी शूद्र की श्रेणी में रखी गयी है इसको मंत्राणी महोदया खास तौर से ध्यान से सुनें, हिन्दुस्तान में स्त्रियों का दरजा शूद्रों के समान रखा गया है । तो मेरा निवेदन है कि हरिजनों को, आदिवासियों को, स्त्रियों को और जो पिछड़े लोग जैसे मुसलमान या और जातियां हैं उनके लिए गजटी नौकरियों में, फौजी अफसरों की जगहों और राजनीति में सौ में से ६० जगह काफी समय के लिये सुरक्षित रखी जाएं क्योंकि ये लोग देश की आबादी के ७०—७५ फीसदी से भी ज्यादा हैं । जब ऐसा किया जाएगा तभी यह समस्या हल हो सकती है वरना वह आगे नहीं बढ़ सकते । तो जब तक यह जाति पांत नहीं हटती तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

दूसरे इसका एक आर्थिक पहलू है। जहां तक हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारने का सवाल है उसकी जिम्मेदारी मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों पर डाल दी है और यह कह दिया है कि यह हमारा काम नहीं है, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । आज सारे देश में, राज्यों में भी और केन्द्र में भी, कांग्रेस की सरकार है । तब यह कह कर जिम्मेदारी से हट जाना कि यह राज्य सरकारों का काम है काफी नहीं है । मेरा सुझाव है कि इनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि जमीन का पुनर्वितरण किया जाए । और इस पुनर्वितरण में हरिजनों को और आदिवासियों को प्रमुख स्थान मिले । लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं किया गया है ।

आज सोशलिस्ट पार्टी का यह आन्दोलन चल रहा है कि अलाभकर जोतों पर से लगान हटाया जाए । यह मांग अगर कांग्रेस सरकार स्वीकार नहीं कर सकती तो जो थोड़ी बहुत जमीनें हरिजनों और आदिवासियों पर हैं उन पर से ही लगान हटा लिया जाए क्योंकि उनकी जोतें अलाभकर हैं ही । इससे उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है ।

इसी तरह से जहां तक नौकरियों का प्रश्न है यह कह कर कि -- लायक नहीं हैं -- उनको नहीं लिया जाता । यह शब्द बहुत सुन्दर निकाला है कि -- लायक नहीं हैं। यह विशेषण देकर उनको जो सुविधाएं मिली हैं उनको एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस ले लिया जाता है । मेरा सुझाव है कि जिस नौकरी के लिए उन्होंने आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली है वह उनको मिलनी चाहिए और जो जगहें उनके लिए सुरक्षित की गई हैं उनमें उनको रखना चाहिये। यह कहकर कि वह लायक नहीं हैं -- उनको इस सुविधा से वंचित नहीं करना चाहिये । जब तक सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

[श्री राम सेवक यादव]

इसी तरह से एक सामाजिक पहलू है । अन्तर्जातीय विवाह, सहभोज और उसके साथ साथ कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये कि गजटी नौकरियों का कुछ परसेंटेज उन लोगों के लिए सुरक्षित रखा जाए जो कि अन्तर्जातीय विवाह करें। वह नौकरियां उन लोगों को ही दी जाएं जो अन्तर्जातीय विवाह करें। सरकार ये सब चीजें कर सकती है इसमें कोई बाधा नहीं है ।

इसी तरह से एक राजनीतिक पहलू भी है । हरिजन और आदिवासी लखनऊ और दिल्ली में असेम्बलियों में आकर अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते । इसलिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर करना चाहिए, जहां पर कि हरिजनों और आदिवासियों की ज्यादा आबादी है, ताकि वह सत्ता में अपना उचित स्थान ले सकें । ऐसा किए बिना वे उपर नहीं उठ सकते ।

इसके बाद मैं कुछ पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । पिछड़ी जातियों के मंत्री जी यहां बैठे हैं और इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं । इसके बारे में कभी-कभी सभाएं भी हो जाती हैं । कमिश्नर की रपट में भी इसका जिक्र है और मंत्रियों के भाषणों में भी इसका जिक्र आ जाता है ।

एक माननीय सदस्य : आप इसको---रपट---के स्थान पर रिपोर्ट कहें तो अच्छा हो।

श्री रामसेवक यादव : वह तो अंग्रेज़ों वाली बात है । जिस जनता के आप नुमायन्दे हैं वह तो---रपट---ही कहती है ।

तो इस रपट में कहा गया है पिछड़ी जातियों के लिए भी कुछ हो रहा है । लेकिन आप देखें कि पिछड़ी जातियों के लिए स्कालरशिप के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है । वह भी किस के लिए ? जो फर्स्ट डिवीजन में पास हो उसके लिए। पहले तो पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल जाना ही मुश्किल होता है । अगर पहुंच भी गए तो तीसरा या दूसरा दर्जा ला पाते हैं । वह पहली श्रेणी में कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं । तो यह जीज पिछड़ी जातियों के लिए हो रही है ।

दूसरी चीज मैं और कहना चाहता हूं और उसका जवाब मैं मंत्राणी महोदया से चाहूंगा । एक पिछड़े वर्ग का आयोग बना था । उसने बहुत बड़ा परिश्रम करके सारे हिन्दुस्तान का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद एक तीन वाल्यूम की पुस्तिका तैयार की । वह वितरित भी की गई और शायद वह सदन के पटल पर भी रक्खी गई है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौनसी बजूहात थीं, क्या कारण थे कि जिस पर इतना पैसा बर्बाद किया, यह सब कुछ हुआ लेकिन उस पर आज तक लोक-सभा में बहस नहीं हुई । उस पर चर्चा तक नहीं की गई उसकी सिफारिशों को लागू करना तो दूर रहा । उसकी चर्चा भी नहीं हुई । आखिर राज्य विधान सभाओं में उसकी चर्चा क्यों नहीं कराई गई ? मैं मंत्रिणी महोदया से कहना चाहूंगा कि अब भी बहुत देर नहीं हुई है और अब भी समय है और अगर वह करना चाहें तो अब भी आगामी जाड़े के सेशन में उस पर बहस करा सकते हैं और पिछड़ी हुई जातियों की जो शोचनीय अवस्था

और दुर्दशा हो रही है उससे इस सदन् को अवगत करायें और उस पर विचार विमर्श करके उनकी स्थिति सुधारने के लिए भी कुछ किया जा सकता है ।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि यह शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स जातियों की सामाजिक स्थिति तब तक सम्भल नहीं सकती है जब तक कि जातिपांत का अन्त नहीं हो जाता और जब तक कि उनको चूंकि वह पिछड़ी हुई अवस्था में हैं उनको उन्नति करने का विषेश अवसर नहीं मिलता । आज हिन्दुस्तान के मन का मालिक ब्राह्मण है, पेट का बनिया और आज यह ब्राह्मण बनिया गठबंधन देश में चल रहा है, नेहरू बिड़ला गठबंधन चल रहा है और यह गठबंधन ही सब बुराइयों की जड़ है और याद रखिये जब तक यह नेहरू बिड़ला गठबंधन समाप्त नहीं होता तब तक हमारे देश से जातिवाद का अन्त नहीं होगा और तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती ।

†**श्री कुन्हन** (पालघाट रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय सदस्यों के इस कथन का समर्थन करता हूं कि सरकार अनुसूचित जातियों की कई समस्याओं को हल करने में सफल नहीं रही है । गृह उपमंत्री ने कहा है कि अनुभवी और विशेषज्ञता प्राप्त कर्मचारी न होने के कारण इस कार्य में उस गति से प्रगति नहीं हुई जिस गति से होनी चाहिये थी । हमने स्वतंत्रता के पश्चात् देश की स्थिति के सुधार के लिये दो योजनायें बना ली हैं । विशेषत: दूसरी योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार के लिये सरकार ने ९१ करोड़ रुपये की धन राशि रखी है । तथापि योजना के प्रथम तीन वर्षों में काम की प्रगति बहुत ढीली रही है । इसका कारण यह है कि यद्यपि सरकार का उद्देश्य शुभ है और उसमें सन्देह करने की कोई गुंजायश नहीं है, तथापि प्रशासन और सर्वेक्षण बहुत ढीला चल रहा है ।

उदाहरणार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक अवस्था का सुधार करने की व्यवस्था की गई है, परन्तु इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है । १९५१ की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या ७ करोड़ है, उन में से अधिकांश खेतीहर श्रमिक है । इस संबंध में उनकी कम से कम आय निश्चित करने के लिये एक विधान पारित किया गया था, तथापि अधिकांश राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया । केरल में उक्त आशय का एक विधान १९५७ में पारित हुआ था तथापि दुर्भाग्य से उसे अवैध ठहरा दिया गया ।

ग्राम स्तर पर गृह-उद्योगों के बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस के लिये सरकार ने ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, उस में से केवल ५० प्रतिशत राशि व्यय हुई है । इस संबंध में मैं आपका ध्यान वनियमकुलम् कारखाने की ओर दिलाना चाहता हूं । यह कारखाना १९५७ से खुल गया है तथा वहां के कर्मचारियों पर लगभग ४०० रु० प्रति माह व्यय किया गया है लेकिन उस में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री को ऐसे मामलों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

अब मैं गृह-निर्माण का प्रश्न लेता हूं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये ९६५ लाख रुपये की राशि निश्चित की गई थी । इस में से अब तक केवल ४ करोड़ की राशि ही व्यय की गई है । इसका कारण यह है कि उन्हें मकान के निर्माण के लिये सस्ती कीमत पर जमीन उपलब्ध नहीं है । अत: जब तक भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कुन्हन]

करने वाला विधान पारित नहीं किया जायेगा और अधिक जमीन न ली जायेगी यह योजना सफल नहीं हो सकती है अतः सरकार को इस दिशा में तत्काल काम करना चाहिये ।

अब मैं बेदखली के प्रश्न को लेता हूं । १९५७ से केरल में बेदखलियों पर सामान्य रोक लगा दी गई थी तथापि फिर भी लोग बेदखल किये जाते थे क्योंकि हरिजन लोग गरीबी के कारण न्यायालय में अपना बचाव करने में असमर्थ रहते हैं ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

अंत में मैं सरकारी नौकरियों में रक्षित स्थानों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं । यह कहा गया है कि उन स्थानों के लिये उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तथापि मैं मंत्री महोदय के सम्मुख एक मामला रखना चाहता हूं । १९५८ में जनपथ होटल में कैशियरों के कुछ स्थान रिक्त हुए, उस के लिए एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार केरल से भी आया । जब उस के पास कोई पत्र नहीं गया तो १९५९ के अंत में मेरे एक पत्र के उत्तर में मंत्रालय ने यह कहा कि वह व्यक्ति कोई विदेशी भाषा न जानने के कारण उस पद के अनुपयुक्त है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें ।

*†**श्री क० वी० पादलू** (गोलुगोंडा–रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं । तथापि एजेंसी के आन्तरिक भाग में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है । आंध्र प्रदेश की सिंचाई सुविधाओं को श्रीकाकुलम्, विशाखापटनम् और पूर्व गोदावरी जिलों के एजेंसी क्षेत्रों में प्रसारित नहीं किया गया है । इसी प्रकार विशाखापटनम् जिले का वितीय निगम जिसकी स्थापना आदिम जाति क्षेत्रों को सहायता देने के लिये की गई थी, वही इन लोगों का शोषण कर रहा है । इसी प्रकार मैदानी इलाकों के लोग, गरीब आदिम निवासियों से जमीनें छीनने के प्रयोजन से उन्हें कर्ज देते है, और जब वे कर्ज नहीं चुका सकते तो उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं ।

वस्तुतः आदिम जातियों की समृद्धि सड़कें बनाने, अस्पताल खोलने, व शिक्षालय इत्यादि की सुविधायें देने पर निर्भर करती है, सरकार को इन सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करना चाहिये । मैं विशेष रूप से यह अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चिन्तापल्ली खंड को बहुप्रयोजनीय परियोजना खंड में शामिल किया जाय ।

†**श्री बासप्पा** (तिपतूर) : मैंने श्री दातार के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है । उन्होंने ७ करोड़ अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई है । तथापि सरकार ने इस विषय में जो कार्य किया है वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

वास्तविक बात यह है कि सिफारिशों को जिस ढंग से क्रियान्वित किया गया है, वह बहुत अपर्याप्त है, इसीलिये इस विषय की गम्भीरता और तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि इस के विषय में सभा के बाहर भी चर्चा होनी अनिवार्य है । इसीलिये मेरा सुझाव है कि इन लोगों के कल्याण के लिये एक पृथक मंत्रालय की स्थापना करना आवश्यक है। श्री दातार ने यह कहा है कि वे योजना आयोग पर इस बात के लिये दबाव डालेंगे कि अनुसूचित जातियों को उचित भाग मिले । तथापि उनकी जिम्मेदारी यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, उनका कार्य यह है कि वह यह देखें कि राज्य सरकारें भी अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं कि नहीं ।

मैसूर ने इन लोगों की अवस्था के सुधार में बहुत काम किया है, तथापि अभी बहुत काम करना बाकी है । मेरे विचार से इन लोगों के लिये पृथक बस्तियां बनाना अनुचित है, सरकार को चाहिये कि वे मिली जुली बस्तियां बनायें ।

जहां तक गृह निर्माण का सवाल है, आवश्यकता इस बात की है कि इस काम के लिये सरकारी सहायता की राशि बढ़ायी जाय । अस्पृश्यता एक सामाजिक अभिशाप है, तथापि इस संबंध में भी निश्चित राशि व्यय नहीं की जा सकी इस से यह ज्ञात होता है कि सरकार इस कार्य को करने में गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है । श्री दातार ने कहा है कि इस कार्य में जनमत का सहयोग होना आवश्यक है, महात्मा गांधी, ठक्कर बप्पा और डा० अम्बेडकर ने इस दिशा में काफी काम किया है, लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण और वयस्क मताधिकार इत्यादि ने भी पिछड़ी जातियों मे कुछ जाग्रति पैदा की है, अतः यह आवश्यक है कि हम इस समस्या का महत्व समझ कर उस दिशा में कुछ कार्य करें ।

तीसरी योजना में इस काम के लिये १०० करोड़ रुपये रखे गये है । यद्यपि कुछ लोगों की राय से यह राशि पर्याप्त नहीं है तथापि इस राशि को व्यय करने के लिये भी हमें योजनाबद्ध रूप से काम करना चाहिये, जिस से इस राशि का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। अधिकांश यह होता है कि योजना के प्रथम वर्षों में राशि का अल्पांश ही व्यय किया जाता है जब कि पिछले वर्षों में धन को शीघ्र व्यय करने के प्रयत्न किये जाते हैं ।

पिछड़े वर्गों से संबंधित कुछ आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं, बिना उन के हम वास्तविक स्थिति नहीं जान सकते हैं, अतः नवीनतम आंकड़ों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । सरकारी नौकरियों में रक्षित स्थानों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को रखने का आश्वासन दिया गया है, मेरा सुझाव है कि समस्त सरकारी विभागों में पुनः इस आशय के परिपत्र भेजे जांय कि रक्षित स्थानों में केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही रखा जाय । इस संबंध में यह कहना गलत है कि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं । रेलवे ने इस संबंध में कुछ काम किया है, और उसे उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हुए हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी सरकारी विभागों पर यह दबाव डाला जाय कि वह इन परिपत्रों के अनुसार काम करें ।

छात्रवृत्तियां दिये जाने में अभी भी विलम्ब हो रहा है। यह काम अब राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारों का यह कहना है कि उन के पास अतिरिक्त कर्मचारी रखने को पर्याप्त राशि नहीं है अतः इस काम में विलम्ब हो रहा है, अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये

[श्री बासप्पा]

भी कुछ राशि निश्चित करे, साथ ही मेरा सुझाव यह है कि और अधिक छात्रों को छात्रवृत्तियों का लाभ देने के लिये यह आवश्यक है कि प्रति छात्रवृत्ति की राशि को आधा कर दिया जाय, इसका यह परिणाम होगा कि अधिक व्यक्ति इस से लाभ उठा सकेंगे ।

अब मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह है पिछड़ी जातियों को निश्चित करने का मानदंड । संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यह निर्णय लोगों के की आर्थिक और सामाजिक दशा को देख कर किया जाना चाहिये । इस संबंध में काफी नियम विरोधी बातें हो रही हैं, क्योंकि यदि एक जाति केन्द्र की सूचि के अनुसार पिछड़े वर्गों में शामिल है तो वही जाति राज्य सूची के अनुसार पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत नहीं आती है । यदि एक राज्य में एक जाति को पिछड़े वर्गों के अधीन रखा गया है तो दूसरे राज्य में वह पिछड़े वर्ग के अधीन नहीं आती है । यह असंगति तत्काल दूर करनी चाहिये । इस असंगति के कारण पर्याप्त असंतोष फैला हुआ है । इस संबंध में गृह मंत्रालय का दायित्व काफी गम्भीर है, क्योंकि उस ने इसी मापदंड को संघ क्षेत्र में लागू करना है । मेरे विचार से केवल अशिक्षा को इस बात का आधार बनाना उचित नहीं है, न हमें सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को ही इस निर्णय का आधार बनाना चाहिये क्योंकि सामाजिक रूप से आगे बढ़े हुए व्यक्ति भी आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, अतः हमें आर्थिक अवस्था को ही पिछड़े वर्गों को निश्चित करते का आधार मानना चाहिये ।

†**श्री हेडा :** श्री रा० च० माझी ने आंध्र प्रदेश आदिवासी समाज के संबंध में कुछ बातें कही थीं । पहिली यह है कि इस संगठन को बहुत बड़ी राशि दी गई है, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि इन के पास क्या योजनायें हैं । दूसरे यह कहा गया था कि उक्त रकम का हिसाब किताब सही ढंग से नहीं रखा जा रहा है । उस संस्था का अध्यक्ष होने के नाते मैं उक्त आरोपों का उत्तर देना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

इस संगठन को पहली बार एक लाख रुपया और दूसरी बार १,२१,००० रु० का अनुदान दिया गया, इस में से कुछ राशियां कट जाने के पश्चात् जो राशि विशुद्ध रूप से उपलब्ध की गई है वह केवल ९१,००० रु० थी । उक्त राशि में से पिछले वर्ष तक हमारे पास बकाया राशि केवल ५२,०२१ रु० थी । हमारी यह इच्छा थी कि इस में से एक एक पाई का उचित उपयोग किया जाय, इस कारण हमने धैर्य रखना अधिक आवश्यक समझा, क्योंकि आदिवासियों के क्षेत्र में, जो पहाड़ी और बिहड़ इलाके होते हैं, उस गति से काम नहीं हो सकता है जिस गति से मैदानी भागों में काम करना संभव होता है । यह कहना कि हमें योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है गलत है, क्योंकि आदिम जाति सेवक संघ ने यह तरीका अपनाया है कि स्वीकृति के पूर्व ही योजनायें बना ली जाती हैं और जब योजनायें राज्य सरकार की सिफारिश से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं, तब हमें रुपया स्वीकृत होता है, अतः उक्त आरोप निराधार है, वस्तुतः हमारी सभी योजनायें सरकार द्वारा स्वीकृत हैं । जहां तक व्यय के हिसाब किताब का संबंध है उन्हें आधुनिकतम तरीके से रखा जाता है । इनका परीक्षण न केवल महा लेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है अपितु हमारे संगठन के लेखा परीक्षकों के द्वारा भी किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वेच्छा संस्थाओं के संबंध में, मैं आयुक्त का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में इन संस्थाओं के संबंध में प्रतिवेदन में पृथक निर्देश किया जाय प्रतिवेदन में उन के काम, उनको दिये गये अनुदान उनका अंशदान तथा उनके द्वारा किये गये व्यय का पृथक से निर्देश किया जाय । उन के लेखाओं के बारे में भी पृथक से निर्देश रहना चाहिये । आंध्र प्रदेश की विधान सभा में इसी प्रकार की आलोचना हुई थी । मेरा आयुक्त महोदय से यह निवेदन है कि वे इन आलोचनाओं पर गौर करें, इनकी जांच करें और उस पर अपना व्यक्तिगत निर्णय दें, यह निर्णय आगामी प्रतिवेदन में लिखा जाना चाहिये, जिस से कि जनता इन संगठनों की सही स्थिति के बारे में जान सके । इस से यदि सच्चे संगठनों को प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी ओर झूठे संगठनों का जनता के समक्ष पर्दा-फाश हो सकेगा और उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिल सकेगी ।

श्री साधू राम (जालंधर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, आज इस सदन के सामने शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और उसके मुताल्लिक यह बात जाहिर है कि यह बहुत लम्बी चौड़ी रिपोर्ट है और उस में हरिजनों की असली हालत को पेश किया गया है । मैं यह बात मानता हूं कि आजादी आ जाने के बाद गृह मंत्रालय ने हरिजनों के विषय में या शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में बहुत कुछ काम किये हैं । मैं उन के लिये तो उस को धन्यवाद देता हूं । मैं यह देखता हूं कि अभी तक शेडयूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स की देश भर में जो हालत है वह बड़ी खराब है क्योंकि जो असली मदद उनको हासिल होनी चाहिये वह हासिल नहीं है। अगर हिन्दुस्तान में देखा जाय या संसद् को जरा ध्यान से देखा जाय तो देश भर में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को छोड़ कर बैकवर्ड क्लासेज की जो गिनती है वह चौथाई के लगभग हो जाती है। अगर उसको चौथाई या पांचवां हिस्सा मान कर भी चला जाय तो जितना रुपया फर्स्ट फाइव इयर प्लैन में सैकेंड फाइव इयर प्लैन में या थर्ड फाइव इयर प्लन में रखा गया है, उसका चौथाई या पांचवां हिस्सा इस पापुलेशन के हिसाब से उन पर खर्च करना चाहिये था । अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो समाजवाद का नारा लगाते हैं, हम चाहते हैं कि सब को बराबर लाया जाये, देश से छुत छात को खत्म करना चाहते हैं, वह कैसे होगा ? यह हो सकता है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, नीचे गिरे हुए लोग हैं, जो हजारों सैकड़ों सालों से इतने पीछे रक्खे गये हैं, एक्तसादी लिहाज से पीछे रखे गये हैं और हर तरह से कमजोर और गिरे हुए लोग हैं उन पर ज्यादा रुपया खर्च किया जाय और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हें जरा नीचे किया जाय तो देश में समाजवाद आने की संभावना हो। लेकिन अगर वह नहीं किया जाता तो देश में समाजवाद आने का खयाल फुजूल सा मालूम होता है । शेड्यूल्ड कास्टस कमिश्नर की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है, उस रिपोर्ट में जमीन के बारे में, स्कालर्शिप्स के बारे में, काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, और उनकी तकलीफों के बारे में सारा नक्शा पेश किया गया है । लेकिन इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उतना धन दे नहीं रही है जितना उनको देना चाहिये । इसका मतलब यह हो जाता है कि वह समाजवाद का नारा हमसे बहुत दूर रह जाता है और समाजवाद आने की कोई सम्भावना दिखलाई नहीं देती है । जो स्कालर्शिप्स दिये जाते हैं उनके लिये हर एक मेम्बर ने कहा है कि वे वक्त पर नहीं दिये जाते । जो भी स्कालर्शिप्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़कों को दिये जाते हैं वे पूरी तौर से नहीं मिलते हैं । इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो उसे इस रकम को ज्यादा करना चाहिये ताकि उनको वह स्कालर्शिप्स पूरी तौर पर मिल सकें और व अपनी तालीम को जारी रख सकें । अगर वह अपनी तालीम को जारी रखेंगे तो वे देश में दूसरे लोगों के बराबर आ सकते हैं, वर्ना किसी सूरत में वे उन के बराबर नहीं आ सकते ।

[श्री साधूराम]

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में अनाज की कमी है। ग्रो मोर फूड स्कीम पर गवर्नमेंट जोर देती है लेकिन पैदावार बढ़ाने के जो साधन हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आखिर वे साधन क्या हैं? वे साधन यह हैं कि जो लोग जमीन चाहते हैं, जो लोग जमीनों पर काश्त करना चाहते हैं, जो हल चलाना चाहते हैं उनको जमीनें दी जानी चाहियें, दूसरी सहूलियात दी जानी चाहियें। वे दी नहीं जाती हैं। जमीन तकसीम नहीं हो रही है। कई स्टेटों ने लैंड रिफार्म और लैंड सीलिंग्स के कानून पास किये हैं, लेकिन उनका इम्प्लिमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। पंजाब में हम देख रहे हैं कि वहां पर चार पांच किस्म की जमीन है, जो बिल्कुल काश्त करने वालों को नहीं दी जाती। रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की अनअलाटेड जमीन पंजाब में मिलती है। उसके लिये भी हरिजन वेलफेअर ऐडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में रखा गया, पंजाब गवर्नमेंट को लिखा गया कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग के नारे को पूरा करने के लिये हरिजनों की कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर उनमें जमीन को तकसीम कर दे। ताकि मुल्क की पैदावार बढ़े और उनका जो अनएम्पलायमेंट है वह भी घटे। देश की पैदावार ज्यादा हो तो लोग भूखे न मरें। आज खाने वाली चीजों का जो भाव है उस पर विचार किया जाए तो हैरानी होगी कि हमारे देश में गरीबों की और मजदूरों की क्या हालत है। आज अनाज की कीमत कितनी ज्यादा है। वह गरीब जिनके पास कोई काम नहीं है और जिनके लिये गवर्नमेंट कोई काम मुहय्या नहीं कर सकी है वह किस तरह से पेट भर कर रोटी खा सकते हैं। उनके रहने के लिये अच्छे मकान नहीं हैं। उनके पहनने के लिये उनके पास कपड़ा नहीं है। उनकी यह हालत देखते हुये भी अगर गवर्नमेंट उनके लिये ज्यादा रुपया नहीं रखती तो इसका मतलब यह होगा कि हमारा समाजवाद का नारा झूठा साबित हो जाएगा।

मैं समझता हूं कि जमीन की तकसीम होनी चाहिए। जमीन में काश्त करने के लिए पंजाब के हरिजन और सारे देश के हरिजन और आदिवासी मांग करते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स तकसीम का कोई नाम ही नहीं लेतीं।

रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की जमीन के अलावा अगर पंजाब में सीलिंग का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए जो लगायी गई है, तो भी कुछ जमीन निकल सकती है। वह भी कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा पूरा करने के लिए हरिजनों को दी सकती है।

इसके अलावा वेस्ट लैंड है, जिस पर कोई काश्त नहीं होती है, वह जमीन भी तकसीम हो सकती है।

इसके अलावा गवर्नमेंट के पास वह जमीन है जो जंगलात के मुहकमे में दे रखी है। मैं चाहता हूं कि जंगलात का मुहकमा होना चाहिए क्योंकि वह गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन मैंने पंजाब में देखा है कि जो जंगलात का मुहकमा बना है उस पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन वह एक दरख्त भी नहीं लगाता। अगर वह जमीन हरिजनों को कोआपरेटिव सोसाइटियां बना कर दे दी जाए और उसके साथ यह कंडीशन लगा दी जाए कि वह इतने दरख्त एक साल में लगायेंगे तो दोनों मकसद पूरे हो सकते हैं। लेकिन वह जमीन भी फालतू पड़ी है। उसमें बहुत पैदावार हो सकती है।

एक तरफ तो देश में यह हालत है कि गरीबों और मजदूरों के लिये खाने को अनाज नहीं मिलता, दूसरे देशों से हमको अनाज मंगाना पड़ता है, और दूसरी तरफ जमीन देने का कोई नाम नहीं

लेता। तो पैदावार कैसे बढ़ सकती है। तो मैं अर्ज करता हूं कि वह जमीन जल्दी से जल्दी तकसीम होनी चाहिए और वह हरिजनों को कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दी जानी चाहिये।

शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी पंजाब में ३५ लाख है। उन लोगों से हम जाकर कोई बात करते हैं या उनसे कुछ कहते हैं, तो वह हमसे सवाल करते हैं कि आजाद हुए हमको १३ साल हो गए हमारी हालत अच्छी नहीं हुई जिस पर कि हम मुतमय्यन हो सकें। क्या किसी आजाद देश का बाशिन्दा यह बरदाश्त कर सकता है कि आजाद होने के १३ साल बाद भी उसकी हालत में सुधार न हो। इसलिये मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में सुफहा ७४ पर यह सिफारिश की है कि वह जमीनें गवर्नमेंट को हरिजनों के लिये दे देनी चाहिए। लेकिन जमीन तो दी नहीं जाती बल्कि जो जमीन का पंजाब में कंसालीडेशन हो रहा है उसमें भी हरिजनों के घर बनाने के लिए या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के घर बनाने के लिए जमीन नहीं छोड़ी जाती। जब कंसालीडेशन होता है तो वह दरख्वास्तें देते हैं और उन दरख्वास्तों का जवाब नहीं मिलता। जब हम बात करते हैं तो वह कहते हैं कि कोई कानून नहीं है। अगर गवर्नमेंट कानून नहीं बनायेगी तो क्या खुदा कानून बनाने आयेगा। मैं समझता हूं कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायत होनी चाहिए। अगर इन लोगों को बसने के लिए मकान की जगह नहीं मिल सकती तो उनको आजादी से और क्या फायदा पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं कि इन बातों पर ध्यान देने की अवश्य जरूरत है।

अब पंजाब में मर्दुम शुमारी होने वाली है। आजकल पंजाब में एक झगड़ा चल रहा है पंजाबी सूबे के लिए। मैं देखता हूं कि जब भी मुसीबत आती है तो वह गरीब हरिजनों पर ही आती है। मैंने पिछली मर्दुमशुमारी में देखा कि हिन्दू जाते थे तो हरिजनों से कहते थे कि तुम अपनी भाषा हिन्दी लिखाओ, और सिख जाते थे तो उनसे कहते थे कि तुम पंजाबी लिखाओ। वह लोग इस कनफ्यूजन में आ गए और किसी ने कुछ लिखाया और किसी ने कुछ लिखाया। इसकी वजह से उनका सोशल बाइकाट हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया और उनकी हालत बहुत बुरी की गयी। गवर्नमेंट की तरफ से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि अब फिर हरिजनों के सिर पर यह मुसीबत आने वाली है। वहां अब पंजाबी सूबे का आन्दोलन चल रहा है। और हरिजन लोग डर रहे हैं कि कहीं पंजाबी सूबा न बन जाये और पंजाब का डिवीजन कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो उसमें उन गरीबों पर ही मुसीबत आएगी। गवर्नमेंट को इस तरफ ज्यादा गौर करने की जरूरत है और इस देश में गरीबों के लिए समाजवाद का नारा पूरा करने के लिए उसे तीसरी प्लान में ज्यादा रकम रखनी चाहिए। दूसरी प्लान में जो रुपया रखा गया वह ९१ करोड़ था, लेकिन उसमें से आखिर तक कितना खर्च होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पहली योजना में हरिजनों के लिये ३९ करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें से २६ करोड़ खर्च किया गया और बाकी १३ करोड़ लैप्स हो गया। फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे सुधार करें, और पैसा कहां से लायें। तो मैं अर्ज करता हूं कि अगर इन बातों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा तो हरिजनों और आदिवासियों की हालत बेहतर की जा सकती है। अगर इसको साधारण चीज समझ कर शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर एक साल बाद यहां बहस कर ली जाए और गवर्नमेंट किसी बात पर ध्यान न दे तो इससे सुधार होने वाला नहीं है।

[श्री साधूराम]

गवर्नमेंट को इन बातों पर ध्यान देकर गरीबों की हालत को अच्छा करना चाहिए और खास कर पंजाब में जो बीमारी पैदा होने वाली है उस मुसीबत से हरिजनों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को अभी से कोई न कोई इक्तदाम शुरू करना चाहिए ।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : श्रीमान् जी, मैं तो बहुत थोड़े से शब्द कहूंगा । मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने इस सदन में आज भी ऐसी बातें सुनीं जो दूसरे के दिल को दुखा सकती हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे विचार हैं जो बाहर से यहां आए हैं और हमारे मस्तिष्कों में घुस गये हैं और हम उन विचारों के कारण ऐसी बातें करते रहते हैं जिनसे एक दूसरे से लड़ाई पैदा होती है । हमारे यहां कम्युनिज्म का विचार आया है । और वह हमारे मस्तिष्कों में घुस गया है ।

मैं मानता हूं कि मजदूरों और किसानों की हालत गिरी हुई है और उनको हमें उठाना चाहिए । मगर मैं यह कहूंगा कि यह काम लड़ाई के तरीके से नहीं होना चाहिए । ऐसा न कहिये कि हमारा वर्ग और है और तुम्हारा वर्ग और है और इसलिये हमारी तुम्हारी लड़ाई है । यदि हमारे घरों में औरतें इकट्ठी हो जायें और वे अपने मालिकों से लड़ने लगें तो यह तो उचित बात न होगी । घर में भी लड़ाई और बाहर भी लड़ाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सदन में तो कम से कम ऐसी नौबत न आए और मैं प्रधान मंत्री महोदय से लेकर नीचे तक हर एक अपने भाई से यही कहूंगा कि बराये मेहरबानी नाराज होकर मत बोलिये । यह सीधी सादी बात है । साफ साफ कहिये । आप कहिये हम सुनें और हम जो कहें उसे आप शान्ति से सुनिये । हम सब भाई भाई हैं और सब इस देश का भला करना चाहते हैं ।

अब मसलन आप यह कहेंगे कि ब्राह्मण ने यह किया और बनिये ने वह किया । मुझे १४ वर्ष हिन्दुस्तान में आये हो गये और मैंने बहुत दफे यह बात सुनी हैं । मेरे पास एक भाई आये और उन्होंने कहा कि अगर आप ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े हो जायं तो आप हमसे १०००० वालियंटर (स्वयंसेवक) ले लें । मैंने उनको कह दिया कि भाई मुझे माफ करो । मुझे आपके १०००० वालियंटर नहीं चाहिये । मुझे तो सबको सबके लाभ में लगा कर सब लोगों को सुखी बनाना है और लड़ने वाले विचारों से मुझे लड़ना है.....

श्री रामसेवक यादव : आपकी अजगर सभा क्या है ? What about your Ajgar Sabha?

श्री बाल्मीकी : वह मर चुकी है ।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह : अजगर सभा मरी तो है नहीं । मैं आपको बतलाऊं कि ब्राह्मण सभा ने क्या किया । यह जो जातियां निकलीं यह उसी तरह उसी प्रकार बनीं जैसे कि हमारे अंग्रेज भाइयों ने कुत्तों की नसल निकाली घोड़ों की नसल निकाली कि यह घोड़ा कैसा है यह दौड़ने वाला घोड़ा है और यह घोड़ा कैसा है यह गाड़ी में चलने वाला है । यह कुत्ता कैसा है, यह शिकारी कुत्ता है और यह कुत्ता कैसा है यह घर में रहने वाला है और दरवाजे पर बैठ कर घर की हिफाजत करने वाला है । इसी आधार पर ब्राह्मण ने यह जातियां निकालीं । अब ब्राह्मण कौन पोथी वाला और राजपूत कौन लड़ने वाला, मारशिएल रेस, बनिया कौन पैसा कमाने वाला तो इस तरह से यह नसल निकलीं । इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है....

एक माननीय सदस्य : शूद्र का क्या रहा ?

श्री बाल्मीकी : उसको सबके बाद में रखेंगे ।

राजा महेन्द्र प्रताप : आप इसको समझिये । अगर आप एक मकान बनायेंगे तो कुछ ईंटों को आप जड़ में बुनियाद में रक्खेंगे, कुछ को उनके ऊपर रक्खेंगे और कुछ ईंटों को और ऊपर रक्खेंगे लेकिन अगर अब वह जड़ वाली बुनियाद वाली ईंटें यह कहें कि हम तो यहां नहीं रहते यहां अंधेरा है, यहां तो पानी है और नमी है और अगर वह ईंटें भागने लग जायं तो वह आपका तमाम मकान गिर जायेगा । मेरे यह कहने का मकसद यह है कि आप यह बातें समझें । अब कुछ लोग ज्यादा अकलबन्द होते हैं तो उसके लिये हम क्या करें । अब यह कश्मीर वाले जरा खूबसूरत होते हैं तो क्या किया जाये । मेरे कहने का मतलब यह है .....

श्री साधू राम : कहने का मतलब यह है कि हम नीचे रहें ।

राजा महेन्द्र प्रताप : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कुदरत का कानून है वह हमें समझ लेना चाहिये । आप छोटे रोड़ों और बड़े रोड़ों को और रेत से एक घड़े में एक साथ डाल दीजिये और खूब उनको घड़े में मिला दीजिये । आप देखेंगे कि बड़े रोड़े ऊपर आजायेंगे और छोटे रोड़े उनके नीचे रह जायेंगे रेत सबसे नीचे चला जायेगा । अब यह कुदरत का कानून है इसका क्या कीजियेगा ।

मैं वहां सोवियत रूस में गया था । वहां मैं उनका मेहमान रहा और उन्होंने जिस तरह से मेरी खातिर तबाजो की और खाना वगैरह खिलाया उसके लिये मैं उनका मशकूर हूं और मैं इसके लिये उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर प्रोलीटीरयट की हकूमत है यह सुना था लेकिन मैंने देखा कि वहां की हकूमत में जो पढ़े लिखे और अकलमन्द लोग थे वे ही ऊपर थे और यह बात तो कहनी पड़ेगी कि अकलमन्द और पढ़े लिखे लोग ही रूस में हकूमत में ऊपर हैं । लेकिन मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि जो नीचे और गिरे हुये लोग हैं उनको तालीम दी जाय और खूब पढ़ाया जाय । जाहिर है कि अगर कोई भंगी का लड़का अथवा लड़की खूबसूरत होगी तो उसकी लोग कद्र करेंगे ही और लोग उनको पसन्द करेंगे ही । मनुष्य में पांच गुण होते हैं, सुन्दरता बल, बुद्धि, सदाचार और ज्ञान । हम ज्ञान की इज्जत करते हैं । अगर श्रीकृष्ण को हम मानते हैं तो इस कारण कि उनमें ज्ञान था । मुहम्मद साहब को मानते हैं तो इसलिये मानते हैं कि उनमें ज्ञान था और गुरू साहबों को मानते हैं तो इसलिये मानते हैं कि उनमें ज्ञान था ।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रतिवेदन के संबंध में एक बात कही है कि जब अगले प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख दिया जायगा तो माननीय सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त से मिलना चाहिये और जो शिकायतें उनकी हों उनके बारे में उससे बातचीत कर लेनी चाहिये ताकि यहां वाद विवाद अनियमित प्रकार का न हो जाय । यह तो स्वाभाविक ही है कि हर व्यक्ति अपने ही अनुभवों की बात कहता है और उन्हीं क्षेत्रों की चर्चा करता है जिनके बारे में उसे ज्ञान होता है । इसके बावजूद भी मेरा विचार है कि हमें अध्यक्ष महोदय का सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये । मैं यह भी कहूंगी कि जो समिति बने उसमें सभा के सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो । यह काम केवल उन्ही सदस्यों का नहीं है जो कुछ विशेष श्रेणियों से संबंधित हैं बल्कि यह सब का सांझा काम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती आल्वा]

यद्यपि वाद-विवाद एक सा नहीं चला तथापि हमारे सामने एक चीज स्पष्ट हुई है। हम आये वर्ष कुछ आशायें बांध कर आगे बढ़ते हैं। माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हार्दिक विचार प्रकट किये हैं और मैं उनकी भावना की सराहना करती हूं।

इस युग की मांग यह है कि पिछड़े हुये लोगों में भी यह भावना उत्पन्न होनी चाहिये कि उनमें जागृति कैसे उत्पन्न हो सकती है। समाज में उन्हीं लोगों की कद्र होती है जो सुयोग्य अवसर प्राप्त करते हैं। जो लोग सम्मानित हैं उन्हें पिछड़े हुये लोगों की सहायता करनी चाहिये। हम उन लोगों को, जो शताब्दियों से पिछड़े हुये हैं जितना ऊपर उठा सकेंगे उतनी ही हमारी वास्तविक प्रगति होगी।

यदि उस सपने की पूर्ति के लिये जिसे बापू ने देखा या जिसे ठाकुर बप्पा ने देखा, रुपये तथा कानून की आवश्यकता हो, तो उसकी कमी हमारे यहां नहीं है। परन्तु यहां तो उन चीजों का अभाव है जिन्हें देखा नहीं जा सकता केवल अनुभव किया जा सकता है। पिछड़े हुये वर्गों के उत्थान के लिये आज जितना रुपया हमारे देश में खर्च किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आप पहली और दूसरी योजना के कार्यक्रमों में इस प्रयोजन के लिये निर्धारित राशियों को देख सकते हैं। तीसरी योजना में भी इस उद्देश्य के लिये काफी रुपये की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु हमारा जोर धन पर नहीं है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि रुपये का प्रयोग जिस प्रकार से होना चाहिये उस प्रकार से नहीं हो रहा है। यह ठीक है परन्तु कमजोरी कहां है? कमजोरी तो मानवीय स्वभाव की है न? इसलिये न तो यह उद्देश्य रुपये से और न ही कानून से पूरा हो सकता है। इसलिये इस प्रयोजन के लिये हमें दुगना परिश्रम करना होगा। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि शताब्दियों के संस्कार धीरे धीरे मिटते हैं तथा परम्परागत अंध विश्वास भी बहुत समय में हटते हैं।

जैसा कि आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है ठीक है कि अभी तक अस्पृश्यता विद्यमान है तथा आदिम जातियों को भी दुख उठाने पड़ते हैं। किन्तु इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय भावना का आविर्भाव हो रहा है। आज वास्तव में दुनिया में ही मानवता का विचार पैदा होता जा रहा है। आज संसार भर में ही निर्धन तथा पीछे रहे लोग धनवानों या उन्नत लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और भारत में तो ये लोग शताब्दियों से पिछड़े हैं। इस बुराई को समाप्त करने का काम हमारा तुम्हारा काम है। आखिर यह समस्या मनुष्यमात्र के प्रयत्न से ही हल होगी।

पिछड़ी श्रेणियों के विकास के लिये संविधान में विशेष उपबन्धों की व्यवस्था की गयी है। हमें संविधान के वास्तविक उद्देश्य को ग्रहण करना चाहिये न कि उसके शब्दों को। हमें सामाजिक स्तर तथा शिक्षण आदि का व्यापक अर्थ समझना चाहिये। हमारे गृह-मंत्री हर समय इसी बात पर ध्यान लगाये रहते हैं और उन्हें जहां से भी किसी प्रकार का सुझाव मिलता है वे तुरन्त उस पर अमल करने का यत्न करते हैं। हम एक ही प्रकार के नियमों से काम नहीं करते। जब बाधायें या रुकावटें उपस्थित हो जाती हैं तो हम और दूसरे तरीके भी अपना लेते हैं। हम अपनी गलतियों से भी शिक्षा लेते हैं।

इन वाद-विवादों से हमें पर्याप्त लाभ होता है। वे सब बातें जो हम नहीं कर पाये हमारे सामने आ जाती हैं। परन्तु इस प्रकार हमें यह बात कदापि न भूलनी चाहिये कि हम कुछ कर भी चुके हैं। हमें इस प्रकार के वाद-विवादों में कटुता लाने का यत्न नहीं करना चाहिये। यह सच है कि पिछड़े वर्ग बहुत ही थोड़े समय में उन लोगों के बराबर आ जाना चाहते हैं जो उन्नत हैं। यह तो

ठीक है पर यह संभव कैसे हो। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि हमें भूमिहीन लोगों को भूमि तथा बेकारों को रोजगार और अशिक्षितों को शिक्षा देनी चाहिये। ये बातें हम भी जानते हैं परन्तु मानवीय शक्ति सीमित होती है।

भारत के दूरस्थ प्रदेशों में जो कुछ हो रहा है उसके लिये आप केन्द्र को दोष नहीं दे सकते। आखिर राज्यों में भी तो विधान सभायें हैं और वहां सदस्य भी हैं। यह काम समाज सेवकों से भी सम्बद्ध है। उन्हें चाहिये कि वे जनता में जागृति पैदा करने का पूरा यत्न करें।

अब तक इस प्रतिवेदन पर केवल तीन राज्यों की विधान-सभाओं ने विचार किया है परन्तु मैं कहूंगी कि इस पर सभी विधान-सभाओं को विचार करना चाहिये। आसाम, बम्बई तथा आंध्र प्रदेश ने ही अभी तक इन पर विचार किया है। अन्य राज्यों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वे इस रिपोर्ट पर चर्चा करें। जो योजनायें बनी हैं, उनका आधार व्यापक है तथा वे अच्छे सिद्धांतों पर टिकी हुई हैं। दूसरी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये ६१ करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे परन्तु पहले तीन वर्षों का काम इतना अच्छा नहीं रहा। अब स्थिति सुधर रही है। वस्तुतः अकेले व्यय से भी कुछ नहीं होता। हम व्यय की बात ही करते रह जाते हैं किन्तु हमें योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात कहनी चाहिये। आखिर हम में से हर आदमी किसी न किसी गांव का ही तो निवासी है। हम सब अपने अपने गांव जाते हैं। यदि हम सब अपने अपने गांव की हालत सुधारने का ही यत्न करें तो उस सीमा तक हम सारे राष्ट्र का काफी फायदा कर देंगे। इससे अन्य लोगों में भी जागृति पैदा होगी और काफी हद तक योजना भी कार्यान्वित हो जायेगी।

माननीय सदस्यों का कहना है कि राज्य सरकारें इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को अमल में लाने में सहयोग नहीं देतीं। आयुक्त अपना काम बड़े जिम्मेदारी के ढंग से पूरा करता है। वह सारे देश में घूमकर, सारी स्थिति का मूल्यांकन करता है और तभी हमें देश के विभिन्न भागों की जानकारी मिलती है।

आदिम जाति खंडों की बात भी कही गयी। यह कहा गया कि इन खंडों में आदिम जाति तत्व का अभाव है। किन्तु अब हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्विन रिपोर्ट अब हमारे पास पहुंच चुकी है इस कारण हम उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं वे भविष्य में न होने पावें।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि पिछड़े वर्गों के विकास की देख रेख करने के लिए केन्द्र में एक अलग मंत्री होना चाहिए। परन्तु यह बात हमारी समझ में नहीं आती। क्या जादू के डंडे से ही यह समस्या हल हो जाएगी। आखिर गृह मंत्री यहां पर इस मामले को देखते हैं और फिर हमने एक आयुक्त भी लगा रखा है जिसके नीचे काम करने वाले और अधिकारी भी तो हैं। यह तो कोई नहीं कह सकता कि यदि कहीं किसी पिछड़े व्यक्ति से अन्याय हो तो हम उसकी बात नहीं सुनते। गृह मंत्री तो इस बात पर भी सोचते रहते हैं कि केन्द्र तथा राज्यों की एतद्सम्बन्धी कार्यवाही को समन्वित करने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री बाल्मीकी ने कहा है कि हमारे यहां कार्यों का अनुसरण करने वाली कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हमने पहले से इस बात पर विचार किया है और मैं उन्हें बताऊंगी कि किस प्रकार की व्यवस्था से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। गृह मंत्री भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि योजनाओं की कार्यान्विति अधिक अच्छे ढंग से होनी चाहिए। आखिर तब भी केन्द्र तो राज्यों का मार्गदर्शन

[श्रीमती आल्वा]

ही करेगा तथा अधिक से अधिक वह कार्यक्रमों में एकरूपता स्थापित करा देगा। किन्तु एकरूपता को भी कठोरता से नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि स्थान स्थान पर विभिन्नताएं जो हैं।

श्री उईके ने आदिम जातियों के शोषण की बात कही। मैं उनसे सहमत हूं। हम उनके सुझावों पर पूर्ण रूप से विचार करेंगे आदिम जातियों के लोग सीधे सादे होते हैं और निस्संदेह उनका शोषण किया जाता है। किन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है उन्हें भी अपनी हालत सुधारने के लिए जागरूकता से काम लेना चाहिए। भारत के सौभाग्यवान वर्गों को इनकी सहायता करनी चाहिए। सहयोग तथा समन्वय से ही हम उन्नति कर सकते हैं।

मैं पहले ही कह चुकी हूं कि रूढ़िवादिता का अन्त बड़ी देर में होता है। रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। हमें विश्व का इतिहास देखना चाहिए। प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के नेतृत्व में हम इस रूढ़िवादिता को समाप्त कर ही देंगे। किन्तु इस उद्देश्य में सभी का सहयोग हमें प्राप्त होना चाहिए।

भूमि तथा मकानों आदि के बारे में भी कहा गया। हम भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं और कल्याणकारी राज्य में परिवार का बड़ा महत्व होता है। इस दृष्टि से कुछ विशेष वर्गों को ऊपर उठाने का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं चूंकि खुद स्त्री हूं इसलिए मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम यह लगता है कि पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित लोगों की लड़कियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। स्त्री ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना करा सकेगी। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की लड़कियों की शिक्षा बहुत आवश्यक है।

लड़कियों को शिक्षा देना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी से परिवार की स्थिति सुधरती है। इस कारण लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा भी आवश्यक है। परन्तु इसकी मांग होनी चाहिए। प्रश्न उत्पन्न होता है कि मांग उत्पन्न कैसे हो? इसके लिए उचित योजना बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने काफी अच्छा काम किया है परन्तु काम की गति और बढ़नी चाहिए। अब यह बुराई धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हम भविष्य में पहले से कहीं अधिक प्रगति करने की आशा रखते हैं।

श्री कृष्ण ने शायद यह कहा था कि हमें उन राज्यों को अनुदान नहीं देने चाहिएं जो इस प्रयोजन के लिए काफी रकम पहले से ही निश्चित न करायें। हम ऐसी शर्त नहीं रख सकते। यह बड़ा कठिन काम है। किन्तु जब हमें पता चलता है कि अमुक राज्य उपयुक्त कार्यवाही नहीं कर रहा तो हम उसे वैसा करने को कहते हैं। आखिर राज्यों के सामने भी तो समस्यायें हैं। जब भी हमने उनसे प्रार्थना की है तभी उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है। इसी कारण योजना की कार्यान्विति होती जा रही है और उसी के साथ असन्तोष भी बढ़ता जा रहा है।

तीसरी योजना के व्यापक सिद्धान्तों की सूचना राज्यों को दे दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि मंत्रालय के कार्यकारी दल कार्य के समन्वय के लिये शीघ्र ही काम शुरू कर देंगे। आखिर सभी के सहयोग से हमारा काम पूरा होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा रचनात्मक योजनाएं आरम्भ करने का सुझाव दिया गया परन्तु केन्द्र कितनी योजनायें शुरू कर सकता है। अन्ततोगत्वा यह काम राज्य सरकार को, अर्थात् स्थानीय निकायों ही को पूरा करना होगा।

खैर, मैं सभा को यह भी बताना चाहती हूं कि भूमि की उपज के विकास तथा बदलती खेती का काम केन्द्र देख रहा है और दूसरे स्थानों पर जाने वाले कृषकों को बसाने की पूरी कोशिश की जाती है। सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जा रहा है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋणदाता समितियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यों में मंत्रीगण विशेष रूप से इन वर्गों के कल्याण का काम देखते हैं।

प्रश्न उत्पन्न होता है कि पिछड़ापन क्या चीज़ है? इसके बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। नमूने का सर्वेक्षण किया गया था और उसी के आधार पर सभा-पटल पर एक ज्ञापन रख दिया गया है जिसमें इसके कारणों की व्याख्या की गयी है।

कुछ लोगों की राय है कि पिछड़े हुए लोगों में कुछ वर्णों के ही लोगों को गिना जाय परन्तु दूसरों का कहना है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर इसका पता लगाना चाहिए।

लेकिन मैं समझती हूं कि इसके लिए मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा आदि की सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री हंसदा ने कहा कि जहां नदी घाटी योजनाएं बनी हैं वहां से आदिम जातियों के लोगों को निकाला गया है मुआवजा दिया गया है पर उन्हें रुपया लगाने का उचित तरीका मालूम नहीं है। इसलिए उन्हें जो कुछ मिला उसे उन्होंने इधर उधर उड़ा दिया। इस दिशा में गैर-सरकारी संस्थायें उनकी काफी सहायता कर सकती थीं।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का भी उल्लेख किया गया। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में उस बोर्ड को १६५७–५८ में २.२१ लाख रुपया दिया गया। हमारे पास नवीनतम प्रगति प्रतिवेदन नहीं है। उस योजना में शर्त यह थी कि हर आदमी तीन सौ रुपया अपने पास से डाले। २४६ घर बना कर ६०० रुपया प्रत्येक घर दिया जाना था। प्रगति की रिपोर्ट से हमें और ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए थी।

हम सदा वित्तीय सहायता की बात करते हैं और माननीय सदस्य भी यही कहते हैं कि हमें ज्यादा देना चाहिए। जब काम चल पड़ता है तो प्राकृतिक रूप से ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे महत्व की बात तो इन्सान बनाने की है। श्री मलिक ने यह संशोधन रखा कि शिक्षा सम्बन्धी कामों के लिए पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए; उसमें से ५० प्रतिशत हरिजनों को तथा ७५ प्रतिशत आदिम जातियों को दी जानी चाहिए। मेरे विचार में यह काम सुगम नहीं है क्योंकि सहायता देने का काम हमने योजना आयोग की सलाह से किया है। केन्द्रीय योजनाओं को पूरी सहायता दी जाती है जब कि राज्यीय योजनाओं के लिए आधा व्यय केन्द्र तथा आधा व्यय राज्य वहन करते हैं। यह संदेह भी प्रकट किया गया कि अनुदानों में भी कुछ कमी की जाएगी। यह कैसे हो सकता है? आयुक्त उनकी रिपोर्टें प्राप्त करता है। जनता की जागरूकता से सारी स्थिति ठीक हो जाएगी और समाज की स्थिति सुधर जाएगी।

यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था में अनेक कठिनाइयां आ खड़ी होंगी। पहले तो श्री मलिक ने यह नहीं बतलाया कि शिक्षा योजनाओं के लिये राज सहायता क्यों बढ़ाई जाय और इसके अतिरिक्त उन्होंने "पिछड़े" राज्य को भी स्पष्ट नहीं किया। यदि यह मामला पिछड़े राज्य का है तो यह चीज वित्त आयोग को जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज की परिभाषा ही नहीं की कि यह क्या चीज है। इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

[श्रीमती आल्वा]

अधिकांश संशोधन राज्यों या क्षेत्रों के काम के मूल्यांकन के बारे में समितियां नियुक्त करने के बारे में है। मैं संक्षेप से ही कहना चाहती हूं कि आखिर यह संसदीय समिति करेगी क्या ? हमारे यहां आयुक्त जो है। उसकी नियुक्ति संविधान के अन्तर्गत की जाती है। इसके अलावा हमारे यहां केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, हरिजन कल्याण बोर्ड, आदिम जाति कल्याण बोर्ड आदि निकाय हैं जो हमें निरन्तर परामर्श देते रहते हैं। उन में दो तिहाई संसद् सदस्य काम करते हैं। वही सदा हमारा मार्ग दर्शन करते रहते हैं। हम सदा उनसे मिलते हैं और गृह मंत्री भी सदा ऐसी ही कोशिश करते हैं।

मेहतरों की स्थिति एवं उनके स्तर के बारे में भी मैं काफी महसूस करती हूं। मैं उनकी हालत सुधारने का प्रयत्न करूंगी। उनकी स्थिति सुधर सकती है। समृद्धि से ही यह बुराई समाप्त होने वाली है। हमें मेहतरों की स्थिति सुधारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि उन लोगों से बहुत ही निन्दनीय व्यवहार किया गया है किन्तु यह कैसे किया जा सकता है। क्या आप वही बात लागू करना चाहते हैं जो आप अपने गांवों में देखते हैं। प्रधान मंत्री ने भी इस बात का विरोध किया है। माननीय सदस्य ने काफी भावुकता से बातें कही हैं और मैं उनको स्वीकार करती हूं। किन्तु भावुकता से कुछ प्राप्ति नहीं होती। इस बुराई को दूर करने के लिए हमें शान्ति से सोचना चाहिए। रुपया हमारे पास है किन्तु इसका प्रयोग नहीं हो रहा है समाज में जागृति नहीं हैं और नगरपालिकायें योजनाएं आरम्भ नहीं कर रही हैं। इसलिए एक और समिति बनाना लाभ-दायक नहीं होगा।

हम संविधान के अनुसार आदिम जातीय आयोग बना चुके हैं। इसके काम भी मैं बता चुकी हूं। आयोग से यह भी कहा गया है कि वह संघीय क्षेत्रों की स्थिति की भी जांच करे। सदस्यों को एक व्यापक प्रश्नावली भी भेजी गई है। यदि सदस्य मूल्यवान सुझाव देंगे तो आयोग के पास भी विचारणीय सामग्री हो जायेगी और तीसरी योजना में इस काम के लिये एक अच्छी व्यवस्था हो जायेगी।

भूमिहीन लोगों को भूमि देने के लिये भी कुछ राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों के वर्ग नहीं बनाना चाहती मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं है। आखिर कब तक हम वर्गों में बंधे रहेंगे। हमें किसी को भी अनुसूचित जाति न कह कर पिछड़े हुए लोग कहना चाहिए और भूमिहीन लोगों को भूमि देनी चाहिये।

भूमि की मात्रा सीमित है और इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती किन्तु इसका वितरण इस ढंग से अवश्य किया जा सकता है कि हर एक को लाभ पहुंचे। उस दिशा में प्रयत्न भी किया जा रहा है और आपको सरकार पर सन्देह नहीं करना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश तथा बम्बई ने काफी अच्छा काम किया है। दूसरे राज्यों के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। आन्ध्र प्रदेश में उन भूमिहीन लोगों को भूमि दी जा रही है जो स्वयं खेती करते हैं और उनमें हरिजन, ताड़ी बनाने वाले, जुलाहे इत्यादि सभी सम्मिलित हैं वहां पर ८० हजार भूमिहीन लोगों को तीन लाख एकड़ भूमि दी जा चुकी है। बम्बई में भी अच्छा काम हुआ है। आसाम की जानकारी प्राप्त नहीं हुई किन्तु हर एक राज्य में काम अवश्य हो रहा है।

आसाम, उड़ीसा, मैसूर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मद्रास, बम्बई और राजस्थान में इस दिशा में अनुमान लगाने का काम हो रहा है। वहां पर अनसूचित जातियों के भमिहीन किसानों

को सबसे पहले जमीन दी जाती है। पश्चिमी बंगाल में भी भूमिहीन हरिजन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है और जो लोग सहकारी संस्था बनाते हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाती है। यह काम आसान नहीं है किन्तु हमें आशा है कि धीरे धीरे सभी राज्य सफल होंगे।

श्री गायकवाड़ ने सहकारी संस्थाओं के बारे में प्रश्न उठाया है। हम इस बात पर ध्यान देते हैं और इसके लिए एक अलग मंत्रालय भी है। जो डर उनके दिल में है उसे मैं समझती हूं। निर्धनों की कठिनाइयों पर भी हम समुचित ध्यान देते रहेंगे। जहां आपको पता लगे कि धनवान आदमी निर्धनों को हानि पहुंचा कर स्वयं लाभ उठा रहे हैं उस मामले को आप बतायें हम उसकी जांच करेंगे। मैं यह समझती हूं कि हमें यह शर्त रख देनी चाहिए कि भूमि रखने वाले किसान उन समितियों में शामिल न हों किन्तु हरिजनों में भी तो भूमिदार होते हैं। और यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो श्री गायकवाड़ भी तो भूमिदार हैं। फिर भी हम उनकी बात पर ध्यान देंगे।

अब मैं अनुसूचित जातियों को बिना ब्याज़ के ऋण देने की बात कहूंगी। इस बारे में भी हम वर्ग नहीं बना सकते। ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी यदि हम कुछ लोगों को तो केवल सहायता दें और दूसरों को ऋण तो इससे पारस्परिक मनमुटाव बढ़ेगा। किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया है। आन्ध्र प्रदेश तथा बम्बई की राज्य सरकारों ने हरिजनों को मकान बनाने के लिये कुछ रकम ऋण के रूप में तथा कुछ सहायता के रूप में दी है। पर हमें यह पता नहीं है कि इन पर ब्याज लगेगा अथवा नहीं। हम केन्द्र में इस बात को नहीं मान सकते क्योंकि केन्द्र ऋण तो देता ही नहीं। मैं इस बात को उचित भी नहीं समझती।

इसके बाद रोजगार का सवाल है। विद्यार्थियों की शिक्षा के बाद यह प्रश्न उठता है। श्री दातार ने भी इस के बारे में कुछ बताया है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि पदों का विज्ञापन ऐसे अखबारों को दिया जाता है जो आदिम जाति के क्षेत्रों तक पहुंचते ही नहीं। हम उनकी इस बात पर ध्यान देंगे। अखबारों के अलावा हम राज्य सरकारों को भी सूचना देते हैं और गैर-सरकारी संस्थाओं को भी बताते हैं ताकि वे हरिजनों इत्यादि को रिक्त स्थानों के बारे में जानकारी दे दें।

श्री पटनायक ने संशोधन संख्या २२ रखा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी उनके सुझाव पर हम ध्यान देंगे। इसमें तो प्राथमिकता का प्रश्न है कि पहले शिक्षा को लिया जाये अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों को इस बात को स्थानीय प्राधिकारी भली भांति विचार कर लेते हैं। और जहां जहां जिस चीज की अधिक आवश्यकता होती है उसे पूरा कर लिया जाता है।

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में विधेयक का प्रारूप तैयार हो चुका है किन्तु माननीय गृह मंत्री अभी तक सदस्यों के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ही यह विधेयक सभा में रखा जायेगा।

मैंने लगभग सारी बातों का उत्तर दे दिया है। और कुछ बातें रह भी गई हैं। हम उन पर भी ध्यान देंगे। अकेले रुपये या कानून से समस्या का हल नहीं होगा इसके लिये सब लोगों को सतत प्रयत्न करने चाहियें और तभी आदिम जातियों का उद्धार होगा।

†**श्री वै० च० मलिक** : मैं संशोधन संख्या २ के बारे में आग्रह नहीं कर रहा किन्तु संशोधन संख्या १, ३, ४ और ५ को रखा जाये।

†**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या २ के बारे में माननीय सदस्य आग्रह नहीं करते।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

संशोधन संख्या २ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, ३, ४ और ५ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

संशोधन संख्या १२, १३, १४ तथा १५ सभा की अनुमति से वापस लिये गये

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ से ११ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

संशोधन संख्या १९ से २१ सभा की अनुमति से वापस लिये गये

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६, १७ तथा १८ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५८–५९ के प्रतिवेदन पर, जो २२ दिसम्बर, १९५९ को सभा की टेबल पर रखा गया था, विचार करती है ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मत-विभाजन के परिणाम की शुद्धि

†**सभापति महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने मुझसे यह कहा है कि मैं सभा में यह घोषणा करूं कि आय की अधिकतम सीमा के बारे में श्री राम कृष्ण गुप्त के संकल्प पर १९ अगस्त, १९६० को जो मत विभाजन हुआ था उसके परिणाम की घोषणा में कुछ भूल हो गई थी । यद्यपि उससे सभा द्वारा लिये गये निर्णय में कोई अन्तर नहीं आता है परन्तु मेरा विचार है कि सही स्थिति कार्यवाही में रहनी चाहिये । इसलिये मैं उसे सभा में बताता हूं ।

फोटोग्राफ तथा कार्यवाही देखने पर पता लगा है कि पक्ष में २४, और विपक्ष में ८० के स्थान पर पक्ष में २३, और विपक्ष में ८१ मत होने चाहिए ।

कृषि उत्पादन (श्रेणी करण तथा चिह्न लगाना) संशोधन विधेयक

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाना) अधिनियम १९३७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक को राज्य सभा ने पारित कर दिया है। यह बड़ा सरल विधेयक है। इसमें इतना ही किया जाना है कि यह जम्मू और काश्मीर राज्य पर भी लागू हो । पहले हम इस प्रकार के विधानों को वहां लागू नहीं करते थे, परन्तु अब तो भारत का पूर्ण अंग बन गया है अतः अब हम इसे वहां लागू करना चाहते हैं। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण बड़ा महत्व का कार्य है। देश और विदेश प्रत्येक स्थान पर इसका महत्व है। यह अधिनियम मूल रूप से १९३७ में पारित हुआ था। शायद अब भी कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक के महत्व पर अपना विचार प्रकट करना चाहें। इसके बिना उत्पादक को हानि होती है और इसी दृष्टि को सामने रख कर ही इसको पारित किया गया था।

श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाने के काम की देखभाल क्रय विक्रय निदेशालय करता है। इसके दो भाग हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्य सविस्तार इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं समझते तो इसे ऐसे ही प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस मूल अधिनियम को जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू किया जा रहा है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं। परन्तु इस दिशा में थोड़ा अध्ययन करने से पता चलता है कि इस अधिनियम के पुनरावलोकन की कुछ आवश्यकता है। जब इस अधिनियम को १९३७ में पारित किया गया था तब से अब स्थिति काफी बदली है। बदली हुई परिस्थितियों की ओर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिये। फलों और अन्य वनस्पतियों के क्रय विक्रय और श्रेणीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी खेदजनक बात है कि जब भी किसी वर्तमान कानून को काश्मीर राज्य में लागू करना होता है तो उस के लिए हमें इस सदन में आना पड़ता है।

मुझे दुःख है कि मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते हुए जो भाषण दिया और उसमें जो उन्होंने कह दिया वह वास्तविकता के खिलाफ है कि कुछ समय पहले तक हमें यह देखना पड़ा कि यह कानून लागू नहीं होता कश्मीर और जम्मू में लेकिन स्थिति आज यह है कि जिन कानूनों को कश्मीर की विधान सभा मंजूर न कर ले अपने आप उन सब कानूनों को हमें यह लिखना पड़ेगा कि यह जम्मू और कश्मीर स्टेट में लागू नहीं होगा। अब इस कानून के बारे में यह है कि चूंकि कश्मीर की सरकार ने इसे मंजूर कर लिया है इसलिये यह वहां लागू किया जा रहा है। इसलिए नहीं ला किया जा रहा है कि मिनिस्टर साहब चाहते हैं या यह सदन चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि अब कश्मीर सरकार से मिल कर यह प्रयत्न किया जाय कि जितने कानून हिन्दुस्तान में हैं वह सारे के सारे कानून कश्मीर में भी लागू हों और यह जरूरत भी न पड़े कि जो भी पुराना कानून हो और उसको कश्मीर में लागू करना हो तो इस सदन में उसके लिए आना पड़े और विषेष अधिकार लेना पड़े। मैं समझता हूं कि इस बिल का सिर्फ यही उद्देश्य है और इसी भावना से इस को लेना चाहिए।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

जहां तक कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ग्रेडिंग और मार्किन्ग का सवाल है, मैं नहीं समझता कि खुद मिनिस्टर साहब भी उस से संतुष्ट हैं या नहीं कि उस से हिन्दुस्तान के काश्तकारों और किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है । अगर हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर महोदय इस सदन में एक वार्षिक विवरण रखा करें कि सारे हिन्दुस्तान के विभन्न राज्यों में इस से लाभ हुआ है और इस कानून पर अमल हो रहा है । अब तक सम्भवत: इस तरह की बात नहीं हुई है । यदि मिनिस्टर साहब समझते हैं कि इस कानून से फायदा हुआ है किसानों का, तो उन्हें एक विवरण ज़रूर सदन में हर साल रखना चाहिए, जिस से सदस्यों और इस मुल्क को मालूम हो सके कि किस तरह इस कानून से काश्तकारों का फ़ायदा हो रहा है ।

अन्त में मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने के वक्त पर हमें विचार करना चाहिए और हिन्दुस्तान की सरकार को काश्मीर की सरकार से सलाह-मश्विरा करना चाहिए और उन से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन सारे कानूनों को, जो कि हिन्दुस्तान में लागू हैं, पूर्ण रूप से काश्मीर में लागू कर लें । काश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता । काश्मीर के लोग भी यही कहते हैं और वह हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन उस के होते हुए भी यह दिक्कत रहती है कि इस देश के कुछ कानून वहां पर लागू नहीं होते हैं, जब तक कि काश्मीर की असेम्बली उन को स्वीकार न कर ले । मैं आशा करता हूं कि इस तरह का कोई संशोधन काश्मीर असेम्बली करेगी, जिस से जो कानून हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में लागू हैं, वहां भी लागू हो जायें ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब सदर, जो तहरीक वजीर साहब ने इस ऐवान में पेश की है, मैं उस की ताईद करता हूं । मुझे अफ़सोस है कि मेरे दोस्त ने, जो अभी मुखालिफ बैंचों से बोले हैं, एक गलत वक्त पर सही राय का इजहार किया है । इस वक्त मसला यह नहीं था कि कांस्टीच्यूशन में उन की मरजी और पसन्द के मुताबिक तरमीम की जाये । मसला यह था कि जिस बिल का अमेंडमेंट लाया गया है, उस के बारे में वह कुछ फ़रमाते । बहरहाल जहां तक उस मसले का सवाल है, जिस का जिक्र मेरे दोस्त ने किया है, मैं इस ऐवान को एक काश्मीरी की हैसियत से यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तान के आईन के उतने ही पाबन्द हैं, जितने कि और लोग हैं । अब वह मसला कैसे तय होगा, यह कांस्टीच्यूशन की बात है ।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, मैं यकीनन यह समझता हूं कि इस से रियासत काश्मीर के किसानों को और उन लोगों को एक बड़ी हद तक फ़ायदा होगा, जिन्हें बड़े बड़े विजिनेसमैन एक्सप्लायट करते थे । इसमें कोई शक नहीं कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है, लेकिन हम और जगहों के मुकाबले में बेहतरीन फ्रूट्स पैदा करते हैं । उन की ग्रेडिंग से यकीनन वहां के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और वहां के लोगों को मौका मिल जायेगा कि मौजूदा जमाने में, मौजूदा दुनिया में जिस साइंटिफ़िक तरीके

से ग्रेडिंग की जाती है, या मार्किन्ग की जाती है, उस के जरिये वे हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों के मुकाबले में काम कर सकें और उस से हमारे मुल्क की माली हालत में इजाफा होगा ।

इस बिल को लाने के लिए मैं हुकूमत और वजारत एग्रीकल्चर को मुबारकबाद देता हूं ।

श्री पद्म देव (चम्बा) : सभापति जी, काश्मीर सरकार को इस बात की बधाई कि उस ने इस अधिनियम को अपने यहां लागू किया है । जब से देश आजाद हुआ है, सरकार ने इस बात का बड़ा भारी प्रयत्न किया है कि कृषक लोगों को ज्यादा से ज्यादा साधन सम्पन्न किया जाये, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा उपज कर सकें । चुनाचे फलों में और खेती-बाड़ी की दूसरी चीजों में किसानों ने बहुत ही उन्नति की है, लेकिन उस उन्नति के साथ साथ उन को इस बात का अभी पता नहीं कि पैदा करने के बाद उन की चीज कहां जायेगी और कहां ज्यादा पैसा उन को प्राप्त हो सकेगा । जो लोग आज तक एक्सप्लायट करते रहे हैं इन सीधे सादे, धूप में तपने वाले और सरदी में ठिठुरने वाले लोगों को वे हमेशा ऐसी चीजों का विरोध करते हैं और विषेश तौर पर नगरों में ऐसी बातों के लिए शोर-शराबा, हड़तालें और दूसरे प्रदर्शन होते रहते हैं कि रुई की कीमत बढ़ गई, या शूगरकेन की कीमत बढ़ गई और इस बात के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि इस किस्म की चीजों के लिए किसी तरह का कोई प्रबन्ध न हो । यह ठीक है कि सरकार किसानों के लिए साधन जुटाती है और ज्यादा उपज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि जब कि वह गद्दी पर बैठने वाले कर्मकारों की चीजों के बेचेने का प्रबन्ध करती है, उस के लिए एम्पोरियम खोलती है, तो कोई वजह नहीं है कि जो खेत में तपने वाला किसान है और जो देश की वास्तविक जरूरत को पूरा करने वाला है, उस की चीज के लिए वह मार्केट न पैदा करें । मैं जानता हूं कि ये पहाड़ी इलाके हैं और आलू, सेब और इस किस्म की चीजें उपजाते हैं, लेकिन जिस तरह से इन के ऊपर लूट मार होती है मंडियों में, वह हर एक आदमी जान नहीं सकता, जब तक कि वह वहां अपनी आंखों से यह सब न देखे । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि किसान को यह बताया जाये, समझाया जाये और इस बात का प्रबन्ध किया जाये कि उस की चीजें किस तरह ग्रेड की जा सकतीं हैं, क्योंकि ग्रेडिंग करने से उनको अधिक पैसा मिलेगा और उस के पश्चात् उन चीजों के लिए मार्केट ढूंढ़े कि किन मंडियों में उन का ज्यादा पैसा मिलता है । जो लोग लोगों के लिए फल, नाज, खॉड और रुई पैदा करने वाले हैं, अगर इस तरीके से उन के लिए ठीक तरह का प्रबन्ध नहीं होगा, अगर यह अंग कमजोर रहेगा, तो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकेगा । अगर हम केवल विदेश की चीजों पर ही आधारित रहे, तो कभी भी देश में लड़ाई हो जाये, झगड़ा हो जाये, तो दुश्मन को हमारे लिए एटम बम की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमारी सप्लाई बन्द कर के वे हम को वैसे ही मार सकते हैं ।

[श्री पद्म देव]

इस लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और जैसे यह काश्मीर में लागू हुआ है, सर्वत्र इस किस्म के नियम बनने चाहिए, ताकि किसान की पूरी सहायता हो सके ।

श्री ब्रजराज सिंह : सर्वत्र तो पहले ही है ।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति जी, मैं कृषि उत्पादन (श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाना) संशोधन बिल का स्वागत करती हूं । यह संशोधन ला कर केन्द्रीय सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है । साथ ही मैं राज्य सरकार का भी धन्यबाद करती हूं कि उन्होंने भी इसको अपने राज्य में लागू करने की इच्छा प्रगट कर के एक बहुत बड़ा काम किया है । मुझे आशा है कि जम्मू-काश्मीर की जनता इसका पूरा स्वागत करेगी। सन् १९३७ में यह अधिनियम भारत में लागू हुआ था। आज २३ वर्ष के बाद काश्मीर में भी यह लागू होगा। मैं तो चाहती हूं कि बहुत पहले ही यह आ जाता और इससे काश्मीर की जनता और किसानों को बहुत फ़ायदा होता ।

काश्मीर बहुत सी चीज़ों का विक्रय कर सकता है और केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह उस के लिये पूरी सहायता करे । वहां कुछ बड़े बड़े कारखाने होने चाहिए, क्योंकि मैं सोचती हूं कि वहां पर ऊन पशमीना वग़ैरह जो कच्चा माल है, उस का माल वहीं बनाना चाहिए । अगर कहीं यह कच्चा माल बाहर आ गया, तो इस से बड़ी ही दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि आज भी वहां के मज़दूरों को ऊन और पशमीने से काफ़ी फ़ायदा होता है । अगर वहां कारख़ानों की कमी रही, तो वे कह सकते हैं कि वहां से कच्चा माल बाहर आसकता है । इस तरफ़ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

वहां पर शिल्प-कला की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं तथा और भी बहुत सी चीजें हैं, जो संसार भर में विख्यात हैं । हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार को उस के लिए भी ऐसा पग उठाना चाहिए, जिस से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वहां हो और उस के बाहर विक्रय करने का प्रबन्ध हो । इस के अलावा वहां की कृषि में भी बहुत सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे ज़ाफ़रान है, जो संसार भर में मशहूर है । हमारे यहां फल भी हैं । लेकिन उन के लिए हमारे यहां कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उन के रखने का ठीक प्रबन्ध नहीं है, उन को विक्रय करने का प्रबन्ध नहीं है कि वह कैसे बाहर भेजा जाय । अगर केन्द्रीय सरकार इस तरफ़ ध्यान दे और इन चीज़ों को बाहर भिजवाने और ज्यादा से ज़ादा करने की व्यवस्था करे, तो मुझे पूरी आशा है कि काश्मीर इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, जिस तरह कि वह दूसरे हर पहलू से आगे बढ़ रहा है । आज काश्मीर वह काश्मीर नहीं है, जो नौ दस वर्ष पहले था । आज वहां की जनता अपना गरीबी का चोला बदल रही है और दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधक विधेयक का अनुमोदन करती हूं और आपको धन्यबाद देती हूं ।

†**श्री अन्सारी हरवानी** (फतेहपुर) : इस विधेयक के दो पहलू हैं। एक राजनैतिक और दूसरा आर्थिक। राजनीतिक तौर पर इस विधेयक के लाने पर मैं माननीय मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार को कोई ऐसा ढंग निकालना चाहिए कि जिस से किसी विधान को जम्मू व काश्मीर राज्य पर लागू करने के लिये सरकार को कोई विधान यहां प्रस्तुत करना न पड़े। अन्य राज्यों की भांति काश्मीर भी भारत का अंग है।

मूल रूप से यह अधिनियम १९३७ में पारित हुआ था। काफी समय व्यतीत हो गया है। अब इस के पुनरावलोकन की जरूरत है। कई राज्यों में अधिकारी लोग इसका अनुचित लाभ भी उठाते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इस दिशा में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि इस अधिनियम के बावजूद वस्तुओं में मिलावट होती रहती है। इसके लिए सरकार को कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं, परन्तु सामान्यतः विधेयक का स्वागत किया गया है इस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक माननीय मित्र ने ऐसी बातें कहीं हैं जो इस अवसर पर नहीं कहनी चाहिए थीं। सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। कहा गया है कि काश्मीर भारत का अंग है अतः वहां लागू करने के लिए इस प्रकार के संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात का समुचित विचार करेगी कि किसी विधान को जम्मू व काश्मीर पर लागू करने के लिए इस प्रकार विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही न रहे।

माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने पूछा है कि हम इस दिशा में प्रगति करते रहे हैं अथवा नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष हम इस अधिनियम की परिधि और चीजों के बारे में आगे बढ़ते रहे हैं। यद्यपि मैं इस प्रगति से बहुत अधिक सन्तुष्ट नहीं तथापि जो कुछ हम से सम्भव हो पा रहा है हम कर रहे हैं। किसी एक वस्तु के बारे में निर्णय करते हुए हमें बहुत सी चीजों का विचार करना पड़ता है और वाणिज्य मंत्रालय का मत भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण होता है।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के दो पहलू हैं, एक बाह्य और एक आन्तरिक। देश के भीतर बिकने वाली चीजों के संबंध में श्रेणीकरण स्वेच्छिक बात है, परन्तु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में यह अनिवार्य है। सरकार अधिक धिक वस्तुओं के श्रेणीकरण के लिए प्रयत्न कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि श्रेणीकरण से उत्पादकों को उनके माल का अच्छा मूल्य मिलता है। कई एक नई चीजें भी इस के अन्तर्गत सम्मिलित की हैं मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि "एगमार्क" को इस बात की देश और विदेश में मान्यता प्राप्त हुई है कि इसका माल बहुत ऊंचे स्तर का होता है। इसी प्रकार हम बहुत सी चीजें इसके अन्तर्गत लाकर उनका स्तर ऊंचा करना चाहते हैं। इस से मिलावट की समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

मैं श्री पद्मदेव से सहमत हूं कि इस मामले में कृषकों तथा उत्पादकों के दृष्टिकोण को भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि हम कृषकों के हितों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में दिये गये सभी माननीय सदस्यों के सुझावों की ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में वहां श्रेणीकरण अनिवार्य हो जायेगा। चावल, फल तथा वनस्पतियों पर यह एच्छिक रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस विधेयक से जम्मू और काश्मीर के उत्पादकों को बहुत ही लाभ रहेगा।

तो मैं प्रस्ताव करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाना) अधिनियम १६३७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय** : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाना) अधिनियम, १६३७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पारित किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब हम आगे की कार्यवाही करेंगे ।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : श्रीमान जी, मैं प्रस्तुत करता हूं :

> "कि निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम १९५१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

यह बड़ा सरल विधेयक है । इस में कोई विवादास्पद चीज नहीं है । इसके लिए कोई संशोधन भी प्रस्तुत नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि ९ वर्ष पूर्व पारित मूल्य अधिनियम की कुछ पृष्ठ भूमि बता दूं । इस में आज के प्रस्तुत संशोधन विधेयक आवश्यक बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जायेंगे । इस से मेरा काम भी थोड़ा सरल हो जायेगा ।

जब देश के विभाजन के पश्चात् लाखों लोग भारत से गये और आये, तो विशाल सम्पत्ति अभिरक्षकों के सुपुर्द की गयी । इस में लाखों एकड़ भूमि थी और काफी संख्या में शहरी मकान थे । निष्क्रांत सम्पत्ति जो इन अभिरक्षकों को दी गयी वह उन लोगों की थी जो अन्तिम रूप में पाकिस्तान चले गये थे । उनकी शहरी और देहाती सम्पत्ति पीछे रह गयी । पश्चिमी पाकिस्तान से हिन्दू और सिख सामूहिक तौर पर भारत आ गये । परन्तु भारत से सभी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गये । क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है और हमें अपनी इस नीति पर आज भी गौरव है ।

†**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

[शनिवार, २० अगस्त, १९६०
२९ श्रावण, १८८२ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८१५—३६
तारांकित प्रश्न संख्या		
५७८	सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	१८१५—१७
५७९	नये अमरीकी ऋण	१८१७—१९
५८०	राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का आदेश	१८२०—२४
५८१	दुर्गापुर का इस्पात कारखाना	१८२४—२५
५८२	टैगौर शताब्दी	१८२५—२७
५८८	कामगरों की शिक्षा के लिये संध्या कालीन संस्थायें	१८२७—२९
५८९	आस्ट्रेलिया से घोड़ों का आयात	१८२९—३०
५९०	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें	१८३०—३१
५९१	नागा उपद्रवी	१८३२—३३
५९३	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की शिक्षा	१८३३—३५
५९४	राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने	१८३५—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१८३६—१८९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
५८३	खानों से कोयला निकालना	१८३६—३७
५८४	सिंगरौली कोयला-क्षेत्र	१८३७
५८५	हायर सैकंडरी स्कूलों के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	१८३७
५८६	जीवन बीमा निगम के एजेन्ट	१८३८
५८७	करों का आपात	१८३८
५९२	पंजीबद्ध भारतीय समवायों की आय	१८३८—३९
५९५	"आसाम सिलिमेनाइट लि०" में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की पूंजी	१८३९
५९६	रूस से पेट्रोलियम उत्पादकों का आयात	१८३९—४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५९७ भारतीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा श्रमिक संघ . . . १८४०
५९८ दक्षिण कनारा जिले में लौह अयस्क . . . १८४०–४१
५९९ पेरिस में भारतीय कला प्रदर्शनी . . . १८४१
६०० अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह . . . १८४१–४२
६०१ ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर संग्रहालय . . १८४२
६०२ पानागढ़ में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निष्कासन . . १८४२–४३
६०३ केरल विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १८४३–४४
६०४ पुरस्कार बाण्ड १८४४
६०५ आस्ट्रिया से ऋण १८४४–४५
६०६ हिर्री की डोलोमाइट खान १८४५
६०७ अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा योजना १८४६
६०८ देवनागरी लिपि १८४७
६०९ विदेशों में भारतीय राजे महाराजे . . . १८४७–४८
६१० मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों का यात्रा-व्यय . . १८४८
६११ बेस लुब्रीकेटिंग आयल १८४९
६१२ राउरकेला के इस्पात कारखाने में श्रम सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन . . . १८४९–५०
६१३ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ . . १८५०
६१४ दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूल १८५०
६१५ राज्यों में अनिवार्य निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा . . . १८५१
६१६ "राल्स रायस डार्ट इंजनों" का निर्माण . . . १८५१
६१७ "फ्लाइंग साइकिल" १८५१–५२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०९६ आन्ध्र प्रदेश में छोटी बचत योजना . . . १८५२
१०९७ बम्बई में पुस्तकालय आन्दोलन १८५२
१०९८ हिमाचल प्रदेश में हाई स्कूल १८५२–५३
१०९९ बम्बई के स्कूलों और कालेजों में खेल के मैदान . . १८५३
११०० खनन संस्था, कोठागुडियम १८५३

१९५८ विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

		१८५३–५४
११०१	चितौड़गढ़ के किले में खुदाई	१८५४
११०२	आन्ध्र प्रदेश में आय-कर	
११०३	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त	१८५४
११०४	पंजाब को धातु, चढ़ी हुई लोहे की चादरों का सम्भरण	१८५५
११०५	राष्ट्र मंडल—छात्रवृत्ति योजना	१८५५
११०६	हिन्दी पुस्तकों के लिये साहित्य अकादमी के पुरस्कार	१८५६
११०७	पुरातत्व विभाग के लिये बजट में निर्धारित राशि	१८५६
११०८	पुरातत्व—विद्यालय	१८५६–५७
११०९	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	१८५७
१११०	रूरकेला इस्तपात कारखाना	१८५७–५८
११११	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१८५८
१११२	हरिजनों की समस्याओं सम्बन्धी पत्रिका	१८५९
१११३	उत्तर प्रदेश में इस्पात रीरोलिंग कारखाने	१८५९
१११४	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि-बस्तियां	१८५९–६०
१११५	धन-कर तथा व्यय कर	१८६०
१११६	नाविक प्रशिक्षण	१८६०
१११७	अगरतला में बाजार का निर्माण	१८६०–६१
१११८	मोरा में पकड़े गये हथियार	१८६१
१११९	हिन्दी असिस्टैंट	१८६१–६२
११२०	प्रविधिक (टेक्नीकल) सहयोग मिशन	१८६२
११२१	दिल्ली विश्वविद्यालय का गांधी भवन	१८६२
११२२	हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी	१८६३
११२३	उड़ीसा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये योजनायें	१८६३
११२४	विज्ञान मन्दिर	१८६३–६४
११२५	विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहन सहन की दशा	१८६४
११२६	बिड़ला औद्योगिक और टेक्नालजिकल संग्रहालय, कलकत्ता	१८६४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)

अतारांकित प्रश्न संख्या

११२७	आयकर के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट . .	१८६५
११२८	"आदर्श प्रश्न" . . .	१८६५
११२९	रूस में भारतीय टेक्निशियनों का प्रशिक्षण . .	१८६५–६६
११३०	फालतू सामान	१८६६
११३१	तांबे का खानों से निकाला जाना . . .	१८६६
११३२	दिल्ली में हायर सैकेंडरी स्कूल . . .	१८६७
११३३	दिल्ली के हायर सैकेंडरी स्कूलों में बिजली . . .	१८६७
११३४	नौसैनिक अभ्यास . .	१८६७–६८
११३५	दिल्ली के ऊपर रूसी उपग्रह .	१८६८
११३६	लद्दाख का आर्थिक विकास	१८६८
११३७	नागरिकों की शिकायतों की जांच करने के लिये संस्था .	१८६८–६९
११३८	जीवन बीमा निगम के कार्य का पूर्वी अफ्रीका में विस्तार	१८६९
११३९	पंजाब विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स .	१८६९–७०
११४०	लद्दाख में पुरातत्वीय सर्वेक्षण . .	१८७०
११४१	होशियारपुर जिले में तेल की खोज	१८७०
११४२	विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु सीमा . .	१८७०–७१
११४३	भारत को विकास ऋण निधि से ऋण . .	१८७१
११४४	वित्त मंत्रालय का नियंत्रण	१८७१–७२
११४५	दिल्ली में दंगा फसाद करने वाले व्यक्ति . . .	१८७२
११४६	भारत में बीसा अथवा पारपत्र के बिना पाकिस्तानी .	१८७२
११४७	अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् . .	१८७३
११४८	दिल्ली में चलते फिरते न्यायालय . . .	१८७३–७४
११४९	दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा के लिये अनुदान . .	१८७४
११५०	गवर्नमेंट माडल स्लकू, दिल्ली . . .	१८७४
११५१	औरंगाबाद में इंजीनियरिंग कालेज . . .	१८७५
११५२	ब्रिटेन में कोयला खनन इंजीनियरों का प्रशिक्षण .	१८७५
११५३	केरल में पिछड़े वर्गों को प्रविधिक प्रशिक्षण .	१८७५
११५४	राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संबंधी संस्था . .	१८७६
११५५	विद्यार्थियों का शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन .	१८७६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

११५६	प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज	१८७६
११५७	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये शनिवार की छुट्टी .	१८७७
११५८	आसाम में भूकम्प	१८७७
११५९	राष्ट्रीय स्मारकों की सूची	१८७७
११६०	अत्यावश्यक मामलों में यातायात सम्बन्धी सुविधायें . .	१८७७—७८
११६१	राजस्थान में अनुसूचित जातियां . . .	१८७८
११६२	आगरा में राकेट का परीक्षण	१८७९
११६३	रामेश्वरम् मन्दिर	१८७९
११६४	उड़ीसा में मन्दिर	१८७९—८०
११६५	भिलाई में चूना संयंत्र	१८८०
११६६	गिरिडीह कोयला खान	१८८०
११६७	जीवन बीमा निगम	१८८०—८१
११६८	चांदमारी	१८८१
११६९	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रधान की जापान यात्रा .	१८८१
११७०	हिन्दी शिक्षकों का विदेशों में भेजा जाना . . .	१८८२
११७१	संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रौद्योगिकी—आर्थिक सर्वेक्षण . .	१८८२
११७२	दिल्ली में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज . .	१८८२—८३
११७३	त्रिपुरा में ईंटें	१८८३
११७४	भारत में विदेशी	१८८३
११७५	विदेशी मुद्रा विनियमों का अतिलंघन . . .	१८८४
११७६	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में "शेल-फिशिंग" . .	१८८४
११७७	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रधान . . .	१८८४
११७८	अन्दमान प्रशासन द्वारा जलयान की खरीद . .	१८८५
११७९	उत्पादन-शुल्क की वसूली	१८८५—८६
११८०	राष्ट्रमंडल शिक्षा सहकार योजना . . .	१८८६
११८१	ग्राम्य उच्चतर शिक्षा गोष्ठी . . .	१८८७
११८२	'लेपचा' आदिम जाति	१८८७
११८३	राज्य-प्रतीक	१८८७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११८४ एयर इन्डिया इन्टर नेशनल के पदाधिकारी के विरुद्ध मामले १८८८
११८५ हार्नेस एंड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में अग्निकांड . १८८८
११८६ समुद्र के पानी को मीठा करना . . . १८८८
११८७ अन्दमान द्वीपसमूह के लिये विकास की वार्षिक योजनायें १८८९
११८८ अपर डिवीज़न क्लर्क १८८९–९०
११८९ पुरातत्वीय कार्यों के बारे सर वुले का प्रतिवेदन . . १८९०
११९० संग्रहालयों के लिये कर्मचारी . १८९०
११९१ तिलक नगर में हत्या काण्ड . . . १८९०–९१
११९२ हरिजनों का कल्याण १८९१
११९३ मद्रास राज्य में प्रतिरक्षा संस्थानों के लिये खाद्य पदार्थ . १८९१
११९४ राज्यों को लोहे और इस्पात का दिया जाना . १८९२
११९५ लोहा और इस्पात नियंत्रक को प्राप्त व्यादेश . . १८९२–९३
११९६ लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन . . १८९३–९४
११९७ इस्पात का आयात १८९४
११९८ बिहार-पश्चिमी बंगाल सीमा-विवाद १८९५
११९९ कोक बनाने का कोयला १८९५
१२०० बस्तर जिले में तांबा अयस्क के निक्षेप . . १८९५–९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

(१) कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३३ की एक प्रति ।

(२) दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिक्रियाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले पांच विवरणों की एक-एक प्रति :—

(१) विवरण संख्या १ . . ग्यारहवां सत्र, १९६०
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ४ . दसवां सत्र, १९६०
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ७ . नवां सत्र, १९६०
(४) अनुपूरक विवरण संख्या १० आठवां सत्र, १९६०
(५) अनुपूरक विवरण संख्या ३१ चौथा सत्र, १९६०

विषय पृष्ठ

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८, की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९९ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश १८९६–९७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा १८ अगस्त, १९६० को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि वह धार्मिक न्यास विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त समिति में काम करने के लिये उसने १५ सदस्यों के नाम निर्देशित किये हैं ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य १८९७–९८

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने कांगो में लियोपोल्डविल हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृंद के साथ १८ अगस्त, १९६० को हुई घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . . १८९९—१९०२

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने पलाई सैंट्रल बैंक के परिसमापन के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने विदेशी विनिमय विनियम उल्लंघन सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के बारे में १७ अगस्त, १९६० को श्री स० मो० बनर्जी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत १९०२

इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

समिति में निर्वाचन के लिए प्रस्ताव १९०३

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि लोक-सभा के सदस्य केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . १९०४

चौव्वनवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . १९०४—४८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा। गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।

मतविभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

आय की अधिकतम सीमा के बारे में १९ अगस्त, १९६० को श्री राम कृष्ण गुप्त द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मत विभाजन के आंकड़ों में शुद्धि के बारे में सभापति महोदय ने घोषणा की।

विधेयक—पारित . . . . . १९४८—५४

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) ने प्रस्ताव किया कि कृषि उत्पादित (श्रेणीकरण और चिह्न लगाना) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डशः चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

विधेयक—विचाराधीन १९५५

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) ने प्रस्ताव किया कि निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये। सभा की राय यह थी कि विधेयक पर आगे विचार सोमवार, २२ अगस्त, १९६० को सब से पहली मद के रूप में किया जाय।

सोमवार २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा और पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द हो जाने के बारे में चर्चा।

GMGIPND—LS1—955 (Ai) LSD—21-9-60—135.